रजिस्ट्रेशन सं डी. एल.—33004/96 REGN. NO. D. L.—33004/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 204] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 25, 1996/चैत्र 5, 1918
No. 204] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 25, 1996/CHAITRA 5, 1918

वाणिज्य मंत्रालय

अधिसूचना सं० 1 (आर ई-96)/92—97

नई दिल्ली, 25 मार्च, 1996

का०आ० 245(ई) : निर्यात व आयात नीति 1992-97 के पैरा 3 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, (1992 की सं० 22) की धारा-5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार इस अधिसूचना के अनुलग्नक में दी गई निर्यात एवं आयात नीति, 1992—97 (संशोधित संस्करण : मार्च 1996) को एतद्द्वारा संशोधित एवं अधिसूचित करती है । नीति का यह संशोधित संस्करण जिसमें 25 मार्च, 1996 तक किए गए सभी संशोधनों को शामिल किया गया है, 26 मार्च, 1996 से लागू होगा ।

2. इसे सार्वजनिक हित में जारी किया जाता है ।

[फाइल सं० पी आर यू/सी/16/95-96]

श्यामल घोष, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

अध्याय—एक

प्रस्तावना

अधिसूचना:—

1. आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) की धारा 3 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने 1992-97 की अवधि के लिए निर्यात और आयात नीति को 31 मार्च, 1992 अधिसूचित की (जिसे अब से आगे नीति के रूप में संदर्भित किया जाएगा) । इस अधिनियम को निरस्त किया जा चुका है और इसे विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) (जिसे अब आगे से अधिनियम के रूप में संदर्भित किया जाएगा) इस नीति को अधिनियम के खण्ड 5 के अन्तर्गत अधिसूचित किया गया माना जाएगा ।

विनियोग एवं अवधि :—

2. यह नीति 1 अप्रैल, 1992 से लागू होगी तथा पांच वर्ष की अवधि अर्थात् 31 मार्च, 1997 तक प्रभावी रहेगी और यह आठवीं पंच वर्षीय योजना की अवधि (अप्रैल, 1992 से मार्च, 1997) के साथ समाप्त होगी ।

संशोधन:—

3. अधिनियम के खण्ड 5 में दी गई शक्तियों को दर्शाते हुए इस नीति में संशोधन अथवा परिवर्तन करने के लिए केन्द्रीय सरकार जनहित में अधिकार सुरक्षित रखती है। ऐसे संशोधन यदि कोई होंगे तो, भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर सार्वजनिक सूचनाओं के द्वारा अधिसूचित किए जाएंगे।

अन्तवर्ती व्यवस्था:—

4. पूर्व निर्यात-आयात नीतियों के अन्तर्गत कोई भी जारी की गई अधिसूचना या सार्वजनिक सूचना या अन्य परिवर्तन तथा जो इस नीति के प्रारम्भ होने से पूर्व लागू थे, यदि इस नीति के प्रावधानों से असंगत न हों, प्रभावी माने जाएंगे तथा इस नीति के अन्तर्गत माने जाएंगे। इस नीति से पूर्व जारी किए गए लाइसेंस उनमें अनुमित मदों के आयात/निर्यात के लिए मान्य रहेंगे।

5. निर्यात एवं आयात जो खुला लाइसेंस के अन्तर्गत अनुमेय थे वे इस नीति के अन्तर्गत यदि किसी नियंत्रण या नियम के अधीन हैं तो ऐसे निर्यात एवं आयात सामान्यत: बिना किसी नियंत्रण या नियम के बिना अनुमित होंगे, जबकि वे किसी और बात से प्रभावित न हों, और ऐसे निर्यात या आयात का पोतलदान ऐसे नियंत्रण के लागू होने के 45 दिन के अन्दर होना चाहिए और वह एक फर्म आदेश के साथ होना चाहिए जो अपवर्तनीय साख पत्र ऐसे नियंत्रण के लागू होने की तिथि से पहले का हो।

अध्याय—दो

उद्देश्य

6. इस नीति के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:—

(क) बढ़ती हुई विश्व व्यापी बाजार की उपलब्धियों से अधिकतम फायदा उठाने के उद्देश्य से देश के अन्तवर्तन को अन्तर्राष्ट्रीय अभिमुख अर्थ व्यवस्था की ओर बढ़ाना।

(ख) भारतीय कृषि, उद्योग और सेवाओं की उत्पादकता आधुनिकीकरण एवं प्रतियोगितात्मकता को बढ़ावा देना तथा इनके निर्यात संभाव्यता एवं सामर्थ्य को बढ़ाना।

(ग) माल की गुणवत्ता के अन्तर्राष्ट्रीय स्वीकृत स्तरों को प्राप्त करने और विदेश में भारत के उत्पादों की छवि को बढ़ावा देना।

(घ) भारत के निर्यात को बढ़ाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में आवश्यक कच्चे माल, मध्यस्थों, संघटकों, उपभोज्यों तथा पूंजीगत माल आसानी से उपलब्ध करवाना।

(ङ) व्यापार के लिए उदार ढांचे के अन्तर्गत प्रभावी एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी आयात प्रतिस्थापन को बढ़ावा देना;

(च) निर्यात-आयात नीतियों में अधिक स्पष्टता लाने के लिए यांत्रिक नियंत्रण लाइसेंसिंग और अन्य विवेकाधीन नियंत्रणों को कम अथवा समाप्त करना।

(छ) देश में अनुसंधान तथा विकास सामर्थ्य को प्रोत्साहन देना और सशक्त बनाना।

(ज) भारत के वनों और वन्य-जीवन को सुरक्षित करना और संतुलित और लगातार विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक स्वस्थ पर्यावरण-प्रणाली, की परिरक्षा, सुरक्षा और संवर्धन के लिए सहायक होना; और

(झ) निर्यात एवं आयात को संचालित करने वाली प्रक्रिया को सरल एवं कारगर बनाना।

विदेश व्यापार महानिदेशालय और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों का नैटवर्क ऊपर दिए गए उद्देश्यों को पाने के लिए सभी संबंधित ऐजेन्सियों के समीप साहचार्य से मददगार, समन्वयकर्ता और निर्यात प्रोत्साहक बनेंगे।

अध्याय—तीन

परिभाषाएं

7. इस नीति के उद्देश्य के लिए, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, निम्नलिखित शब्दों और अभिव्यक्तियों के निम्नलिखित अर्थ होंगे:—

(1) "उपांग" या "संलगनी" का अर्थ है एक पूर्जा, उप-संयोजक अथवा संयोजक जो उपस्कर के मूल कार्यों को परिवर्तित किए बिना उपस्कर के एक टुकड़े की कार्यसाधकता को सहयोग देता है।

(2) "अधिनियम" का अर्थ है—विदेश व्यापार (विकास एवं विनियम) अधिनियम 1992 (1992 की संख्या 22)

(3) "वास्तविक उपयोक्ता" का अर्थ है वास्तविक उपयोक्ता जो औद्योगिक अथवा गैर-औद्योगिक हो सकता है।

(4) "वास्तविक उपयोक्ता (औद्योगिक)" का अर्थ उस व्यक्ति से है जो अपनी निजी यूनिट में विनिर्माण के लिए अथवा बाहर का ठेका लेने वाली यूनिट सहित किसी अन्य यूनिट में अपने निजी प्रयोग के लिए विनिर्माण के लिए आयातित माल का प्रयोग करता है।

(5) "वास्तविक उपयोक्ता (गैर-औद्योगिक)" का अर्थ उस व्यक्ति से है जो अपने स्वयं के इस्तेमाल के लिए आयातित सामग्री का निम्न में इस्तेमाल करता हो:—

(1) कोई भी वाणिज्यिक प्रतिष्ठान जो कोई व्यवसाय, व्यापार या पेशा कर रहा हो; या

(2) कोई भी प्रयोगशाला, वैज्ञानिक या अनुसंधान और विकास (आर एण्ड डी) संस्था, विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या अस्पताल ; या

(3) कोई भी सेवा उद्योग ।

(6) "आवेदक" का अर्थ है वह व्यक्ति जिसके पक्ष में आवेदन किया जाए और जहां संदर्भ में आवश्यकता हो, जिसमें आवेदन पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति भी शामिल है ।

(7) "पूंजीगत माल" का अर्थ है माल के, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उत्पादन के लिए या सेवा अर्पित करने के लिए अपेक्षित संयंत्र, मशीनरी, उपस्कर या उपसाधित्र जिनमें प्रतिस्थापन, आधुनिकीकरण या विस्तार के लिए अपेक्षित सामग्री भी शामिल है पूंजीगत माल में पैकेजिंग, मशीनरी और उपकरण, रिफ्रैक्टरीज, रेफ्रिजरेशन उपकरण, ऊर्जा अर्जित करने वाले सैट, मशीन टूल्स, इनिशियल चार्ज के लिए कैटालिस्ट और उपकरण और टैस्टिंग के लिए औजार, अनुसंधान और विकास, गुणवत्ता और प्रदूषण नियंत्रण भी शामिल हैं । पूंजीगत माल का, निर्माण, खनन, कृषि, जलचर पालन, पशु पालन, पुष्प पालन, बागवानी, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और रेशम-उत्पादन में और सेवा विभाग में भी उपयोग हो सकता है ।

(8) निर्यात और आयात के "सरणीबद्ध" का अर्थ है केन्द्र सरकार द्वारा नामजद की गई एजेंसियों के माध्यम से निर्यात और आयात करना ।

(9) "सक्षम प्राधिकारी" का अर्थ है—वह प्राधिकारी जो अधिनियम अथवा उसके अन्तर्गत दिए गए आदेशों अथवा इस नीति के तहत किसी अधिकार का प्रयोग करने, किसी कार्यभार अथवा कर्त्तव्य को पूरा करने के लिए सक्षम हो ।

(10) "संघटक" का अर्थ है वह उस संयोजन या संयोजन का वह पुर्जा जिससे एक विनिर्मित उत्पाद तैयार किया जाता है या जिसमें वह विघटित हो जाए और जिसमें संघटक के साथ सहायक या उपषंगी भी शामिल है ।

(11) "उपभोज्य" माल का अर्थ है कोई मद जिसको विनिर्माण प्रक्रिया में शामिल किया जाना है या जिसकी आवश्यकता होती है परन्तु जो तैयार उत्पाद का भाग नहीं होती है । मदें जिनको निर्माण के दौरान वास्तविक रूप में या पूर्णतया उपभोग कर लिया जाता है, उन्हें उपभोज्य मदें माना जाएगा ।

(12) "उपभोक्ता माल" का अर्थ खपत के उस माल से है जो आगामी संसाधन के बिना मनुष्य की आवश्यकताओं को सीधे ही पूरा करेगा और इसमें उपाभोक्ता के लिए टिकाऊ माल भी शामिल होगा ।

(13) "प्रतिसंतुलन व्यापार" (कांउटर ट्रेड) का अर्थ उस प्रक्रम से है जिसके अन्तर्गत व्यापार समझौता या अन्यथा के तहत आयात/निर्यात करने वाले देश से अथवा तीसरे देश के जरिये सीधे आयात निर्यात भारत के आयात/निर्यात से संतुलित होते हों । प्रतिसंतुलन व्यापार (कांउटर ट्रेड) के अन्तर्गत निर्यात/आयात की अनुमति एस्क्रो एकांउट, वापस खरीदने की व्यवस्था वस्तु विनिमय व्यापार या किसी ऐसी ही अन्य व्यवस्था के अन्तर्गत दी जा सकती है । ऐसा प्रतिसंतुलन पूर्णतया या आंशिक तौर पर नकद माल और/या सेवाओं के रूप में हो सकता है ।

(14) भारत में विनिर्मित और निर्यात किए गए किसी माल के संबंध में "शुल्क वापसी" का अर्थ है— किसी आयातित माल पर अथवा ऐसे माल के विनिर्माण में प्रयुक्त उत्पाद-शुल्क देय माल पर उगाहे जाने वाले शुल्क में कटौती ।

(15) "उत्पाद शुल्क देय माल" का अर्थ है—कोई माल जिसका भारत में निर्माण किया गया हो और वह केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 (1944 का एक) के तहत उत्पाद शुल्क के अधीन हो ।

(16) "निर्यातक" का अर्थ उस व्यक्ति से है जो निर्यात करता है, निर्यात करना चाहता है और जो निर्यातक-आयातक कोड नम्बर धारी हो ।

(17) "निर्यात सदन/व्यापार सदन/स्टार व्यापार सदन सुपर स्टार व्यापार सदन" का अर्थ है "निर्यातक" जिसके पास महानिदेशक विदेश व्यापार द्वारा जारी किया गया निर्यात सदन/व्यापार सदन/स्टार व्यापार सदन/सुपर स्टार व्यापार सदन प्रमाण-पत्र हो ।

(18) "निर्यात आभार" का अर्थ है लाइसेंस अथवा अनुज्ञा में शामिल उत्पाद अथवा उत्पादों का लाइसेंसिंग या सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित अथवा यथा निर्दिष्ट मात्रा, मूल्य दोनों में निर्यात करने का आभार ।

(19) "आयातक" का अर्थ उस व्यक्ति से है जो आयात करता है; आयात करना चाहता है और जो आयातक-निर्यातक कोड नम्बरधारी हो ।

(20) "जॉबिंग" का अर्थ है फुटकर काम करने वाले को आपूर्ति किया गया कच्चा माल अथवा अर्ध-परिष्कृत माल को इस प्रकार से संसाधित करना अथवा तैयार करना कि किसी माल अथवा किसी प्रक्रिया को विनिर्मित करने अथवा परिष्कृत करने की प्रक्रिया को पूरे अथवा एक भाग को प्रयोग में लाया गया हो ।

(21) "लाइसेंस" का अर्थ है अधिनियम के अधीन प्रदान किया गया ।

(22) "लाइसेंस प्राधिकारी" का अर्थ उस प्राधिकारी से है जो लाइसेंस देने के लिए सक्षम हो ।

(23) "लाइसेंसिंग वर्ष" का अर्थ उस वर्ष से है जो प्रथम अप्रैल से आरम्भ होकर आगामी वर्ष के 31 मार्च को समाप्त हो ।

(24) "विनिर्माण" का अर्थ है—विशेष नाम, गुण या उपयोग वाला नया उत्पाद जो हाथ अथवा मशीन से बनाया, उत्पन्न किया, गढ़ा गया : संयोजित किया गया, संसाधित किया गया अथवा तैयार किया गया हो । और उसमें ऐसे संसाधन शामिल है । जैसे रेफ्रिजेरेशन, पुनः पैकिंग, पौलिशिंग, लेबलिंग और अलगाव/विनिर्माण में इस नीति के उद्देश्य के लिए कृषि, जलचर पालन, पशु पालन, पुष्प पालन, बागवानी, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और रेशम-उत्पादन एवं खनन भी शामिल हैं ।

(25) "विनिर्माता निर्यातक" का अर्थ उस व्यक्ति से है जो माल का निर्माण करता है तथा उनका निर्यात करता है अथवा ऐसे माल का निर्यात करना चाहता है ।

(26) "व्यापार निर्यातक" का अर्थ उस व्यक्ति से है जो व्यापार के कार्य और निर्यात के कार्य में संलग्न हो अथवा माल निर्यात करना चाहता हो ।

(27) "अधिसूचना" का अर्थ उस अधिसूचना से है जो राजपत्र में प्रकाशित की जाए ।

(28) "आदेश" का अर्थ है अधिनियम के तहत केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया आदेश ।

(29) "पुर्जे" का अर्थ है उपसंयोजन का संयोजन का एक तत्व जो सामान्यतया स्वयं उपभोगी न हो और जो रख-रखाव के उद्देश्य के लिए आगे से असंयोजन के लिए संशोधन करने के योग्य न हो । "पुर्जा" एक संघटक अथवा उपसाधक हो सकता है ।

(30) "व्यक्ति" का अर्थ है एक व्यक्ति फर्म, सोसायटी, कम्पनी, कार्पोरेशन अथवा अन्य कोई वैध व्यक्ति ।

(31) "नीति" का अर्थ समय-समय पर यथासंशोधित निर्यात-आयात नीति, 1992--97 से है ।

(32) "निर्धारित" का अर्थ है विदेश व्यापार (विकास और विनियम) अधिनियम, 1992 अथवा इसके तहत अथवा नीति के अन्तर्गत बनाये गए नियम और आदेश

(33) "सार्वजनिक" सूचना जनता की सूचना के लिए नीति के तहत प्रकाशित सूचना ।

(34) "कच्ची सामग्री" का अर्थ है—

(1) मूल सामग्री जिसकी माल के विनिर्माण में आवश्यकता होती है, परन्तु वह कच्ची स्वाभाविक, अपरिष्कृत अथवा अविनिर्मित अवस्था में हो ।

(2) किसी विनिर्माता के लिए वह सामग्री या माल जिसकी उसे विनिर्माण प्रक्रिया में आवश्यकता होती हो, चाहे वह सामग्री या माल वास्तव में पहले से विनिर्मित हो या उनको संसाधित किया जाए या वह अब भी कच्ची या स्वाभाविक अवस्था में हो ।

(35) "पंजीकरण-सह-सदस्यता प्रमाण पत्र" (आर सी एम सी) का तात्पर्य अध्याय 13 में सूचीबद्ध किसी निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा प्रदान की गई सदस्यता तथा पंजीकरण प्रमाण-पत्र से है ।

(36) "नियमों" का अर्थ है अधिनियम के खण्ड 19 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियम ।

(36क) "सेवा प्रदान करने वाला" का अर्थ है व्यक्ति जो प्रदान करता है :—

(क) भारत से किसी और देश के लिए सेवा प्रदान करता है ;

(ख) भारत में किसी और देश? के उपभोक्ता को भारत से प्रदान की गई सेवा की आपूर्ति ; और

(ग) भारत से किसी अन्य देश की धरती पर व्यापारिक उपस्थिति द्वारा सेवा की आपूर्ति ।

(36ख) "सेवा" में कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर भी शामिल हैं ।

(37) "अतिरिक्त पुर्जों" का तात्पर्य प्रतिस्थापन के लिए किसी उप-असेम्बली या असेम्बली के अर्थात् किसी समान या एक ही तरह के भाग या उप-असेम्बली या असेम्बली के स्थान पर रखे जाने वाले किसी भाग से है । अतिरिक्त पुर्जे में संघटक या सहायक उपकरण शामिल होते हैं ।

(38) "विनिर्दिष्ट" का तात्पर्य इस नीति के प्रावधानों द्वारा या के तहत विनिर्दिष्ट से है ।

(39) "वन्य प्राणी" का अर्थ है वह अन्य प्राणी जो वन्य प्राणी (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के खण्ड 2(36) में परिभाषित हैं ।

अध्याय—चार

निर्यात एवं आयात से संबंधित सामान्य प्रावधान

विनियमित होने की स्थिति के अतिरिक्त स्वतंत्र रूप से निर्यात एवं आयात

8. इस नीति के प्रावधानों अथवा देश के अन्य सम्बद्ध कानूनों द्वारा विशेषतया विनियमित को छोड़कर समस्त निर्यात एवं आयात मुक्त होगा ।

विनियमन का प्रकार

9. केन्द्र सरकार लोकहित में आयात अथवा निर्यात किए जाने वाले माल को आयात के लिए निषेधात्मक सूची अथवा निर्यात के लिए निषेधात्मक सूची, जैसा कि मामला हो, के द्वारा विनियमित करेगी ।

निषेधात्मक सूचियां

10. निषेधात्मक सूचियों में आयात अथवा निर्यात किए जाने वाला वह माल है जो लाइसेंसिंग द्वारा अथवा अन्यथा रूप से अथवा सरणीबद्ध रूप से प्रतिबंधित है । आयात की निषेधात्मक सूची तथा निर्यात की निषेधात्मक सूची इस नीति में दी गई अनुसार होगी ।

निषिद्ध माल

11. निषिद्ध माल का आयात अथवा निर्यात नहीं किया जाएगा ।

लाइसेंसिंग

12. कोई भी माल जिसका निर्यात अथवा आयात लाइसेंसिंग के द्वारा प्रतिबंधित किया गया है । इसके लिए जारी किए गए लाइसेंस के अनुसार ही निर्यात अथवा आयात किया जा सकेगा ।

शर्तें

13. लाइसेंस पर शर्तें लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा यथा विनिर्दिष्ट होगी तथा इसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगी :—

(क) माल की मात्रा विवरण एवं मूल्य ;

(ख) वास्तविक उपभोक्ता शर्त, यदि कोई हो ;

(ग) निर्यात आभार, यदि कोई है ;

(घ) प्राप्त किया जाने वाला मूल्य संयोजन, यदि कोई है ;

(ङ) न्यूनतम निर्यात मूल्य यदि कोई है ; और

(च) उद्गम का देश अथवा मदों का विवरण ।

वैधता की अवधि

14. प्रत्येक लाइसेंस, लाइसेंस में विशिष्टीकृत अवधि तक वैध होगा ।

लाइसेंस अधिकार नहीं

15. अधिनियम के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बने नियमों के अनुसार कोई भी व्यक्ति लाइसेंस को अधिकार समझकर नहीं ले सकता तथा महानिदेशक, विदेश व्यापार लाइसेंस या प्राधिकारी लाइसेंस देने से इंकार करने का अधिकार रखता है ।

प्रक्रिया

16. महानिदेशक, विदेश व्यापार किसी एक मामले में अथवा मामलों की श्रेणी में किसी भी आयातक अथवा निर्यातक या अन्य लाइसेंसिंग सक्षम अथवा अन्य प्राधिकारी इस अधिनियम के प्रावधानों, इसके अधीन बने आदेश तथा इस नीति को लागू करने के उद्देश्य से कोई विशेष प्रक्रिया निर्धारित कर सकता है ।

सरणीबद्ध

17. कोई भी मद जिसका आयात अथवा निर्यात सरणीबद्ध किया गया है, निषेधात्मक सूची में विशिष्टीकृत सरणीबद्ध अभिकरण द्वारा आयात अथवा निर्यात किया जाएगा । तथापि, केन्द्र सरकार सरणीबद्ध मद के लिए आयात अथवा निर्यात के लिए किसी अन्य व्यक्ति को लाइसेंस दे सकती है ।

आयातक-निर्यातक कोड नम्बर

18. इस नीति के किसी अन्य प्रावधान द्वारा विशेषतया प्राप्त छूट के अतिरिक्त आयातक-निर्यातक कोड नम्बर (आई०ई०सी०) के बिना कोई भी व्यक्ति निर्यात अथवा आयात नहीं कर सकेगा ।

कानून का अनुपालन

19. प्रत्येक निर्यातक या आयातक को आयात एवं निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947, इसके अन्तर्गत बनाए गए आदेशों, इस नीति के प्रावधानों तथा उसको दिए गए लाइसेंस की शर्तों का अनुपालन करना होगा ।

नीति का स्पष्टीकरण

20. इस नीति में दिए गए किसी भी प्रावधान के स्पष्टीकरण के बारे में यदि किसी भी प्रकार का प्रश्न अथवा शंका उत्पन्न होती है तो ऐसे प्रश्न अथवा शंका को महानिदेशक, विदेश व्यापार को भेजा जाएगा तथा उसका निर्णय अंतिम व बाध्य होगा । संदेहों को दूर करने के लिए एतद्द्वारा यह घोषणा की जाती है कि यदि यह प्रश्न उठता है कि क्या लाइसेंस नीति के अनुसार जारी किया गया है

अथवा लाइसेंस की सीमा और अंश के बारे में कोई प्रश्न उठता है तो ऐसे प्रश्न को निर्णय हेतु महानिदेशक, विदेश व्यापार के पास भेज दिया जाएगा ।

नीति/प्रक्रिया में ढील

21. इस नीति अथवा प्रक्रिया में ढील प्राप्त करने के अनुरोध को, आवेदक की वास्तविक कठनाई अथवा नीति या प्रक्रिया को कड़ाई से लागू करने पर व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना पर, महानिदेशक, विदेश व्यापार को आवश्यक ढील के लिए भेजा जाए तथा उस पर महानिदेशक, विदेश व्यापार जैसा उचित समझे, ऐसा आदेश पारित कर सकते हैं ।

पड़ोसी देशों के साथ व्यापार.

21क. पड़ोसी देशों के साथ व्यापार के मामले में, महानिदेशक, विदेश व्यापार समय-समय पर, आवश्यकता पड़ने पर अनुदेश जारी कर सकते हैं ।

ऋण की पुनः अदायगी के तहत रूस के साथ व्यापार

21ख. ऋण की पुनः अदायगी करार के तहत रूस के साथ व्यापार के मामले में, महानिदेशक, विदेश व्यापार समय-समय पर आवश्यकता पड़ने पर अनुदेश जारी कर सकते हैं अथवा स्कीमें बना सकते हैं । तथा इस नीति में दिया गया कुछ भी, जो इन अनुदेशों अथवा स्कीमों के अनुरूप नहीं है, लागू नहीं होगा ।

निजीबद्ध गोदाम

21ग. घरेलू टैरिफ क्षेत्र में निजीबद्ध गोदाम बनाए जा सकते हैं । कोई भी व्यक्ति उन वस्तुओं का आयात कर सकता है जो मुक्त रूप से आयात योग्य हैं अथवा जिन्हें विशेष आयात लाइसेंस (एस आई एल) के मद्दे आयात किया जा सकता है तथा उन्हें ऐसे निजीबद्ध गोदामों में रख सकता है । ऐसी वस्तुओं को इस नीति के प्रावधानों के अनुसार और जहां कहीं जरूरी हो लाइसेंस के मद्दे घरेलू खपत के लिए जारी किया जा सकता है जारी करने के समय लागू होने वाले सीमा-शुल्क भी अदा किए जाएंगे ।

एक वर्ष की अवधि अथवा उस बढ़ी हुई अवधि के बाद जिसकी मंजूरी सीमाशुल्क प्राधिकारी दें, वस्तुओं का आयातक, यदि वह घरेलू खपत हेतु वस्तुओं को जारी नहीं करता तो, इस नीति के प्रावधानों के अनुसार और जहां कहीं जरूरी हो लाइसेंस के मद्दे वस्तुओं का पुनः निर्यात कर सकता है ।

हरा चैनल सुविधा

21घ. महानिदेशक, विदेश व्यापार, सीमाशुल्क प्राधिकारियों के साथ विचार-विमर्श से, आयातकों और निर्यातकों की कतिपय श्रेणियों को हरा चैनल सुविधा प्रदान करने के लिए स्कीम अधिसूचित कर सकते हैं ताकि सीमा-शुल्क प्राधिकारी आयातकों और निर्यातकों की वस्तुओं की निकासी तीव्रता से सुनिश्चित कर सकें । स्कीम में निम्नलिखित बातें हो सकती हैं :—

(क) स्कीम के लाभों को उठाने के लिए पात्रता की शर्तें ;

(ख) आयातक/निर्यातक द्वारा लाइसेंसिंग प्राधिकारियों के पास किए गए सभी आवेदनों का तीव्रता से निपटान ;

(ग) बैंकों से अधिमान्य ऋण और अन्य सुविधाएं प्राप्त करना ;

(घ) निर्यात ऋण प्रतिभूति निगम (ईसी जीसी) और इस प्रकार की एजेंसियों से बीमा कवर प्राप्त करना ;

(ङ) आयातित/निर्यातित वस्तुओं के विवरण, मात्रा और मूल्य से संबंधित मूल बंदरगाह पर विनिर्दिष्ट एजेंसियों अथवा प्राधिकारियों द्वारा पोतलदान पूर्व निरीक्षण और प्रमाणन ; और

(च) आयात/निर्यात सरलीकरण से संबंधित कोई अन्य मामला ।

अध्याय पांच

आयात

मुक्त आयात

22. पूंजीगत माल, कच्चे माल, मध्यस्थों, संघटकों, उपभोज्य पदार्थों, अतिरिक्त पुर्जों, उपसाधित्रों, यंत्रों और अन्य माल का आयात बिना किसी प्रतिबंध के किया जा सकता है जब तक कि उनका आयात, आयात की निषेधात्मक सूची या इस नीति के किसी अन्य प्रावधान या उस समय के लिए किसी अन्य लागू कानून द्वारा नियंत्रित न हो ।

वास्तविक प्रयोक्ता शर्तें

23. पूंजीगत माल, कच्चा माल, मध्यस्थ, संघटक, उपभोज्य पदार्थ अतिरिक्त पुर्जे, उपसाधित्र, यंत्र और अन्य सामान जिनके आयात पर प्रतिबंध नहीं है उनका आयात किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है चाहे वह वास्तविक प्रयोक्ता हो अथवा नहीं तथापि, यदि इनके आयात के लिए लाइसेंस की जरूरत हो, तो केवल वास्तविक प्रयोक्ता ही ऐसे माल का आयात तब तक कर सकता है जब तक कि लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा बंद न किया जाए ।

पुरानी पूंजीगत वस्तुओं का लाइसेंस के बिना आयात

25. सभी पुरानी पूंजीगत वस्तुओं, जिनका न्यूनतम शेष जीवन 5 वर्ष का हो, लाइसेंस के बिना वास्तविक प्रयोक्ता द्वारा आयात की जा सकती है ; वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के साथ वस्तुओं की निकासी के समय वास्तविक प्रयोक्ता सीमाशुल्क प्राधिकारियों के पास प्रक्रिया पुस्तक के परिशिष्ट-II में दिए गए निर्धारित फार्म में इस आशय की स्व-घोषणा

करेंगे कि आयात की जाने वाली पुरानी वस्तुओं का न्यूनतम शेष जीवन पांच वर्ष है । यदि आयात की जाने वाली पुरानी वस्तुओं का लागत बीमा भाड़ा मूल्य रुपए एक करोड़ और उससे अधिक है तो वस्तुओं की निकासी के समय इस बारे में आयातक सीमाशुल्क प्राधिकारी के पास प्रक्रिया पुस्तक के परिशिष्ट-11 क में यथानिर्दिष्ट उनकी शाखाओं सहित किसी निरीक्षण और प्रमाणन एजेंसी से प्राप्त इस आशय का एक प्रमाणपत्र पेश करेंगे कि खरीद मूल्य उचित है ।

पुराना माल

29. पूंजीगत माल को छोड़कर सभी पुराने माल का आयात केवल इस संबंध में जारी किए गए किसी लाइसेंस अथवा सार्वजनिक सूचना के अनुसार ही किया जा सकता है ।

पुनः निर्यात आधार पर आयात

30. नए अथवा पुराने जग्स, फिक्सचर्स, डाईज और पैटर्नस (कन्टूर रोलर डाईज सहित), माउल्डस (डाई-कास्टिंग के लिए माउल्ड्स सहित) और मुद्रण औजार ; और निर्माण मशीनरी तथा अन्य उपस्करों के लिए सीमाशुल्क प्राधिकारियों की संतुष्टि के अनुसार बंधपत्र/बैंक गारंटी देने पर मरम्मत के लिए पूंजीगत माल का आयात किया जा सकता है । ऐसी वस्तुओं का न्यूनतम शेष जीवन पांच वर्ष होना जरूरी नहीं है ।

विदेश में मरम्मत कार्य और बिना लाइसेंस पुनः आयात

31. आयातित अथवा स्वदेशी जहाज समेत, पूंजीगत वस्तुओं के संघटक अतिरिक्त पुर्जे और एक्सेसरीज, चाहे आयातित हो या स्वदेशी, मरम्मत, परीक्षण, क्वालिटी सुधार अथवा तकनालॉजी के संवर्धन हेतु लाइसेंस के बिना विदेश भेजे जा सकते हैं लेकिन शर्त यह होगी कि पुनः आयात की जाने वाली वस्तुएं वही होनी चाहिए जिनका निर्यात किया गया था ।

प्रयुक्त मशीनरी और उपस्कर का आयात

33. विदेश में परियोजनाओं के पूरा हो जाने के बाद परियोजना ठेकेदार विदेशी परियोजना के लिए क्रय और इस्तेमाल का साक्ष्य प्रस्तुत करने के आधार पर बिना लाइसेंस के प्रयुक्त निर्माण उपस्कर, मशीनरी, संबंधित अतिरिक्त पुर्जे ऐसी मशीनरी के लागत बीमा भाड़ा मूल्य के 15% तक औजार तथा सहायक, करण आयात कर सकते हैं । विदेश में परियोजनाओं के पूरा होने के बाद प्रयुक्त कार्यालय उपस्कर तथा वाहन भी बिना लाइसेंस के आयात किए जा सकते हैं लेकिन शर्त यह होगी कि इनका कम से कम एक वर्ष तक इस्तेमाल किया जा चुका हो ।

उपहारों का आयात

34. उपहारों के आयात की अनुमति इस समय लागू असबाब नियमावली के अनुसार दी जाएगी । इस नीति के तहत वस्तुओं का आयात, जो कि अन्यथा मुक्त रूप से आयात योग्य है, भी सीमाशुल्क निकासी परमिट (सी सी पी) के बिना उपहारों के आयात के तौर पर अनुमित होगा । आवेदन करने पर लाइसेंसिंग प्राधिकारी, द्वारा मामले के गुणावगुण पर विचार करने के बाद आवश्यकता अनुसार सीमाशुल्क निकासी परमिट जारी किया जा सकता है ।

यात्री का असबाब

34क. वास्तविक घरेलू वस्तुओं और निजी सामान को यात्री के निजी सामान के तौर पर आयात किया जा सकता है ।

समुद्र में बिक्री

35. भारत में आयात हेतु समुद्र में वस्तुओं की बिक्री इस नीति अथवा इस समय प्रभावी किसी अन्य नियम के मद्दे की जा सकती है ।

अध्याय—छः

निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल स्कीम

स्कीम

37. निर्यात संवर्धन पूजीगत माल (ई पी सी जी) स्कीम के अन्तर्गत लाइसेंस से पूंजीगत माल का आयात किया जा सकता है ।

रियायती शुल्क पर आयात

38. नीचे दी गई तालिका के अनुसार रियायती दरों पर पूजीगत वस्तुओं (अतिरिक्त हिस्से पुर्जों सहित, पूंजीगत वस्तुओं के लागत बीमा भाड़ा मूल्य के 20% तक) का आयात किया जा सकता है बशर्ते निर्यात आभार समय पर पूरा कर लिया गया हो । निर्यात आभार पूरा करने की अवधि आयात लाइसेंस जारी होने की तारीख से शुरू हो जाएंगी :—

शुल्क	निर्यात आभार	अवधि
15% लागत बीमा भाड़ा मूल्य	4 गुना लागत बीमा भाड़ा मूल्य	5 वर्ष
शून्य शुल्क (लागत बीमा भाड़ा मूल्य 20 करोड़ रुपए या अधिक होने के मामले में)	6 गुना लागत बीमा भाड़ा मूल्य	8 वर्ष

निर्यात आभार जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के आधार पर होगा । तथापि, शून्य आयात शुल्क के मामले में, लाइसेंस

निर्यात आभार जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के आधार पर होगा। तथापि, शून्य आयात शुल्क के मामले में लाइसेंस धारक निर्यात आभार पूरा करने के लिए एन. एफ. ई. आधार पर पूंजीगत वस्तुओं के जहाज पर्यन्त निः शुल्क मूल्य के 4 गुना निर्यात 8 वर्षों के भीतर कर सकता है। इस नीति के पैरा-ग्राफ 138 के प्रावधान एन एफ ई. आधार पर निर्यात आभार की गणना हेतु लाग होंगे।

पात्रता

39. किसी विनिर्माता निर्यातक को इस स्कीम के तहत पूंजीगत माल का आयात करने का पात्र तभी माना जाएगा यदि वहां कम से कम तीन वर्ष से नियमित रूप से निर्यातकर रहा हो फिर भी, इस स्कीम के तहत पूंजीगत माल का आयात करने की अनुमति अन्य विनिर्माता निर्यातकों को गुण-दोष के आधार पर दी जाएगी, जो नए निर्यातक है अथवा जिनका निर्यात निष्पादन तीन वर्ष से कम अवधि का हो। इस स्कीम के अंतर्गत परीक्षण उपकरण, अनुसंधान एवं विकास उपकरण और पैकेजिंग मशीनरी तथा ऐसी अन्य मशीनरी या उपस्कर जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाए, का भी आयात किया जा सकता है।

पुरानी मशीनरी आयात करने के लिए शर्तें

40. स्कीम के तहत पूंजीगत वस्तुओं का आयात वास्तविक उपयोक्ता शर्त के अधीन होगा जब तक कि निर्यात आभार पूरा नहीं हो जाता। स्कीम के तहत नई और पुरानी दोनों पूंजीगत वस्तुओं का आयात किया जा सकता । पुरानी पूंजीगत वस्तुओ के मामले में, आयातक माल की निकासी के समय सीमाशुल्क पर प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 के परिशिष्ट 2 में दिए गए प्रपत्र में इस आशय की घोषणा प्रस्तुत करेगा कि जिन पुरानी पूंजीगत वस्तुओं का आयात किया जा रहा है उनकी न्यूनतम शेष अवधि 5 वर्ष है। तथापि, यदि पुरानी पूंजीगत वस्तुओं का लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य 1 करोड़ रु० और इससे अधिक है तो आयातक प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 के परिशिष्ट II-क में यथा निर्धारित निरीक्षण एवं प्रमाणन अभिकरणों उनकी सभी शाखाओं सहित, में से किसी से इस तथ्य के सत्यापन संबंधी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा कि पूंजीगत वस्तुओं की शेष अवधि और लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य में यथा-प्रतिबिम्बित खरीद मूल्य युक्तियुक्त है शून्य शुल्क आयातों के मामले में पुरानी पूंजीगत वस्तुओं का न्यूनतम शेष जीवन का 10 वर्ष होगा। लाइसेंसिंग प्राधिकारी अलग-अलग मामलों में ऐसी शर्तें भी निर्धारित कर सकते हैं जैसी वे उचित समझें।

निर्यात आभार

निर्यात आभार

41. स्कीम के अंतर्गत निर्यात आभार पूरा करने के लिए निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी :—

(1) स्कीम के अन्तर्गत आयातित पूंजीगत वस्तुओं के उपयोग द्वारा विनिर्मित या उत्पादित वस्तुओं के निर्यात द्वारा निर्यात आभार पूरा किया जाएगा।

(2) आयातक के नाम में निर्यात सीधा निर्यात होगा। तथापि आयात तीसरी पार्टी के माध्यम से निर्यात कर सकता है बशर्ते आयातक/लाइसेंस-धारक का नाम शिपिंग बिल में बताया जाए। यदि व्यापारी निर्यातक, आयातक है तो, निर्माता का नाम भी शिपिंग बिल में बताया जाए;

(3) निर्यात लाभ, मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में प्राप्त होंगे;

(4) निर्यात वास्तव में निर्यात होंगे। अभिग्रहीत निर्यात, निर्यात आभार को पूरा करने के लिए ध्यान में रखा जाएगा किन्तु लाइसेंसधारक ऐसे अभिग्रहीत निर्यातों के संबंध में इस नीति के पैरा 122 के अधीन किसी भी लाभ का दावा करने का हकदार नहीं होगा।

(5) निर्यात आभार, आयातक द्वारा लिए गए किसी अन्य निर्यात आभार के अतिरिक्त होगा तथा विगत तीन लाइसेंसिंग वर्षों में उसके द्वारा प्राप्त किए गए उसी उत्पाद के निर्यातों के औसत स्तर से ज्यादा होगा। यदि निर्यातक संबंधित निर्यात उत्पाद के उत्पादन के वार्षिक मूल्य के 75% निर्यात कर लेता है तो, इस स्कीम के अधीन निर्यात आभार निर्यात के अंतर्गत शामिल कर लिया जाएगा; बशर्ते तथापि विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान ऐसे निर्यातों का कुल मूल्य, इस नीति के पैराग्राफ 38 के अंतर्गत निर्धारित निर्यात आभार के कुल मूल्य से कम नहीं होगा।

(6) जहां विनिर्माता निर्यातक ने उसी निर्यात के लिए इस स्कीम और शुल्क मुक्त स्कीम दोनों के अंतर्गत लाइसेंस लिए हैं; शुल्क मुक्त स्कीम के तहत किए वास्तविक निर्यात इस स्कीम के तहत निर्यात आभार को पूरा के लिए भी गिना जाएगा और

(7) कम्प्यूटर साफ्टवेयर के मामले में, निर्यात आभार का निर्धारण इस नीति के पैराग्राफ 38 के अनुसार किया जाएगा परन्तु यह शर्त कि निर्यात विगत तीन लाइसेंसिंग वर्षों में निर्यातों के औसत स्तर से ज्यादा होगा लागू नहीं होगा।

अध्याय 6-क

सेवा क्षेत्र के लिये निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल स्कीम

हटा दिया गया।

अध्याय—सात

शुल्क मुक्त स्कीम

शुल्क मुक्त स्कीम

47. शुल्क मुक्त स्कीम के अंतर्गत निर्यात उत्पादन के उद्देश्य के लिय शुल्क मुक्त कच्चे माल, संघटकों, मध्यस्थों, उपभोज्य पुर्जों, अतिरिक्त पुर्जों, जरूरी स्पेयर्स (जो लाइसेंस के लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य का 5 प्रतिशत से अधिक न हो, पैकिंग सामग्रियों और कम्प्यूटर साफ्टवेयर (जिसे इसके बाद से "इनपुटस" कहा जायगा) जो निर्यात किय जाने वाले उत्पाद के लिए अपेक्षित हैं, के लिए इस अध्याय में उल्लिखित लाइसेंसों की श्रेणियों के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा संसाधित और निर्यात किए जाने हेतु शुल्क मुक्त रूप से अनुमति दी जायेगी ।

तथापि ऐसे निवेशों के लिए आयात के समय अतिरिक्त सीमाशुल्क का भुगतान किया जायेगा । उक्त अतिरिक्त सीमाशुल्क का निम्न रीति से समायोजन किया जायेगा ।

(क) यदि आयातक निर्यात के माल के उत्पादन हेतु निवेश का इस्तेमाल करता है, जिसके लिए अन्यथा उत्पादन शुल्क देना आवश्यक है, तो वह इस प्रकार प्रदत्त अतिरिक्त सीमाशुल्क के संबंध में मोडवेट ऋण का लाभ, उसकी फैक्टरी में उक्त निवेश के तत्काल पहुंचने पर, उठा सकता है ।

(ख) यदि आयातक, निर्यात के माल के उत्पादन के लिए निवेश का इस्तेमाल करता है, जो अन्यथा उत्पाद शुल्क से मुक्त है या जो मोडवेट लाभ पाने के योग्य नहीं हैं, तो वह इस प्रकार प्रदत्त अतिरिक्त सीमाशुल्क के संबंध में अपनी फैक्टरी में आ रहे निवेश को तत्काल बाद ड्रा बैक (वापसी) का दावा कर सकता है ।

(ग) यदि आवश्यक उत्पाद शुल्क के माल पर घरेलू बिक्री क्षेत्र (डी टी ए) में निर्माण और बिक्री हेतु निवेश का इस्तेमाल करता है तो इस प्रकार प्रदत्त अतिरिक्त सीमाशुल्क के संबंध में फैक्टरी के गेट से उक्त उत्पाद शुल्क माल के जाने ही मोडवेट के लिये दावा कर सकता है ।

(घ) यदि आयातक घरेलू बिक्री क्षेत्र के माल के निर्माण और बिक्री के लिये निवेश का इस्तेमाल करता है जिस पर सीमाशुल्क नहीं लगता है और जो मोडवेट लाभ के लिये पात्र नहीं है तो वह इस प्रकार प्रदत्त अतिरिक्त सीमाशुल्क हेतु किसी किस्म की छूट और समायोजन का पात्र नहीं होगा ।

ऊपर उल्लिखित किसी भी बात के बावजूद, 1-4-1996 को या उसके बाद दिये गए आवेदन पत्रों पर, डी०ई०ई०सी० पर पृष्ठांकित सहायक विनिर्माता (ओं) के नाम के साथ व्यापारी निर्यातकों की वास्तविक उपयोक्ता शर्त के साथ जारी मात्रा आधारित अग्रिम लाइसेंसों के संबंध में अतिरिक्त सीमाशुल्क के भुगतान से छूट की अनुमति होगी ।"

अग्रिम लाइसेंस

48. शुल्क मुक्त आयात करने के लिये अग्रिम लाइसेंस दिए जायेंगें । निविष्टियों के ऐसे लाइसेंस, लाइसेंस जारी करने की तारीख को निर्धारित समयबद्ध निर्यात आधार को पूरा करने तथा मूल्य संयोजन की शर्त जो भी निर्धारित की गई हो, के अधीन न होंगे । अग्रिम लाइसेंस या तो मूल्य आधारित होंगे अथवा मात्रा पर आधारित होंगे :

शुल्क मुक्त स्कीम के अंतर्गत जारी किए गए लाइसेंस मुक्त परिवर्तनीय मुद्रा में विनियमित किए जायेंगे । लाइसेंसों में निर्यातों का पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य और आयातों का लागत बीमा भाड़ा मूल्य मुक्त परिवर्तनीय मुद्रा में निर्दिष्ट किया जायेगा । लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य लाइसेंस जारी करने की तारीख को विनिमय दर पर कोष्ठक में भारतीय रुपयो में विनिर्दिष्ट किया जायेगा ।

तथापि अग्रिम इन्टरमीडिएट लाइसेंस और विशेष अग्रदाय लाइसेंस के मामले में जहां सप्लाई की गई, किए गए माल का भुगतान भारतीय रुपयों में प्राप्त किया जायेगा वहां पोत प्रर्यन्त निशुल्क मूल्य भारतीय रुपयों में विनिर्दिष्ट होगा और आयातों का लागत बीमा भाड़ा मूल्य इन लाइसेंसों पर मुक्त परिवर्तनीय मुद्रा में विनिर्दिष्ट होगा ।

मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंस

49. मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत लाइसेंस में विनिर्दिष्ट किसी भी निवेश का उन निवेशों के लिये उल्लिखित समग्र लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य के भीतर आयात किया जा सकता है । इसमें संवेदनशील मदों के रूप मे विनिर्दिष्ट निवेश शामिल नहीं है । यदि किसी संवेदनशील मद का आयात नहीं किया जाता है तो उक्त मद के सामने उल्लिखित मूल्य का गैर-संवेदनशील मदों के आयात के लिये इस्तेमाल किया जा सकता है । एक संवेदनशील मद का आयात केवल लाइसेंस में विनिर्दिष्ट मात्रा या मूल्य की सीमा तक किया जा सकता है । तथापि, आयातक को संवेदनशील मद के मद्दे 20 प्रतिशत की सीमा तक उल्लिखित मात्रा या मूल्य के लिये, जैसी भी स्थिति हो, लाइसेंस के समग्र लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य की शर्त पर उल्लिखित मात्रा या मूल्य सीमा से अधिक संवेदनशील मद के आयात की नम्यता की जायेगी ।

तथापि मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत प्राप्त किया जाने वाला निर्यात का दोनों मात्रा और पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य विनिर्दिष्ट होगा ।

मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंस

मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंस में निम्नलिखित विशिष्टीकृत होगा :—

(क) आयात और निर्यात की जाने वाली मदों के नाम और विवरण

(ख) आयात का लागत बीमा भाड़ा मूल्य

(ग) निर्यात उत्पाद का जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य और

(घ) संवेदनशील मदों के बारे में, अथवा जहां सक्षम प्राधिकारी ऐसा करना आवश्यक समझें, प्रत्येक संवेदनशील मद की मात्रा एवं लागत-बीमा भाड़ा मूल्य का उल्लेख भी लाइसेंस में निर्धारित किया जायेगा।

मात्रा पर आधारित अग्रिम लाइसेंस

50. मात्रा पर आधारित अग्रिम लाइसेंस में निम्नलिखित विनिर्दिष्ट होगा :—

(क) आयात एवं निर्यात किये जाने वाली मदों के नाम व विवरण

(ख) आयात की जाने वाली प्रत्येक मद की मात्रा अथवा यदि मात्रा का उल्लेख न किया जा सकता हो तो उस मद का मूल्य

(ग) आयात किए जाने वाली मद का लागत बीमा-भाड़ा मूल्य

(घ) निर्यात की मात्रा और जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य और

(ङ) मूल्य संयोजन

निवेश उत्पाद और मूल्य संयोजन मानदण्ड

51. दोनों मूल्य आधारित और मात्रा आधारित अग्रिम लाइसेंस देने के लिए आयात निर्यात के मानक निवेश उत्पाद मानदण्ड और मूल्य आधारित लाइसेंसों के लिये मूल्य संयोजन मानदण्ड महानिदेशक, विदेश व्यापार द्वारा प्रकाशित प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड–2) के अनुसार होंगे। तथापि मात्रा आधारित अग्रिम लाइसेंसों के संबंध में जिनके लिये ऐसे मानक निवेश उत्पाद मानदण्ड प्रकाशित नहीं किये गए हैं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा विनिर्दिष्ट मात्रात्मक मानदण्ड रखे जायेंगे।

52. विशेष अग्रदाय लाइसेंसिंग समिति की सिफारिश पर महानिदेशक, विदेश व्यापार अतिरिक्त मदों के लिये मानदण्ड निर्धारित कर सकते हैं या उनमें संशोधन कर सकते हैं।

विशेष स्कीमें

53. महानिदेशक, विदेश व्यापार ग्रांड बैन्डिंग मूल्य संयोजन या आयातों की शर्त के अनुरूप निर्यातकों की अधिकाधिक नम्यता प्रदान करने के लिये निर्यात उत्पादों की की एक श्रेणी या ग्रुप के लिये मात्रा या मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंसों के लिए आवश्यक समझी जाने वाली शर्त सहित सार्वजनिक सूचना द्वारा एक विशेष स्कीम प्रकाशित करेंगे।

पास बुक स्कीम

54. निर्यातकों की कुछ श्रेणियों के लिये एक पास बुक स्कीम उपलब्ध होगी। एक विनिर्माता-निर्यातक या एक निर्यातक जिसे निर्यात सदन/व्यापार सदन/स्टार सदन/सुपर स्टार सदन प्रमाणपत्र दिया गया है इस पास बुक स्कीम का लाभ उठा सकता है। वह पास बुक जारी करने के लिए निर्धारित प्रपत्र में नामजद प्राधिकारी को आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। नामजद प्राधिकारी यथानिर्दिष्ट ऐसे मामलों पर विचार करने के बाद आवेदक को पास बुक जारी कर सकता है। पास बुक स्कीम केवल निर्यात उत्पादों के लिये लागू होगी जहां मानक निवेश/उत्पाद मानदण्ड प्रकाशित किये गये हैं। महानिदेशक, विदेश व्यापार एक नामजद प्राधिकारण को नियुक्त करेंगे जो दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास तथा ऐसे अन्य सीमाशुल्क कार्यालय जो इस बारे में उनके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जायेंगे में उप-महा-निदेशक के ओहदे से कम नहीं होंगे। यह नामजद प्राधिकारी पासबुक योजना से संबंधित मामलों में सक्षम प्राधिकारी होगा और वह सीमाशुल्क समाहर्ता के नियोजन में समग्र कार्य करेगा।

"पासबुक धारक द्वारा माल का निर्यात करने पर नामजद प्राधिकारी प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड–2) में पैकिंग मैटीरियल के लिए सामान्य टिप्पणी में यथा-उल्लिखित पैकिंग मैटीरियल उक्त निर्यात का माना गया आयात अंश और ऐसे आयात पर मानक निवेश/उत्पादन मानदण्ड के आधार पर अदा किये जाने वाले आधारभूत सीमाशुल्क को तय करने के लिये गणना करेगा। वह पास बुक में उक्त राशि क्रेडिट करेगा। पासबुक धारक द्वारा किये गए आयातों पर ऋण का इस्तेमाल मूल आयातित माल पर मूल सीमाशुल्क का भुगतान करने के लिए किया जायेगा। भुगतान नामजद प्राधिकारी द्वारा पासबुक में डैबिट प्रविष्टि करके किया जायेगा। पासबुक धारक को अतिरिक्त सीमा-शुल्क की अदायगी पासबुक के अधीन उपलब्ध क्रेडिट के मद्दे उसके समायोजन के बदले नकद करने का भी विकल्प होगा। निर्यात का माल निवेश के लिए जिस पर पासबुक में से क्रेडिट लिया जाता है, शुल्क वापसी के योग्य नहीं माना जायेगा। आयात और निर्यात उसी पत्तन से किया जायेगा। कोई भी माल जो आयात की निषेधात्मक सूची में शामिल नहीं है इस स्कीम के अधीन आयात किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, पासबुक के अधीन उपलब्ध क्रेडिट का उपयोग भी मुक्त रूप से हस्तान्तरणीय विशेष आयात लाइसेंसों के मुद्दे प्रक्रिया पुस्तक के परिशिष्ट 35 के अधीन अनुमति माल का आयात करते हुए सीमाशुल्क की अदायगी के लिए किया जा सकता है। यह पास-बुक जारी करने की तारीख से दो वर्षों के लिए वैध होगी और समय-समय पर इसका नवीकरण किया जायेगा। उपरोक्त किसी बात के होते हुए भी महानिदेशक विदेश व्यापार समय-समय पर निर्दिष्ट करके पासबुक स्कीम से किसी भी श्रेणी अथवा वर्ग के माल के प्रचालन को बन्द कर सकते हैं।

अग्रिम मध्यवर्ती लाइसेंस

55. मध्यवर्ती निर्माता द्वारा निवेश के शुल्क मुक्त आयात के लिए एक अग्रिम मध्यवर्ती लाइसेंस अंतिम निर्माता को या पात्र अभिगृहीत निर्यातक को जो पात्र शुल्क मुक्त स्कीम के अंतर्गत आता है, सप्लाई करने के लिये दिया जाता है । मध्यवर्ती लाइसेंस धारक एक विनिर्दिष्ट अवधि के अंदर शुल्क मुक्त योजना के तहत लाइसेंसधारी को सप्लाई करेगा। एक अग्रिम मध्यवर्ती लाइसेंस आम तौर पर मात्रा आधारित होगा और जहां इस संबंध में एक स्कीम को महानिदेशक, विदेश व्यापार द्वारा अधिसूचित किया गया है, मूल्य आधारित होगी।

"उल्लेख की गई मात्रा से अधिक संवेदनशील मद के आयात में नम्यता के लाभ पैराग्राफ 49 में 20 प्रतिशत दिये गए हैं । यह अग्रिम मध्यवर्ती लाइसेंस के अधीन भी अनुमेय होंगे ।"

विशेष अग्रदाय लाइसेंस

56. पैरा 121(अ), (घ), (ङ), (च) और (छ) में दी गई श्रेणियों के तहत माल के निर्माण और सप्लाई के लिए मुख्य/उप संविदाकार को निवेश के शुल्क मुक्त आयात के लिए एक विशेष अग्रदाय लाइसेंस दिया गया है ।

56क. संयुक्त राष्ट्र संघ या संयुक्त राष्ट्र के सहायता कार्यक्रम के अधीन या अन्य बहुपक्षीय अभिकरणों को आपूर्ति के लिए विशेष अग्रदाय लाइसेंस भी प्रदान किये जाते हैं और जिसका भुगतान विदेशी मुद्रा में किया गया है ।

57. विशेष अग्रदाय लाइसेंस मात्रा पर आधारित होंगे।

जाबिंग, मरम्मत आदि का पुर्ननिर्यात हेतु

58. जाबिंग, मरम्मत, सर्विसिंग, पुनर्भण्डारण, रिकंडीशनिंग या नवीनीकरण के प्रयोजन के लिये पुराने पूंजीगत माल सहित माल का आयात अग्रिम सीमाशुल्क निकासी परमिट (अग्रिम सीमाशुल्क निकासी परमिट) के बिना किया जा सकता है । "पैटर्न, ड्राइंग, जिग्स, टूल्स, फिक्सचर्स, मोल्ड, टैकल, कम्प्यूटर हार्डवेयर, साफ्टवेयर उपकरण और हैंगर्स का आयात भी किया जा सकता है यदि वे निर्यात आदेश में सीधे ही सम्बन्धित हैं और विदेशी क्रेता द्वारा निःशुल्क दिये गए हैं । इस प्रकार के आयात सीमाशुल्क प्राधिकारियों की सन्तुष्टि के लिए एक बांड के अन्तर्गत और ऐसी शर्तों के अधीन जैसा कि समय-समय पर सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट की जाएं । इस प्रकार आयातित किया गया सारा माल पुनर्निर्यात किया जायेगा । इस प्रकार प्राप्त मूल्य संयोजन दस प्रतिशत से कम नहीं होगा । आयातित पैटर्न ड्राइंग, जिग्स, टूल्स, फिक्सचर्स, मोल्ड्स, टैक्स, कम्प्यूटर हार्डवेयर, और उपकरणों को अपने पास रखने के लिये अनुरोध निर्यात दायित्व को पूरा करने के बाद प्रस्तुत किया जा सकेगा और इसकी अनुमति आयात की तारीख पर लगने वाले सीमाशुल्क के भुगतान के अध्यधीन अग्रिम लाइसेंसिंग समिति द्वारा प्रदान की जा सकेगी ।

पात्रता

59. कोई मर्चेन्ट निर्यातक अथवा विनिर्माता निर्यातक जिसके पास आयातक-निर्यातक कोड सं० एक आर सी एम सी और निश्चित निर्यात आर्डर/साख पत्र हो, वह शुल्क मुक्त लाइसेंसों के लिये आवेदन कर सकेगा । निर्यात दायित्व को पूरा करने की जिम्मेदारी पूर्णतया आवेदक निर्यातक के ऊपर होगी।

तृतीय पार्टी निर्यात

59क. शुल्क मुक्त लाइसेंस धारक सीधे ही अथवा किसी तृतीय पार्टी के जरिये निर्यात कर सकेगा और निर्यात दायित्व को पूरा करेगा । इसी तीसरी पार्टी के जरिये निर्यात के मामले में निर्यात से संबंधित सभी दस्तावेजों में विनिर्माता और तीसरी पार्टी दोनों के नाम दर्शाए गये हों किन्तु ऐसे निर्यात के संबंध में लाभों का दावा केवल तीसरी पार्टी द्वारा अकेले ही किया जा सकेगा ।

मूल्य संयोजन

60. पैरा 51 में दिए निवेश उत्पादन मानदंडों में यथानिर्दिष्ट मूल्य संयोजन मानदंड मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंस पर लागू होंगे । मात्रा पर आधारित अग्रिम लाइसेंस के मामले में उसी उत्पाद के लिए मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंस में यथानिर्दिष्ट मूल्य संयोजनों का 66% मूल्य संयोजन, न्यूनतम 33 प्रतिशत मूल्य संयोजन की शर्त पर प्राप्त किया जाएगा । तथापि अग्रिम लाइसेंस समिति कम मूल्य संयोजन पर भी मात्रा आधारित अग्रिम लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदनों पर विचार कर सकता है ।

मुक्त परिवर्तनीय मुद्रा पर आधारित निर्यात

61. निर्यात जिनका भुगतान मुक्त परिवर्तनीय मुद्रा में प्राप्त नहीं हुआ है प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के परिशिष्ट-13 में यथा-निर्धारित मूल्य संयोजनों के आधार पर होंगे । तथापि, विदेश व्यापार महानिदेशालय माल के ऐसे वर्ग श्रेणी के सम्बन्ध में कम मूल्य संयोजन जो 75% से कम न हों, इस बारे में जैसा भी निर्धारित किया जाए की अनुमति दे सकता है ।

उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत लाइसेंस

62. निर्यातक विशेष निर्यात आदेशों के मुद्दे शुल्क मुक्त लाइसेंसों के लिए आवेदन कर सकते हैं विशेष अग्रदाय लाइसेंसों के अतिरिक्त निर्यातक शुल्क मुक्त लाइसेंसों के लिए भी बिना निर्यात आदेश के आवेदन कर सकते हैं । उन्हें निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन लाइसेंस प्रदान किये जाएंगे :—

(क) नियमित निर्यात निष्पादन वाले निर्यातक के लिए लाइसेंस का मूल्य गत तीन वर्षों में उनके द्वारा किए गए अभिगृहीत निर्माण सहित निर्यातों की औसत पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 25 प्रतिशत

से अधिक नहीं होगा । किसी अन्य निर्यातक के मामले में लाइसेंस का मूल्य गत तीन लाइसेंसिंग वर्षों में उनके निर्यात के औसत पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, बशर्ते कि औसत टर्न ओवर 5 करोड़ से अधिक नहीं हो ।

(ख) ऐसे लाइसेंस केवल मात्रा पर आधारित होंगे ।

उपरोक्त सुविधा विशेष निर्यात आदेशों के मद्दे प्रदान किए गए शुल्क मुक्त लाइसेंसों के अतिरिक्त होगी ।

62-क. एक निर्यातक जो नियमित निर्यात निष्पादन रखता है, विशिष्ट निर्यात आदेशों के मद्दे उसकी हकदारी के बदले गत तीन लाइसेंसिंग वर्षों में उसके अभिग्रहीत निर्यात सहित निर्यात के औसत पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 150 प्रतिशत के बराबर उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत मात्रा पर आधारित अग्रिम लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है । इस पैरा के अंतर्गत लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाला निर्यातक उपरोक्त पैरा 62 के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त करने के लिए हकदार नहीं है ।

62-ख. निर्यातक के आवेदन पर लाइसेंसिंग प्राधिकारी उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत लाइसेंस दे सकता है जब तक निर्यात पूरा न किया गया हो ।

निर्यात आभार

63. शुल्क मुक्त लाइसेंस के अंतर्गत निर्यात आभार पूरा करने की अवधि लाइसेंस जारी करने की तारीख से प्रारंभ होगी । आरोपित निर्यात आभार 12 महीने की अवधि के भीतर पूरा करना होगा बशर्ते कि परियोजना के निष्पादन की निविदा अवधि के दौरान निर्यात आभार पूरा किया गया हो ।

अग्रिम रिलीज आदेश

64. शुल्क मुक्त लाइसेंसधारी (स्थानांतरित सहित) को यह विकल्प है कि वह या तो सीधे लाइसेंस के मद्दे अनुमित मदों का आयात करें अथवा देशीय स्रोतों से सरणीबद्ध अभिकरणों/निर्यात अभिमुख एकक/ई पी जैड ई एच टी पी/एस टी पी यूनिटों, विदेशी मुद्रा/भारतीय रुपये में पुनः नामित अग्रिम रिलिज आदेशों के मद्दे प्राप्त कर सकते हैं । जिस लाइसेंसिंग प्राधिकारी ने शुल्क मुक्त लाइसेंस जारी किया है आवेदन करने पर वह अग्रिम रिलीज आदेश प्राप्त कर सकता है ।

मूल्य पर आधारित लाइसेंस के मामले में संवेदनशील और गैर संवेदनशील मदों के मामले में मूल्य पर आधारित लाइसेंस में दर्शाई गई मदों के लिए कोई भी अग्रिम रिलीज आदेश मात्रा पर आधारित लाइसेंस प्रदान किया जा सकता है, दर्शाई गई मात्रा से अधिक संवेदनशील मद के आयात में छूट का लाभ अग्रिम रिलीज आदेश के अंतर्गत अनुमेय पैरा 49 के प्रावधानों में 20% दिया जा सकता है ।

बैंक-टू-बैंक सुविधा

शुल्क मुक्त लाइसेंसधारी (स्थानांतरित सहित) अग्रिम रिलीज आदेश के लिए आवेदन करने के बदले बैंक टू बैंक सुविधा का लाभ उठा सकता है । ऐसे मामले में लाइसेंसधारी देशीय आपूर्तिकर्ता के पक्ष में साखपत्र खोल सकता है । बैंक एक पृष्ठांकन करेगा कि शुल्क मुक्त लाइसेंस का मूल्य साखपत्र के मूल्य के बराबर कम कर दिया गया है । इस आशय का पृष्ठांकन मुद्रा विनिमय प्रति के साथ-साथ शुल्क मुक्त लाइसेंस की सीमाशुल्क प्रतिलिपि एवं डी ई ई सी पर किया जाएगा । देशीय आपूर्तिकर्ता इस आशय के लिए खोले गए साखपत्र पर माल की आपूर्ति करेगा । अभिग्रहीत निर्यात लाभ की हकदारी के लिए देशीय आपूर्तिकर्ता साखपत्र की (मूल) प्रतिलिपि के साथ-साथ मुक्त लाइसेंस की प्रति प्रस्तुत करेगा जो कि संबंधित बैंक द्वारा पृष्ठांकित की गई हो तथा उक्त दस्तावेज प्रत्येक कार्य के लिए अग्रिम रिलीज आदेश माने जाएंगे ।

65. पहले से ही आयातित सीमाशुल्क से माल की निकासी पोत में लादा गया/प्राप्त माल जो सीमाशुल्क द्वारा निकासी नहीं की गई है तो वह माल बाद में जारी शुल्क मुक्त लाइसेंस के मद्दे मुक्त कर दिया जाएगा ।

लाइसेंस की प्रत्याशा में निर्यात

66. लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा इस स्कीम के अंतर्गत आवेदनपत्र की प्राप्ति की तारीख से किए गए निर्यात/आपूर्ति को निर्यात आभार की स्वीकृति हेतु स्वीकार करेंगे । यदि आवेदन अनुमोदित कर दिया जाता है तो पहले से किए गए अनन्तिम निर्यात के औसत में लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा आवेदन प्राप्ति की तारीख को लागू इनपुट आउटपुट मानदंडों एवं मूल्य संयोजन मानदंडों के आधार पर लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा जब तक कि कोई संशोधन प्राप्त नहीं हो जाता है । बकाया निर्यातों के लिए लाइसेंस के जारी होने की तारीख को लागू नीति/प्रक्रिया लागू होगी । शुल्क मुक्त जहाजरानी बिलों को ड्राफ्ट बैंक शिपिंग बिल में परिवर्तित करने के लिए सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा अनुमति दी जाएगी बशर्ते कि लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा आवदन को निरस्त या तबदील कर दिया गया हो । शुल्क मुक्त लाइसेंस प्रदान करने के लिए प्रत्याशा में किए गए निर्यात/आपूर्ति पूर्णतया निर्यातक के जोखिम एवं उत्तरदायित्व पर होंगी तथा ऐसे निर्यात/आपूर्ति प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 126 तथा नीति के पैरा 67 में यथा निर्धारित शर्तों के अध्यधीन होंगे ।

अग्रिम लाइसेंस को ट्रांसफर करना

67. निर्यात आभार पूर्ण होने पर, निर्यात वसूली पूरी कर लेने पर बैंक गारंटी/विधिक बचनबद्धता की निमुक्ति पर मूल्य और गुणवत्ता पर आधारित अग्रिम लाइसेंसों या उनके मद्दे आयातित सामग्री मुक्त रूप से स्थानान्तरणीय होगी । एक मात्रा आधारित अग्रिम लाइसेंस (विशेष अग्रिम लाइसेंस को छोड़कर) या इसके मद्दे आयातित सामग्री का

बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता के पूरा होने पर निर्यात आभार के बाद मुक्त रूप से अंतरण किया जा सकता है।

एसीटिक एनीहाइड्राइड, एफिड्राइन और सूडो एफिड्राइन के आयात के लिए शुल्क मुक्त लाइसेंस का अंतरण नहीं किया जाएगा और मदें जो ऐसे आयात की गई हैं उन्हें लाइसेंसधारक द्वारा न तो बेचा जाएगा या अन्यथा निपटाय जाएगा।

68. हटा दिया गया है।

निषिद्ध मदें

69. आयात की निषध सूची में निषिद्ध मदों का स्कीम के अन्तर्गत आयात नहीं किया जाएगा।

निर्यात नीति का अनुपालन

69-क. इस स्कीम के तहत जारी लाइसेंसों के मुद्दे किए गए निर्यात नीति के अध्याय 11 और प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 के अध्याय-11 के प्रावधानों के अधीन होंगे।

"पुन: आयात

69-ख. इस स्कीम के तहत निर्यात किए गए माल को मूल रूप में या यथेष्ठ मूल रूप में समय-समय पर अधिसूचित की जाने वाली शर्तों के अधीन पुनः आयात किया जा सकता है।"

70. हटा दिया गया।

शुल्क वापसी की स्वीकार्यता

70-क. शुल्क मुक्त लाइसेंस के मामले में शुल्क वापसी किसी भी बल्क प्रदत्त सामग्री के लिए उपलब्ध नहीं होगी चाहे वह आयातित मद हो या स्वदेशी। यह शुल्क वापसी शुल्क प्रदत्त सामग्री की मात्रा और मूल्य तक सीमित होगी।

71. यदि शुल्क मुक्त लाइसेंस के अंतर्गत कोई भी धारक लाइसेंस की किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है या निर्यात आभार को पूरा करने में असमर्थ रहता है तो उसके विरुद्ध अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों और आदेशों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

72. हटा दिया गया

73. हटा दिया गया

74. हटा दिया गया

75. हटा दिया गया

76. हटा दिया गया

मूल्य संयोजन

77. इस अध्याय के प्रयोजन के लिए "मूल्य संयोजन" के अनुसार होगा :

$$\frac{\text{ए—बी}}{\text{बी}} \times 100$$ जहां

बी ए मूल्य संयोजन है

ए—लाइसेंस में शामिल उत्पाद के निर्यात से वसूल किया गया जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य है और

बी—लाइसेंस में शामिल आयातित निवेश का लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य और अन्य प्रयुक्त आयातित सामग्री शामिल है।

अध्याय—आठ

हीरे, रत्न और जेवरात निर्यात संवर्धन स्कीमें

रत्न और जेवरात के लिए स्कीम

78. रत्न और जेवरात निर्यातक इस सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से प्रतिपूर्ति लाइसेंस और हीरे/डी टी सी अग्रदाय अनुज्ञापत्र प्राप्त करके अपने निवेशों का आयात कर सकते हैं।

प्रतिपूर्ति लाइसेंस

79. परिशिष्ट एक में सूचीबद्ध रत्न और जेवरात उत्पादों के निर्यातक, अपने निवेशों के आयात और प्रतिपूर्ति के लिए उक्त परिशिष्ट में उल्लिखित दर पर और उसमें दी गई मदों के लिए, प्रतिपूर्ति लाइसेंस प्रदान किए जाने के पात्र होंगे। इस प्रकार के लाइसेंस हस्तान्तरणीय होंगे। हीरे/डी टी सी अग्रदाय लाइसेंसों के मद्दे निर्यात आभार को पूर्ण करने के लिए किया गया निर्यात इस लाभ के लिए पात्र नहीं होगा।

हीरे और डी०टी०सी० अग्रदाय लाइसेंस

80. कटे हुए और पालिश किए हुए हीरों के निर्यात के लिए तथा अपरिष्कृत हीरों के आयात के लिए हीरा और डी टी सी अग्रदाय लाइसेंस अग्रिम रूप में जारी किए जा सकते हैं। इन लाइसेंसों या उनके मुद्दे आयात की गई सामग्री का निर्यात आभार पूर्ण करने के बाद मुक्त रूप से स्थानान्तरण किया जा सकता है। ये लाइसेंस प्रतिपूर्ति के 65 प्रतिशत के विलोम अनुपात में निर्धारित निर्यात आभार वहन करेंगे, अर्थात् यदि लाइसेंस 65 अमरीकी डालर के लागत बीमा भाड़ा मूल्य के लिए जारी किया जाता है, तो निर्यात आभार का जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य 100 अमरीकी डालर होगा। छूट प्रदान करते समय लाइसेंसधारी की वास्तविक हकदारी की उक्त परिशिष्ट में दिए गए समान निर्यात उत्पादों के लिए अनुमित प्रतिपूर्ति दरों के सन्दर्भ में पुनः गणना की जा सकती है। इस प्रकार की पुनः गणना करने से, यदि लाइसेंसधारी की हकदारी 65 अमरीकी डालर से अधिक बनती है (जैसा कि उपर्युक्त उदाहरण में दर्शाया गया है) तो लाइसेंसिंग प्राधिकारी अपरिष्कृत हीरों के आयात हेतु, इस मूल्य के बराबर, जो भी 65 अमरीकी डालर से अधिक हो, प्रतिपूर्ति लाइसेंस जारी करेंगे।

हीरा अग्रदाय लाइसेंस

81. कोई निर्यातक निम्नलिखित अनुसार लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है :

(क) यदि उसने पिछले तीन वर्षों से कम समय में कटे हुए और पालिश किए हुए हीरों का निर्यात किया है, तो स्वयं के नाम में वैध निर्यात संविदा के मद्दे, अथवा

(ख) यदि उसने कम से कम 3 वर्षों तक निर्यात किया है तो पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों में सर्वोत्तम वर्ष के निर्यात निष्पादन और साथ ही उसके 25 प्रतिशत के मद्दे ।

निर्यात आभार

82. निर्यात आभार की पूर्ति सीमाशुल्क के जरिए पहली खेप की निकासी की तारीख से सात महीनों के अन्दर की जाएगी । इस स्कीम के तहत आवेदन प्राप्ति की तारीख से किया गया निर्यात लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा निर्यात आभार को पूरा करने के लिए स्वीकार किया जा सकता है ।

डी०टी०सी० अग्रदाय लाइसेंस

83. किसी भी नियमित डी०टी०सी० साइट होल्डर के लिए वार्षिक डी०टी०सी० लाइसेंस अनुमित हो सकता है जो कि उसके द्वारा परवर्ती वर्ष में प्राप्त सभी डी०टी०सी० साइटों (प्रतिपूर्ति लाइसेंस के मद्दे निष्पादित साइटों को छोड़कर) के समेकित मूल्य के डेढ़ गुणा के बराबर होगा । इसमें डेढ़ प्रतिशत तक कमीशन/दलाली अधिभार भी जोड़ा जा सकता है बशर्ते कि निर्यात आभार में तदनुरूप वृद्धि की गई हो । नए साइट होल्डर डी०टी०सी० लन्दन से साइट के आबंटन हो जाने पर मासिक आधार पर लाइसेंस के लिए भी आवेदन कर सकते हैं । ये लाइसेंस केवल डी०टी० सी० लन्दन से आयात के लिए ही वैध होंगे । निर्यात आभार प्रथम परेषण के आयात की तिथि से 150 दिनों के अन्दर और प्रत्येक साइट के लिए लाइसेंस पर किए गए पृष्ठांकन के अनुसार पूरा कर लिया जाएगा यदि नियमित साइट धारक को आबंटित साइट वार्षिक डी०टी०सी० अग्रदाय लाइसेंस के अन्तर्गत नहीं आती है तो उसी लाइसेंसिंग वर्ष में दूसरे डी०टी०सी० अग्रदाय लाइसेंस के लिए आवेदन पर विचार शेष लाइसेंसिंग वर्ष के दौरान मासिक निरीक्षण की गई साइटों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा ।

अपरिष्कृत हीरों के लिए थोक लाइसेंस

84. अपरिष्कृत हीरों के लिए थोक लाइसेंस, वैध आर ई पी/हीरा अग्रदाय लाइसेंसों के धारकों की मांगों को पूरा करने के लिए, मैसर्स हिन्दुस्तान डायमण्ड कम्पनी लि० (एच०डी०सी०एल०) बम्बई तथा खनिज एवं धातु व्यापार निगम (एम०एम०टी०सी०) लि०, नई दिल्ली को जारी किए जा सकते हैं ।

बिना तराशे हीरों के लिए प्राइवेट तौर पर अनुबंधित गोदाम

84-क. बिना तराशे हुए हीरों के आयात, स्टॉक, निर्माण एवं बिक्री के लिए ई०पी०जेड०/ई०ओ०यू० अथवा डी०टी० ए० में प्राइवेट तौर पर अनुबंधित गोदाम स्थापित किए जा सकते हैं, डी०टी०ए० यूनिटों को बिना तराशे हीरों की बिक्री वैध लाइसेंस के तहत होगी । गोदाम का स्वामी न्यूनतम 5% मूल्य संयोजन के अनुसार बिना तराशे हीरों का निर्यात कर सकते है ।

85. हटा दिया गया है ।

सोने और चांदी के जेवरात के लिए स्कीमें

86. सोने प्लेटिनम और चांदी के जेवरात के निर्यातक इस संबंध में निर्धारित प्रक्रियानुसार सक्षम लाइसेंसिंग प्राधिकारियों द्वारा प्रदत्त आयात लाइसेंसों के माध्यम से सोना, प्लेटिनम, चांदी, माउंटिंग्स, फाइंडिंग्स, अपरिष्कृत रत्न, कीमती और अर्द्ध-कीमती सिंथेटिक पत्थर और असंसाधित मोती आदि जैसे अपने अनिवार्य निवेशों का आयात कर सकते हैं ।

सोने/चांदी की अन्तर्वस्तु

87. निर्यात किए जाने पर निम्नलिखित मदों को इन स्कीमों के अन्तर्गत सुविधा मिल सकेगी :

(क) 8 करेट या अधिक सोना तत्व वाले सोने के जेवरात तथा वस्तुएं (सिक्कों को छोड़कर) चाहे सादे हों या जड़े हुए, और

(ख) भार में 50 प्रतिशत से अधिक चांदी वाले चांदी के जेवरात और वस्तुएं (सिक्कों और किन्हीं इंजीनियरी माल को छोड़कर) ।

स्कीमें

88. सोने/चांदी के जेवरात और वस्तुओं का निर्यात निम्नलिखित स्कीमों के अन्तर्गत किया जा सकता है,

क. विदेशी क्रेता द्वारा संभरित सोने/चांदी के मद्दे सोने/चांदी के जेवरात और वस्तुओं के निर्यात के लिए योजना :

इस योजना के अन्तर्गत विदेशी क्रेता सोने या चांदी के जेवरात और उनसे बनने वाली वस्तुओं के विनिर्माण और अंतिम निर्यात के लिए अग्रिम रूप में निःशुल्क सोना या चांदी का संभरण कर सकता है । वह इसी प्रकार, चांदी के एलॉय, फाइंडिंग्स, माउंटिंग्स आदि और 18 कैरेट और कम के सोने का संभरण भी कर सकता है । निर्यात आदेश में निम्नलिखित की व्यवस्था होनी चाहिए ।

(1) वेस्टेज की अनुमति के बाद अपेक्षित सोने और चांदी की मात्रा की सीमा तक सोने और चांदी का निःशुल्क संभरण, और

(2) अपरिवर्तनीय साखपत्र के द्वारा विनिर्माण और अन्य लागतों का भुगतान अथवा सुपुर्दगी पर नकद भुगतान अथवा विदेशी मुद्रा में अग्रिम

भुगतान संग्रह आधार पर (स्वीकृति मदे दस्तावेज) सोने के जेवरात का निर्यात भी किया जा सकता है । निर्यात आदेश केवल एक विदेशी क्रेता से ही सम्बन्धित होना चाहिए । सोना, चांदी जवाहरात और वस्तुओं के निर्यात के लिए बनी यह योजना हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम (एच०एच०ई०सी०) या वाणिज्य मंत्रालय द्वारा नामित किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के अभिकरण द्वारा प्राप्त निर्यात आदेशों के लिए लागू होगी । नामित अभिकरण प्रत्यक्ष रूप से या अपनी पात्र संस्थाओं के माध्यम से निर्यात कर सकती हो । निर्यात केवल हवाई भाड़े और बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली, जयपुर, बंगलौर और कोचीन स्थित सीमाशुल्क भवनों के जरिए ही अनुमित होगा ।

प्रत्येक माह के शुरू में एच०एच०ई०सी० द्वारा घोषित सोने और चांदी के मूल्यों पर सोना तत्व (वेस्टेज समेत) और चांदी तत्व (वेस्टेज रहित) के मूल्य के सन्दर्भ में मूल्य संयोजन की गणना की जा सकती है । माउन्टिंग्स, फाइंडिंग्स आदि के लिए मूल्यसंयोजन, नामित अभिकरण द्वारा तय किये गये आयातों के लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य पर आधारित होगा । सादे और जड़े हुए सोने के जवाहरात के लिए न्यूनतम मूल्य संयोजन क्रमशः 10% और 15% है और चांदी के जवाहरात/वस्तुओं के लिए न्यूनतम मूल्य संयोजन 25% है । माउंन्टिंग्स और फोर्डिंग्स आदि का आयात निर्यात निबल के लिए नियम के आधार पर होगा ।

ख. अनुमोदित प्रदर्शनी में बिक्री के लिए सोने और चांदी जवाहरात और वस्तुओं के निर्यात की स्कीम

इस स्कीम के अन्तर्गत रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जी०ज०ई०पी०सी०) हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम (एच०एच०ई०सी०)/राज्य व्यापार निगम (एस०टी०सी०)/भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन (आई० टी०पी०ओ०)/खनिज एवं धातु व्यापार निगम (एम०एम० टी०सी०) और उनकी पात्र सहयोगी संस्थानों द्वारा किया गया निर्यात आता है । ये संगठन नामित अभिकरणों के रूप में कार्य करते हैं । यदि वाणिज्य मंत्रालय अनुमोदन कर देता है, तो इस स्कीम के अन्तर्गत अन्य व्यक्ति को भी निर्यात की अनुमति है । प्रदर्शनी लगाने के लिए निर्यात परेषण आधार पर किए जाएंगे और यह निम्नलिखित शर्त के अध्यधीन होगा ।

(1) विदेश में न बिक्री हुई मद प्रदर्शिनी बन्द होने के 45 दिनों के अन्दर आयात कर ली जाएगी, और

(2) विदेश में बिक्री हुई मदों के लिए सोना और चांदी तत्व प्रतिपूर्ति के रूप में प्रदर्शनी बन्द होने के 60 दिनों के अन्दर, आयात कर लिए जाएंगे । नामित अभिकरण निर्यात अनुमित होने से पहले सीमाशुल्क प्राधिकारियों के पास इस आशय के एक बंधपत्र प्रस्तुत करेगा । दूसरों द्वारा आयोजित प्रदर्शनियों में, भारतीय रिजर्व बैंक या सीमाशुल्क प्राधिकारियों के नियमों के अन्तर्गत यथा अपेक्षित बंधपत्र या बैंक गारंटी आयोजक स्वयं ही प्रस्तुत करेंगे । प्रदर्शनी बन्द होने के उपरान्त निर्यातक भारतीय स्टेट बैंक या प्रदर्शनी बन्द होने से पहले प्रदर्शनी के स्थान पर उनके एजेंटों की सहायता से या प्रदर्शनी बन्द होने के 50 दिनों के भीतर भारत में भारतीय स्टट बैंक की अधिकृत शाखाओं की सहायता से प्रतिपूर्ति के उद्देश्य के लिए बुकिंग करेगा ।

मूल्य संशोधन की गणना, सोना चांदी तत्व (वेस्टेज समेत) के उस मूल्य के आधार पर की जाएगी जिस पर प्रतिपूर्ति अनुमित हो सकती है या उस मूल्य पर जिस पर निर्यात बीजक बनाया गया था, इनमें जो भी उच्चतर हो, की जाएगी । निर्यातक, निर्यात बीजक बनाते समय एच० एच०ई०सी० द्वारा अधिसूचित सोना/चांदी के मासिक मान-दण्ड मूल्य का प्रयोग कर सकते हैं । सादे और जड़े हुए सोने के जवाहरात के लिए न्यूनतम मूल्य संयोजन क्रमशः 10% और 15% है और चांदी के जवाहरात/वस्तुओं के लिए न्यूनतम मूल्य संयोजन 25% है । अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त रिलीज आदेश और रत्न प्रतिपूर्ति लाइसेंस जारी किया जा सकता है ।

ग. सोना और चांदी जेवरात और वस्तुओं की निर्यात संवर्धन और प्रतिपूर्ति स्कीम

यह स्कीम सोना चांदी जेवरात और वस्तुओं के निर्यात के मदे भारतीय स्टेट बैंक/खनिज एवं धातु व्यापार निगम/एच०एच०ई०सी० की पदनामित शाखाओं अथवा वाणिज्य मंत्रालय द्वारा नामित किसी अन्य अभिकरण के जरिए सोना/चांदी की खरीदारी के पश्चात् भारतीय स्टेट बैंक/खनिज एवं धातु व्यापार निगम/एच०एच०ई०सी० अभिकरण द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट मूल्य पर सोना/चांदी की प्रतिपूर्ति की व्यवस्था करती है । यह स्कीम उन निर्यातों तक ही सीमित होगी जिनके समर्थन में अपरि-वर्तनीय साख्यपत्र, डिलीवरी आधार पर नकद भुगतान या विदेशी मुद्रा में अन्तिम भुगतान किया गया है । सोने जेवाह-रात के निर्यात की अनुमति संग्रह आधार स्वीकृति मदे दस्तावेज पर भी दी जा सकती है । निर्यातक को अग्रिम रूप में भारतीय स्टेट बैंक से सोना/चांदी प्राप्त करने का विकल्प होता है । अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त रिलीज आदेश और रत्न प्रतिपूर्ति लाइसेंस जारी किये जा सकते हैं ।

मूल्य संयोजन की गणना/सोना/चांदी तत्व (वेस्टेज सहित) के सन्दर्भ में उस मूल्य पर की जाएगी जिस पर भारतीय स्टेट बैंक द्वारा सोने और चांदी को बुक किया जाए । सादे और जड़े हुए सोने के जवाहरात के लिए न्यूनतम

मूल्य संयोजन क्रमशः 10% और 15% है और चांदी के जवाहरात/वस्तुओं के लिए न्यूनतम मूल्य संयोजक 25% है । निर्यात और सोने के जवाहरात तथा वस्तुओं की प्रतिपूर्ति की उपरोक्त नीति आवश्यक परिवर्तनों सहित प्लेटिनम के जेवाहरात और वस्तुओं पर लागू होगी लेकिन खनिज एवं धातु व्यापार निगम प्लेटिनम का आयात करके निर्यातकों को आपूर्ति करेगा ।

घ. सोने और चांदी जेवाहरात और वस्तुओं के लिए अग्रिम लाइसेंस की स्कीम

निम्न सोने और चांदी के आभूषणों व वस्तुओं के शुल्क मुक्त आयात के लिए अग्रिम लाइसेंस दिया जा सकता है ।

(1) 0.995 से अधिक शुद्धता का सोना और माउन्टिंग्स, साकेट्स, फ्रेम्स और 18 कैरेट तथा कम की फाइन्डिंग्स, और

(2) चांदी, माउन्टिंग्स, साकेट्स, फ्रेम्स और फाइन्डिंग्स, आदि

यह स्कीम अपरिवर्तनीय साखपत्र स्वीकृति के मद्दे दस्तावेज और/या सुपुर्दगी आधार पर नकद भुगतान की अदायगी से समर्थित निर्यातों पर सीमित होगी । सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट विशिष्ट पत्तनों से ही आयात अनुमेय होगा ।

निर्यात केवल पूर्व आयात के मद्दे अनुमित होगा । निर्यात-आभार आयात की प्रथम परेषण की तिथि से आरम्भ होगा और उसे उक्त तिथि से 120 दिनों के अन्दर पूर्ण किया जाना अपेक्षित होगा ।

मूल्य संयोजन की गणना उस मूल्य पर की जा सकती है जिस पर सोना/चांदी तत्व छीजन सहित आयात किया गया है । माऊन्टिंग्स, फाइन्डिंग्स आदि के लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य को भी ध्यान में रखा जाएगा और उनका आयात/निर्यात बराबरी के आधार पर होगा । सादे और जड़े हुए सोने के जवाहरात के लिए न्यूनतम मूल्य संयोजन क्रमशः 10 और 15% है और चांदी के जवाहरात/वस्तुओं के लिए न्यूनतम मूल्य संयोजन 25% है ।

सोना/चांदी छीजन या विनिर्माण की क्षति और सोने की माऊन्टिंग्स/फाइन्डिंग्स आदि पर छीजन मानदण्ड जैसा कि प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 147 में इंगित है, की अनुमति दी जा सकती है । यदि निर्यात का जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य निर्धारित निर्यात आभार से अधिक है तो अधिक मूल्य पर रत्न प्रतिपूर्ति लाइसेंस प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 149 में निर्धारित फार्मूले के अनुसार जारी किया जा सकता है ।

ङ. निर्यात संसाधन क्षेत्रों (ई०पी०जेड०) और निर्यात अभिमुख यूनिट (ई०ओ०यू०) परिसरों से सोने और चांदी के जवाहरात और वस्तुओं के निर्यात की स्कीम

निर्यात अभिमुख यूनिटें निर्यात अभिमुख यूनिटों की स्कीम के सामान्य प्रावधानों द्वारा शासित होती है और निर्यात संसाधन वाले क्षेत्रों में स्थापित की गई यूनिटें ई० पी०जैड० स्कीम के सामान्य प्रावधानों द्वारा शासित होती है ।

निम्नलिखित को छोड़कर ।

(1) रिजेक्टस समेत किसी की भी बिक्री भी अनुमति घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डी०टी०ए०) में नहीं मिलेगी और

(2) यदि कोई यूनिट कार्य करना बन्द कर देती है, तो सोना और दूसरी कीमती धातु एलॉय, रत्न और अन्य सामग्री जो जवाहरात के विनिर्माण के लिए उपलब्ध होगा वाणिज्य मंत्रालय द्वारा नामित किसी एजेंसी को उस एजेंसी द्वारा निर्धारित की गई कीमत पर सौंप दिया जाएगा ।

ये यूनिट स्वर्ण और अन्य बहुमूल्य धातुओं से विनिर्मित कच्चे माल, अलाय कैरेट, स्क्रैप, रंगीन स्वर्ण, कीमती धातु जिनमें चांदी 0.90 शुद्धता तक के प्लेटिनम और पलाडियम, फाइन्डिंग्स, माउन्टिंग्स, साकेट और फ्रेम भी शामिल हैं का आयात कर सकती है । ये यूनिटें हीरे, रंगीन रत्न और पत्थरों अर्थ मूल्यवान पत्थरों, अर्ध भूल्यवान पत्थरों, सिन्थेटिक पत्थरों मोतियों आदि का भी आयात कर सकती है ।
उसके अतिरिक्त इन यूनिटों को भारतीय स्टेट बैंक खनिज एवं धातु व्यापार निगम या वाणिज्य मंत्रालय द्वारा नामित किसी अन्य एजेंसी के जरिये 0.999 या 0.995 परिशुद्धता वाले स्वर्ण भी उपलब्ध कराया जा सकता है । 0.999 या 0.995 परिशुद्धता वाले स्वर्ण की आपूर्ति के लिए निर्यात संसाधन क्षेत्र के लिए विकास आयुक्त अथवा निर्यात-अभिमुख यूनिट परिसर के प्रायोजित प्राधिकारी के जरिये आवेदन कर सकती है । इन यूनिटों को निर्यात अभिमुख यूनिट स्कीम और निर्यात संसाधन क्षेत्र स्कीम पर लागू प्रक्रिया के अनुसार पूंजीगत माल, प्रोटोटाईप्स, तकनीकी नमूनों, उपभोज्यों, अतिरिक्त पुर्जों और पैकेजिंग सामग्री के आयात की अनुमति दी जा सकती है ।

पेलेडियम आदि के सम्बन्ध में मूल्य संयोजन और अन्य आवश्यकताएं मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात द्वारा सार्वजनिक सूचना के माध्यम से अधिसूचित की जाएंगी ।

अनुमित किये जाने वाले आभूषणों के नमूनों को उपर्युक्त पहचान के बाद पुनः निर्यात करने की अनुमति दी जा सकती है ।

स्वर्ण की स्क्रेप डस्ट स्वीपिंग्स निर्यात संसाधन क्षेत्र में स्थित यूनिटों से भारत सरकार टकसाल को भेजने की अनुमति दी जा सकती है और रटैन्डर्ड स्वर्ण की छड़ों के रूप में उस क्षेत्र को सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वापिस भेजी जा सकती है ।

संबंधित निर्यात संसाधन क्षेत्र/निर्यात अभिमुख यूनिट परिसर के विकास आयुक्तों द्वारा इस अध्याय के पैरा 85 के अनुसार अपरिष्कृत हीरों के पुनः निर्यात की अनुमति दी जाएगी ।

निर्यात अभिमुख यूनिटें/निर्यात संसाधन क्षेत्र की यूनिटें सरकार द्वारा अनुमोदित प्रदर्शनियों में भाग ले सकती है । देश में लगाई जाने वाली प्रदर्शनियों में बिक्री की अनुमति नहीं होगी । आभूषणों के इन क्षेत्रों/परिसरों में ले जाने और वापस लाने सम्बन्धी ढुलाई की प्रक्रिया सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित की जाएगी ।

आंशिक रूप से संसाधित आभूषणों का निर्यात भी निर्धारित मूल्य संयोजन की अधिप्राप्ति के अध्यधीन अनुमित होगा ।

भारतीय खनिज और धातु व्यापार निगम लि० समय-समय पर संशोधित निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इस योजना के अन्तर्गत स्थापित स्वीकृत स्वर्ण आभूषण मूल्य संयोजन को उस मूल्य पर संगणित किया जाए जिस मूल्य पर स्वर्ण कन्टेंट (जिसमें वैस्टेज भी शामिल हैं), चाहे यह 0.995 परिशुद्धता अथवा कोई अन्य शुद्धता वाला स्वर्ण हो, का आयात किया गया हो । इसी प्रकार की प्रक्रिया आयातित चांदी पर भी लागू होगी । सादे और जड़ित स्वर्ण आभूषणों जिनमें वस्तुएं भी शामिल हैं, के निर्यात के लिए न्यूनतम मूल्य संयोजन क्रमशः 10% और 15% होगा । चांदी के सादे/जड़ित आभूषणों और वस्तुओं के लिए न्यूनतम मूल्य संशोधन 25 प्रतिशत होगा । एक निर्यातक को तराशे और पालिश किए गए हीरों, बहुमूल्य और अर्ध मूल्यवान पत्थरों, मोतियों और सिन्थेटिक पत्थरों जिनका उपयोग स्टडिंग्स के रूप में किया गया हो, के मूल्य पर 5 प्रतिशत अतिरिक्त मूल्य संयोजन प्राप्त करने की भी आवश्यकता है । माउन्टिंग्स, फाइन्डिंग्स, आदि के लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य का भी मूल्य संयोजन के लिए हिसाब में लिया जाए और उनका आयात और निर्यात नेट के लिए नेट के आधार पर किया जाएगा ।

कम तराशे और पालिश किए गए हीरों और बहुमूल्य अर्ध मूल्यवान पत्थरों का निर्यात करने वाली यूनिटों के मामले में प्राप्त किए जाने वाले आवश्यक न्यूनतम मूल्य संयोजन को घरेलू टैरिफ क्षेत्र से ऐसे निर्यातों के लिए उपलब्ध इसी अवधि की प्रतिपूर्ति दरों के आधार पर संगणित किया जाएगा । स्वर्ण और चांदी के आभूषणों और वस्तुओं से अलग, अन्य कीमती धातुओं से बने आभूषणों और वस्तुओं का विनिर्माण और निर्यात पूर्वोक्त निर्यात अभिमुख यूनिट परिसरों/निर्यात संसाधन क्षेत्रों द्वारा किया जा सकता है । प्लेटिनम और विनिर्माण करने वाली निर्यात यूनिटों को स्वर्ण अलाय, करेट स्वर्ण, फाइन्डिंग्स समेत स्वर्ण, स्वर्ण मध्यस्थों और संघटकों को भी आपूर्ति करेगा ।

खनिज एवं धातु व्यापार निगम/भारतीय स्टेट बैंक समय-समय पर विशिष्टिकृत प्रक्रिया के अनुसार इस योजना के अन्तर्गत स्थापित स्वीकृत चांदी आभूषण विनिर्माण करने वाली निर्यात यूनिटों को 0.999 शुद्धता या 0.995 शुद्धता वाली चांदी की भी आपूर्ति करेगा ।

निर्यात और सोने के जवाहरात तथा वस्तुओं की प्रतिपूर्ति की उपरोक्त नीति आवश्यक परिवर्तनों सहित प्लेटिनम जवाहरात और वस्तुओं के निर्यात पर लागू होगी । खनिज एवं धातु व्यापार निगम स्कीम ङ के तहत निर्यातकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 0.9999 शुद्धता का प्लेटिनम भी आयात कर सकता है ।

घ. घरेलू टैरिफ क्षेत्र में स्थित यूनिटों द्वारा प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत 18 कैरेट से ऊपर के स्वर्ण का सीधे आयात करने हेतु योजना ।

सादे स्वर्ण आभूषणों के निर्यात के मद्दे जहां निर्यात आयात निर्मुक्त विदेशी मुद्रा में पूर्णतः अधिप्राप्त की जा चुकी हो, लाइसेंसिंग प्राधिकारी के सीधे आयात के लिए निर्यात के जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य के 87 प्रतिशत की दर से हस्तान्तरणीय प्रतिपूर्ति लाइसेंस जारी कर सकता है ।

(1) स्वर्ण जिस की परिशुद्धता 0.999 से कम न हो और माउन्टिंग्स, साकेट्स, फ्रेम्स और 18 कैरट और उससे कम की फाइण्डिंग्स, तथा

(2) लाइसेंस के मूल के 10 प्रतिशत तक तथा लाइसेंस के समूचे मूल्य के अन्तर्गत 0.920 परिशुद्धता की स्वर्ण फाइन्डिंग्स/माउन्टिंग्स, और

(3) अपरिष्कृत हीरे, अपरिष्कृत रंगीन रत्न पत्थर और शेष मूल्य के लिए अपेक्षित/बिना सेट किये हुए रीयल अथवा कलचर्ड मोती ।

जड़ित स्वर्ण आभूषणों के निर्यात के लिए जहां निर्यात आय विदेशी मुद्रा में पूर्णतः अधिप्राप्त हो चुकी हो, संबंधित प्राधिकारी निम्नलिखित के सीधे आयात के लिए निर्यातों के जहाज पर्यन्त मूल्य के 80 प्रतिशत की दर से अहस्तान्तरिणीय प्रतिपूर्ति लाइसेंस जारी कर सकता है :—

(1) 0.995 परिशुद्धता वाला स्वर्ण, जिसकी कीमत निर्यातित स्वर्ण जड़ित आभूषणों में उपयोग में लाये गये शुद्ध स्वर्ण (0.999 परिशुद्धता), की मात्रा, जैसी कि सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा प्रमाणीकृत की गई हो, को हिसाब में लेकर निर्यात की तारीख को शुद्ध स्वर्ण (0.999 परिशुद्धता) के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य द्वारा गुणा करके, भारतीय स्टेट बैंक की पदनामित शाखाओं द्वारा प्रमाणित किया गया हो, स्टडिंग्स के अवशिष्ट प्रतिपूर्ति मूल्य का 20 प्रतिशत जमा करके निर्धारित की जाएगी ।

(2) लाइसेंस के मूल्य के 10 प्रतिशत तक तथा लाइसेंस के समूचे मूल्य के अन्तर्गत 0.920 परिशुद्धता की स्वर्ण फाइन्डिंग्स/माउन्टिंग्स, और

(3) अपरिष्कृत हीरे, अपरिष्कृत रंगीन रत्न पत्थर और शेष मूल्य के लिए अपेक्षित/बिना सेट किए हुए रंगीन अथवा कलचर्ड मोती ।

उपर्युक्त प्रावधानों के बावजूद, सादे/जड़ित सोने के जवाहरात के निर्यात के बाद और बिक्री लाभ की मुक्त विदेशी मुद्रा में प्राप्ति के लिए प्रतीक्षा किए बिना लाइसेंसिंग प्राधिकारी निर्यातक द्वारा घोषित निर्यात के काल्पनिक जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य के क्रमशः 87% और 80% के समकक्ष मूल्य के लिए प्रतिपूर्ति लाइसेंस जारी कर सकता है । इस प्रयोजन के लिए निर्यातक निम्नलिखित दस्तावेजों सहित लाइसेंस जारी करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करेगा :

(1) सीमाशुल्क सांक्ष्यांकित बीजक,

(2) सीमाशुल्क प्रमाणीकृत शिपिंग बिल, और

(3) निर्यात के काल्पनिक जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य के बारे में घोषणा ।

मुक्त विदेशी मुद्रा में बिक्री लाभ की पूर्ण प्राप्ति के बाद निर्यातक प्राप्ति के बैंक प्रमाणपत्र के साथ यदि कोई हो, अवशेष हस्तांतरणीय प्रतिपूर्ति लाइसेंस जारी करने के लिए आवेदन करेगा । यदि देय हो, अधिक हकदारी के लिए लाइसेंस जारी किया जाएगा । अन्यथा, पहले से जारी लाइसेंस का मूल्य प्रश्नातीत निर्यात के मद्दे समायोजित किया जाएगा यदि समायोजन पूरा नहीं हुआ है तो शेष मूल्य उसके भविष्य की हकदारी में समायोजित किया जाएगा ।

प्रतिपूर्ति लाइसेंस उसके जारी होने की तारीख से 12 महीनों की अवधि के लिए वैध होगा ।

अन्य प्रावधान

89. निर्यातक को ऊपर 88(च) और 88(छ) में दी गई योजनाओं को छोड़कर निर्यात के जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य के 3% तक एजेन्सी कमीशन का भुगतान करने की अनुमति है । जहां कहीं एजेन्सी कमीशन का भुगतान किया जाए, वहां एजेन्सी कमीशन की प्रतिशतता द्वारा न्यूनतम मूल्य संयोजन में तदनुरूप वृद्धि की जाएगी ।

90. पैरा 88(क) से (ङ) तक उल्लिखित योजनाओं के अन्तर्गत निर्यातकों को प्रक्रिया पुस्तक में निहित अनुसार स्वर्ण वेस्टेज अथवा विनिर्माण घाटे की अनुमति होगी ।

91. ऐसे मामले में जहां निर्यातक न्यूनतम निर्धारित मूल्य संयोजन प्राप्त करें, वहां सादे स्वर्ण/चांदी के आभूषणों के निर्यात पर पैरा 88(क) से (ग) तक में उल्लिखित योजना के अन्तर्गत रत्न प्रतिपूर्ति लाइसेंस जारी किए जा सकते हैं । ऐसे लाइसेंस का मूल्य न्यूनतम मूल्य संयोजन की अतिरिक्त अधिप्राप्ति के सन्दर्भ में निर्धारित किया जाएगा । जटित स्वर्ण/चांदी के आभूषणों और वस्तुओं के निर्यातक, रत्न प्रतिपूर्ति लाइसेंस के पात्र होंगे जिसे वेस्टेज सहित सोने पर मूल्य संयोजन के लिए गणना करने के बाद, निर्यात की गई मदों में उपयोग में लाई गई स्टडिंग्स, के मूल्य को ध्यान में रखकर दिया जाएगा । लाइसेंसिंग के प्रयोजन के लिए स्टडिंग्स को चार वर्गों में बांटा जाएगा नामशः

(क) हीरे,

(ख) बहुमूल्य पत्थर,

(ग) अर्द्ध मूल्यवान और सिन्थेटिक पत्थर और

(घ) मोती ।

प्रतिपूर्ति का पैमाना प्रक्रिया पुस्तक में दिया गया है । ये लाइसेंस बिना अपरिष्कृत हीरों, बहुमूल्य पत्थरों, अर्द्ध मूल्यवान पत्थरों, सिन्थेटिक पत्थरों और मोतियों के आयात के लिए वैध होंगे । इसके अतिरिक्त लाइसेंस, लाइसेंस के मूल्य के 5% तक खाली आभूषणों के बक्सों के आयात के लिए भी वैध होगा ।

निर्यातक प्रतिपूर्ति लाइसेंस के लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य के 10% तक मरकट के अलावा कटे और पालिश किए हुए बहुमूल्य और अर्द्ध बहुमूल्य पत्थरों का, वास्तविक उपयोक्ता शर्तों सहित रत्न का आयात कर सकते हैं ।

91क. पैरा 88-च में उल्लिखित स्कीम के तहत लाइसेंसधारक भारतीय रिजर्व बैंक/खनिज एवं धातु व्यापार निगम से पूर्ण तथा खरीदारी आधार पर किसी भी शुद्धता का सोना प्राप्त कर सकते हैं । परिणामस्वरूप संगत आयात लाइसेंस की दोनों विनिमय नियंत्रण और सीमाशुल्क प्रतियां सोने के सीधे आयात के लिए भारतीय रिजर्व बैंक/खनिज एवं धातु व्यापार निगम द्वारा अवैध कर दिया जाएगा ।

बीजक

92. सभी स्कीमों में आयात और निर्यात के बीजक मुक्त परिवर्तनीय मुद्रा में होंगे और निर्यात लाभ मुक्त परिवर्तनीय मुद्रा में होंगे ।

अध्याय—नौ

निर्यात अभिमुख यूनिटें और निर्यात संसाधन क्षेत्रों की यूनिटें

पात्रता

93. अपने सारे उत्पादन को निर्यात करने का दायित्व लेने वाली यूनिटें निर्यात अभिमुख यूनिट (ई०ओ०यू०) या निर्यात संसाधन क्षेत्र (ई०पी०जेड०) स्कीम के अंतर्गत स्थापित की जा सकती है । ऐसी यूनिटें सापटवेयर बागवानी, कृषि, जलचर पालन, पशुपालन, मत्स्यपालन, अंगूरोत्पादन, मुर्गीपालन, रेशम उत्पादन के विनिर्माण या उत्पादन में लगी हो सकती हैं । सेवा कार्यकलापों में लगी यूनिटों पर भी गुणावगुण के आधार पर विचार किया जा सकता है ।

माल का आयात

94. एक निर्यात अभिमुख यूनिट और निर्यात संसाधन यूनिट विनिर्माण, उत्पादन और संसाधन के लिए पूंजीगत माल सहित सभी प्रकार का माल बिना शुल्क दिए आयात कर सकती है, बशर्ते कि वे आयातों की निषेधात्मक सूची में वर्जित मदें न हों । तथापि, बासमती पैडी/ब्राउन राइस का आयात निषिद्ध होगा । एक्वाकल्चर कृषि पुष्प उत्पादन, बागवानी, पशुपालन आदि के क्षेत्रों में लगी निर्यात अभिमुख यूनिटों के लिए शुल्क मुक्त आयात हेतु अनुमत वस्तुएं इस संबंध में जारी सीमाशुल्क अधिसूचना में निर्धारित की गई हैं ।

पुराना पूंजीगत माल

95. पुराने पूंजीगत माल का आयात भी अध्याय-पांच में दिए गए प्रावधानों के अनुसार किया जा सकता है ।

पूंजीगत माल का पट्टा करना

96. पार्टियों के बीच में हुए पक्के ठेके के आधार पर कोई निर्यात अभिमुख यूनिट/निर्यात संसाधन क्षेत्र की यूनिट घरेलू पट्टे वाली कम्पनी से पूंजीगत माल उठा सकती है । ऐसे मामले में घरेलू पट्टे वाली कम्पनी तथा निर्यात अभिमुख यूनिट/निर्यात संसाधन क्षेत्र की यूनिट शुल्क मुक्त पूंजीगत माल आयात करने के लिए संयुक्त रूप से आयात दस्तावेज फाइल करेगी ।

मूल्य संयोजन और निर्यात आभार

97. यूनिट कम से कम 20% का मूल्य वर्धन प्राप्त करेगी किन्तु परिशिष्ट-दो में विनिर्दिष्ट उद्योगों में लगी हुई यूनिटें उसमें निर्दिष्ट मूल्य वर्धन मानदण्डों को पूरा करेगी । अनुमति-पत्र आशय पत्र में निर्दिष्ट निर्यात के लिए विनिर्माण की मदें मूल्य संयोजन के परिकलन के लिए तथा निर्यात आभार के पालन के लिए मानी जाएंगी । उक्त के होते हुए भी इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर जैसे क्षेत्रों में न्यूनतम मूल्य संयोजन अनुबन्ध के बिना भी प्रोजेक्ट लगाने की अनुमति होगी ।

विधिक वचन बद्धता

98. यूनिट सम्बन्धित विकास आयुक्त को एक बन्धपत्र/विधिक वचनबद्धता प्रस्तुत करेगी और अनुमोदन आशयपत्र में निर्धारित आभारों को पूरा न करने पर विफलता के मामले में वह उस बंधपत्र/विधिक वचनबद्धता या कुछ समय के लिए लागू किसी अन्य कानून के अधीन दण्ड की भागी होगी ।

99. हटा दिया गया है ।

स्वत: अनुमोदन

100. परियोजना आवेदन पत्रों पर जो उद्योग मंत्रालय के उपयुक्त प्रैस नोट में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं, संबंधित निर्यात संसाधन क्षेत्र के विकास आयुक्त द्वारा 15 दिन के अन्दर-अन्दर स्वत: अनुमोदन किया जा सकता है । निर्यात अभिमुख यूनिटों के मामले में ऐसा अनुमोदन औद्योगिक अनुमोदन सचिवालय (एस०आई०ए०) द्वारा दिया जाएगा ।

अन्य मामले

101. अन्य मामलों में अनुमोदन इस प्रयोजन के लिए गठित किए गए बोर्डों या औद्योगिक अनुमोदन सचिवालय द्वारा दिया जा सकता है जैसा भी मामला हो ।

डी०टी०ए० बिक्री (घरेलू टैरिफ क्षेत्र में बिक्री)

102. निर्यात अभिमुख यूनिटों/निर्यात संसाधन क्षेत्र की यूनिटों का सकल उत्पादन निम्नलिखित को छोड़कर निर्यात किया जाएगा :—

(क) 5% तक रिजेक्ट्स अथवा अनुमोदन बोर्ड द्वारा यथानिर्धारित प्रतिशत तक रिजेक्ट्स का घरेलू टैरिफ क्षेत्र में बेचा जा सकता है बशर्ते कि उपयुक्त करों का भुगतान कर दिया गया हो, और

(ख) मूल्य के अनुसार, उत्पादन का 25% घरेलू टैरिफ क्षेत्र में बेचा जा सकता है । डी०टी०ए० बिक्री न्यूनतम मूल्य संयोजन की पूर्ति के अधीन होगी । आभूषणों, हीरों, बहुमूल्य तथा अर्ध बहुमूल्य पत्थरों/रत्नों, मोटर कारों, अल्कोहलिक द्रव्यों, सिल्वर बुलियन और सार्वजनिक सूचना द्वारा महानिदेशक, विदेश व्यापार द्वारा अनुबंध की गई ऐसी अन्य मदों के सम्बन्ध में डी०टी०ए० में बिक्री की अनुमति नहीं होगी ।

(ग) फिर भी, निर्यात अभिमुख यूनिट/निर्यात संसाधन यूनिट कृषि, जलचर पालन, पशुपालन, पुष्प, कृषि, उद्यान-विज्ञान, मत्स्यपालन, मुर्गीपालन और रेशम उत्पादन में, इस सम्बन्ध में अधिसूचित डी०टी०ए० बिक्री निर्देशों के अनुसार न्यूनतम मूल्य संयोजन की पूर्ति के अनुसार डी०टी०ए० में मूल्य के सम्बन्ध में उत्पादन के 50% तक बेची जा सकती है ।

(घ) इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर उत्पादों की निम्नलिखित आधार पर डी०टी०ए० में बिक्री की जा सकती है :

प्राप्त मूल्य संयोजन	डी०टी०ए० में अनुमत बिक्री
(क) 15% से कम	शून्य
(ख) 15-25%	यूनिट में निर्मित संघटकों सहित इलेक्ट्रानिक मदों के मूल्य के सम्बन्ध में उत्पादन के 30% तक
(ग) 25% से अधिक	यूनिट में निर्मित संघटकों सहित इलेक्ट्रानिक मदों

के मूल्य के सम्बन्ध में उत्पादन के 40% तक साफ्टवेयर मदों के लिए डी०टी०ए० बिक्री सुविधा 25% होगी ।

नोट :—इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर और साफ्टवेयर निर्माण करने वाली यूनिटों के मामले में, मूल्य संयोजन और डी०टी०ए० बिक्री हकदारी, साफ्टवेयर और हार्डवेयर के लिए अलग से रखा जाएगा ।

निर्यात आभार

103. निर्यात आभार को पूरा करने के लिए निम्नलिखित आपूर्तियों को हिसाब में लिया जाएगा :—

(क) नीति के 121 पैराग्राफ के सम्बन्ध में डी०टी० ए० में की गई आपूर्तियां,

(ख) विदेशी मुद्रा में भुगतान के प्रति डी०टी०ए० में की गई आपूर्ति ।

(ग) हटा दिया गया है ।

(घ) निर्यातोन्मुख इकाई/निर्यात संवर्धन जोन यूनिटों को की गई आपूर्ति इस शर्त के साथ कि निर्यातोन्मुख यूनिटों/निर्यात संवर्धन क्षेत्र की यूनिटों द्वारा निर्यात करने से पूर्व इस आपूर्ति को आगे संसाधित/उत्पादन किया जाता है । इसी आपूर्ति के लिए विकास आयुक्त द्वारा अनुमति प्रदान की जाएगी ।

निर्यात सदन/व्यापार सदन/स्टार व्यापार सदन/सुपर स्टार व्यापार सदन के जरिये निर्यात

104. कोई निर्यात अभिमुख यूनिट/निर्यात संसाधन क्षेत्र की यूनिट अपने विनिर्मित माल का निर्यात किसी अन्य निर्यात अभिमुख यूनिट/निर्यात संसाधन क्षेत्र यूनिट या इस नीति के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त किसी व्यापारी निर्यातक/निर्यात सदन/व्यापार सदन/सुपर स्टार/स्टार व्यापार सदन/सुपर स्टार व्यापार सदन के जरिए कर सकती है । यह अनुमति केवल व्यापारी निर्यातक/निर्यात सदन/व्यापार सदन/स्टार व्यापार सदन द्वारा माल के विपणन तक ही सीमित है । माल का विनिर्माण निर्यात अभिमुख यूनिट/निर्यात संसाधन क्षेत्र की यूनिटों में किया जाएगा । मूल्य वर्धन तथा निर्यात आधार और साथ ही आयात एवं निर्यात संबंधी कोई अन्य आभार निर्यात उन्मुख यूनिट/निर्यात संसाधन क्षेत्र की यूनिट द्वारा पूरे किए जाते रहेंगे ।

105. विकास आयुक्त निम्नलिखित की भी अनुमति दे सकता है :—

(क) निर्यात अभिमुख यूनिटों/निर्यात संसाधन क्षेत्र की यूनिटों द्वारा उत्पादित माल के समुचित मात्रा में, नमूनों की आपूर्ति या बिक्री जो लगाए जाने वाले शुल्क का भुगतान करने पर प्रदर्शनी या प्रचार आदेशों के लिए हों । ऐसे माल को लौटाने का समुचित आश्वासन देने पर ऐसे नमूनों को यूनिटों से हटाने की अनुमति दी जा सकती है ।

(ख) डी०टी०ए० में बिक्री किए गए परन्तु त्रुटिपूर्ण पाए गए माल को मरम्मत विस्थापन हेतु वापिस लाना । ऐसा माल यूनिट से हटाया जा सकता है बशर्ते कि माल की पहचान हेतु सीमा-शुल्क प्राधिकारी संतुष्ट हों ।

(ग) मरम्मत/परीक्षण अथवा व्याससमापन हेतु टी०टी० ए० के माल का स्थानांतरण बशर्ते कि निर्यात अभिमुख यूनिट के मामले में इसकी अनुमति सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा दी जाए ।

डी०टी०ए० से आपूर्तियों के लाभ

106(1) निर्यातोन्मुखी/निर्यात संसाधन क्षेत्र की यूनिटों को घरेलू टैरिफ क्षेत्र से की गई आपूर्तियों को अभिग्रहीत निर्यात "समझा जाएगा" और वे नीति के पैरा 122 के अन्तर्गत प्रदत्त संगत लाभों के लिए भी पात्र होंगे :—

(क) केन्द्रीय बिक्री कर की वापसी ।

(ख) पुंजीगत माल, संघटकों और कच्चे माल पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान में छूट, और

(ग) यदि आपूर्तिकर्ता पर कोई निर्यात आभार बकाया है तो उसका भुगतान ।

(2) निर्यातोन्मुखी यूनिटें/निर्यात संसाधन क्षेत्रों की यूनिटें, डी०टी०ए० आपूर्तिकर्ताओं से उपयुक्त बाधा-परित्याग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर ,नीति के पैरा 122(ख) और 122(ग) में उल्लिखित लाभों को प्राप्त करने के लिए प्राप्त होगी । इस उद्देश्य के लिए, वे विदेश व्यापार महानिदेशालय के द्वारा ग्रांड दरों को निर्धारित करायेंगे । तथापि, ऐसी आपूर्तियां उपरोक्त पैरा 104(1) में दिये गये लाभों के लिए पात्र होगीं ।

शर्तें

107. पैराग्राफ 106 के अन्तर्गत दिए गए लाभ तभी दिए जाएंगे बशर्ते कि सप्लाई किए जाने वाला माल देश में निर्मित किया गया हो ।

निर्यातोन्मुखी यूनिट/निर्यात संवर्धन क्षेत्र की यूनिटों के लिए लाभ

108. रियायती किराया : निर्यातोन्मुखी क्षेत्रों की यूनिटें पहले तीन वर्षों के लिए आबंटित औद्योगिक प्लाट और स्टैन्डर्ड डिजाइन फैक्टरी बिल्डिंग के पट्टे के रियाअती किराए के लिए निम्नलिखित दरों पर पात्र होंगी :—

प्लाटों के लिए : यदि उत्पादन पहले या दूसरे वर्ष में शुरु हो गया हो तो पहले वर्ष में रिआयत 75% दूसरे वर्ष में 50% और तसरे वर्ष में 25% होगी । यदि उत्पादन दूसरे वर्ष के अन्त में शुरु नहीं हुआ तो तीसरे वर्ष के लिए रियाअत नहीं दी जाएगी ।

एस.डी.एफ. बिल्डिंग/शैड के लिए : यदि पहले वर्ष में उत्पादन शुरू हो गया हो तो पहले वर्ष के लिए 50% और दूसरे वर्ष के लिए 40% रिआयत होगी । यदि उत्पादन पहले वर्ष में शुरू हो गया हो तो तीसरे वर्ष के लिए रियाअत 25% होगी । यदि उत्पादन पहले वर्ष के अन्त तक शुरू नहीं हुआ तो रियाअत नहीं दी जाएगी ।

टैक्स छुट्टी : निर्यातोन्मुखी/निर्यात संसाधन क्षेत्र की यूनिटों को प्रचालन के पहले आठ वर्षों में पांच वर्षों के ब्लाक के लिए कार्पोरेट आय कर के भुगतान से छूट होगी ।

निर्यात सदन/व्यापार सदन/स्टार व्यापार सदन या सुपर स्टार व्यापार सदन स्तर प्रदान करने के लिए डी.टी.ए. में निर्यातोन्मुखी/निर्यात संसाधन क्षेत्र की यूनिट के निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य इसकी पैतृक कम्पनी के निर्यात के पोत-पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के साथ मिलाया जा सकता है ।

100% विदेशी इक्विटी: निर्यातोन्मुखी/निर्यात संसाधन क्षेत्र की यूनिटों के मामलों में 100% तक विदेशी इक्विटी की अनुमति है ।

निर्यातोन्मुख यूनिटें/निर्यात संसाधन क्षेत्र की यूनिटें उनके द्वारा उपरोक्त गुणवत्ता प्रमाणीकरण के अन्तर्गत किए गए निर्यात के 2% की दर से विदेश आयात लाइसेंस प्रदान किये जाने सहित उन्हीं लाभों के लिए अधिकृत होगी जो उन विनिर्माताओं को उपलब्ध हैं जिन्होंने 9000 (सीरिज) का आई.एस.ओ. या 9000 (सीरिज) का आई.एस./आई.एस.ओ. (सीरिज) अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्यता प्राप्त कोई अन्य समकक्ष गुणवत्ता-प्रमाणपत्र, जोकि केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया हो ।

अन्तः यूनिट हस्तान्तरण

109. एक निर्यातोन्मुखी यूनिट/निर्यात संवर्धन क्षेत्र की यूनिट से दूसरी निर्यातोन्मुखी यूनिट/निर्यात संवर्धन क्षेत्र की यूनिट को विनिर्मित माल के हस्तान्तरण की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते कि यूनिट, ऐसे आदान-प्रदान की सामयिक रिपोर्ट, सम्बन्धित निर्यात संवर्धन क्षेत्र के विकास आयुक्त को देती रहे ।

110. निर्यातोन्मुखी/निर्यात संसाधन क्षेत्र की यूनिट द्वारा आयातित माल विकास आयुक्त की अनुमति से अन्य निर्यातोन्मुख/निर्यात संसाधन क्षेत्र की यूनिट को ऋण पर दी जा सकती है या स्थानान्तरित की जा सकती है ।

उप संविदायें करना

111. निर्यातोन्मुखी यूनिटों/निर्यात संसाधन क्षेत्रों की यूनिटों को, प्रत्येक मामले के आधार पर, डी०टी०ए० में यूनिटों को, जॉब कार्य हेतु अपनी उत्पादन प्रक्रिया के भाग की उप-संविदा करने की अनुमति दी जा सकती है । इस सम्बन्ध में किये गये आवेदनों पर, सम्बन्धित सीमाशुल्क प्राधिकारी निवेश-उत्पादन मानदण्डों का निर्धारण और संबंधित यूनिटों के द्वारा बंधपत्र/बांड प्रस्तुत किये जाने जैसे कारकों के आधार पर विचार करेंगे ।

आयातित माल की बिक्री

112. यदि कोई निर्यातोन्मुखी यूनिट/निर्यात संवर्धन क्षेत्र की यूनिट वैध कारणों से आयातित माल का उपयोग नहीं कर पाती है तो यह सीमाशुल्क से स्पष्टीकरण के अध्यधीन डी०टी०ए० में उनको पुनः निर्यात या निष्पादित कर सकती है ।

113. आयातित मशीनरी/पूर्जागत माल जो पुरानी हो गई हो, का निपटान किया जा सकता है बशर्ते कि उसके कम मूल्य पर सीमाशुल्क का भुगतान कर दिया गया हो ।

रद्दी का निपटान

114. डी०टी०ए० में उत्पादन प्रक्रिया से बचे स्क्रैप/वेस्ट/रैमनैन्ट्स के भुगतान या बिक्री की अनुमति लागू शुल्कों और करों के भुगतान के बाद होगी । ऐसे स्क्रैप/वेस्ट/रैमनैन्ट्स की प्रतिशत बोर्ड द्वारा निश्चित की जाएगी और विदेश व्यापार, महानिदेशक द्वारा इस सम्बन्ध में जारी किए गए सार्वजनिक सूचना में अधिसूचित की जाएगी ।

निजी बांड वाले भंडागार

115. निजी बांड वाले भंडागार, इसके गिनाये गये उद्देश्यों के लिए निर्यात संसाधन क्षेत्रों में, स्थापित किये जा सकते हैं । ऐसे भंडागारों के लिए उपरोक्त पैरा-97 की आवश्यकताओं को पूर्ण करना आवश्यक नहीं होगा लेकिन अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुबंध शर्तों का पालन करना बाध्यकर होगा । इस अध्याय के पैरा 100, 102, 103, 104, 109, 111 और 112 के प्रावधान ऐसे मामलों में लागू नहीं होंगे ।

(क) माल का आयात और बिक्री उपभोजक निर्यातोन्मुखी/निर्यात संवर्धन क्षेत्र की यूनिटों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयातों की अनुमति दी जा सकती है । निर्यात-आयात नीति के अनुसरण में लाइसेंस के बिना आयात योग्य मदों का आयात और डी०टी०ए० में बिक्री की जा सकती है बशर्ते कि ऐसी बिक्री प्रभावी होने के समय लागू शुल्कों का भुगतान कर दिया जाए ।

(ख) पुनः पैक करने/लेबल लगाने के पश्चात् पुनः निर्यात समेत व्यापार पुनः पैक करने और लेबल लगाने जैसे कार्यों के लिए मुक्त रूप से परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में पुनः निर्यात के लिए आयातों की अनुमति दी जा सकती है ।

रिकंडिशनिंग पुनः निर्माण और मरम्मत

115-क. रिकंडिशनिंग पुनः निर्माण और मरम्मत जैसे कार्यों के लिए ऐसे भंडागारों आयातों की अनुमति मुक्त रूप से परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में निर्यातों के लिए दी जा

सकती है । इस अध्याय के पैराग्राफ 97, 100, 102, 103, 104, 109 और 111 के प्रावधान ऐसे क्रियाओं में लागू नहीं होंगे ।

बन्धपत्र की लागू अवधि

116. निर्यात अभिमुख स्कीम के अंतर्गत यूनिटों के लिए बंधपत्र की लागू अवधि 10 वर्ष होगी । तीव्र प्रौद्योगिकी परिवर्तन करने वाले उत्पादों के मामले में यह अवधि अनुमोदन बोर्ड (बी०ओ०ए०) द्वारा घटाकर 5 वर्ष की जा सकती है । बन्धपत्र की लागू अवधि पूरी होने पर यह यूनिट की इच्छा पर निर्भर होगा कि यह इसे जारी रख या स्कीम में कोई विकल्प ढूंढे । तथापि, बन्धपत्र से इस प्रकार की मुक्ति विकल्प देते समय लागू औद्योगिक नीति के अध्यधीन दी जाएगी ।

बन्धपत्र से विमुक्ति

117. निर्यात अभिमुख यूनिट/निर्यात ससाधन क्षेत्र की यूनिटों को निर्यात आभार, मूल्य-वर्धन या अन्य अपेक्षाओं की पूर्ति में असमर्थ होने पर अनुमोदन बोर्ड की संतुष्टि पर दाण्ड रहित किया जा सकता है । इस प्रकार बन्धपत्र से वंचित करने में ऐसे दण्ड दिए जाएंगे जिन्हें विमुक्ति के समय लगाए गए करें ।

117-क. किसी निर्यातोन्मुख/निर्यात संसाधन क्षेत्र की यूनिट को भी एक विकल्प देकर यह अनुमति होगी कि ईपीसीजी स्कीम के 15% ड्यूटी रिन्यीज के अन्तर्गत पूंजीगत माल को शुल्क का भुगतान करने बन्ध पत्र से विमुक्त करना होगा, बशर्ते कि यूनिट उक्त योजना के अन्तगत लागू निर्यात आभार पूरे करने के लिए वचनबद्ध हो । ऐसी बंध पत्र विमुक्ति लगाए गए दण्डों के अधीन होगी और अन्य सामान पर लागू सीमाशुल्क तथा चुंगी के भुगतान पर होगी ।

परिवर्तन

118. मौजूदा डी०टी०ए० यूनिटें किसी निर्यात अभिमुख यूनिट में परिवर्तन के लिए आवेदन कर सकती हैं लेकिन पहले से प्रतिष्ठापित संयंत्र, मशीनरी और उपस्कर के लिए योजना के अन्तर्गत शुल्कों और करों में कोई छूट नहीं दी जाएगी । ईपीसीजी स्कीम के अन्तर्गत निर्यात आभार वाली मौजूदा डी०टी०ए० यूनिटें ई०ओ०यू० में परिवर्तन के लिए आवेदन कर सकती है । ऐसे परिवर्तन में ईपीसीजी स्कीम के अन्तर्गत निर्यात आभार निर्यातोन्मुख यूनिट के रूप में निर्यातों के साथ-साथ ही पूरे किए जाएंगे ।

119. इस अध्याय के लिए "मूल्य संयोजन" प्रतिशतता के रूप में व्यक्त किया जाएगा और निम्नलिखित सूत्र के अनुसार वाणिज्यिक उत्पादन से लेकर पांच वर्षों के लिए संगणित किया जाएगा :—

$$\text{बी०ए०} \times \frac{\text{ए-बी}}{\text{ए}} \times 100, \text{ जहां}$$

बी०ए० मूल्य सयोजन है

(ए) निर्यात अभिमुख यूनिट/निर्यात संसाधन क्षेत्र की यूनिट द्वारा रिलीज किया गया जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य है, और

(बी) सभी आयातित निवेशों के लागत बीमा भाड़ा मूल्य का कुल योग, कमीशन, रायल्टी, फीस या किसी अन्य अधिकार के माध्यम से विदेशी मुद्रा में किए गए सभी भुगतानों का मूल्य और निर्यात अभिमुख यूनिट/निर्यात संसाधन क्षेत्र यूनिट द्वारा खरीदे गए सभी देशीय निवेशों का मूल्य है । निवेशों का अर्थ है—कच्चा माल, मध्यवर्ती, संघटक, कन्ज्यूमेबिल्स, पार्टस और पैकिंग सामग्री ।

नोट : 1. यदि कोई निवेश अन्य निर्यातोन्मुखी/निर्यात संसाधन क्षेत्र से प्राप्त किया गया है, ऐसे निवेशों का मूल्य बी के अन्तर्गत शामिल किया जाएगा ।

2. यदि कोई आयातित शुल्क मुक्त पूंजीगत माल घरेलू लीजिंग कम्पनी से पट्टे पर लिया गया है, तो पूंजीगत माल का बीमा लागत भाड़ा मूल्य बी के अन्तर्गत शामिल किया जाएगा ।

3. प्रोजैक्टों के मामले में जहां भूमि इमारत, प्लान्ट और मशीनरी में निवेश 200 करोड़ रुपए से अधिक हो, पूंजीगत माल का मूल्य सात साल की अवधि तक परिशोधित किया जाएगा : ऐसे मामलों में, आयातित पूंजीगत माल के लागत बीमा भाड़ा मूल्य का केवल 5/7वां बी के अन्तर्गत शामिल किया जाएगा ।

अध्याय 10

अभिगृहीत निर्यात

परिभाषा :

120. "अभिगृहीत निर्यात" का अर्थ उस लेन-देन से, जिसमें आपूर्ति किया गया माल देश से बाहर नहीं जाता और माल के लिए पैसे का भुगतान संभरक द्वारा भारत में प्राप्त किया जाता है ।

संभरण की श्रेणियां

121. इस नीति के तहत निम्नलिखित श्रेणियों के माल का संभरण "अभिगृहीत निर्यात" के रूप में माना जाएगा बशर्ते कि माल भारत में विनिर्मित है :

(क) शुल्क मुक्त स्कीम के तहत जारी "शुल्क मुक्त लाइसेंसों" के मद्दे माल का संभरण ।

(ख) हटा दिया गया ।

(ग) निर्यात संसाधन क्षेत्रों (ई०पी०जैड०) या साफ्टवेयर टैक्नालोजी पार्कस (एसटीपी) या निर्यात अभिमुख यूनिटों ई. ओ. यू. (या इलैक्ट्रानिक हार्डवेयर टैक्नालौजी पार्कस) (ई एच टी पी) में स्थित यूनिटों को माल का संभरण ।

(ङ) निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल स्कीम के अन्तर्गत लाइससधारियों को पूंजीगत माल की आपूर्ति ।

(छ) वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली या सीमित निविदा पद्धति के तहत बहुपक्षीय या द्विपक्षीय अभिकरणों/निधियों द्वारा वित्त-पोषित परियोजनाओं को उन अभिकरणों/निधियों की क्रियाओं के अनुसार माल का संभरण, जबकि टेंडर मूल्यांकन सीमा-शुल्क को शामिल किए बिना विधिक करार उपलब्ध कराएंगे ।

(च) उवरक संयंत्रों को पूंजीगत माल का संभरण, यदि संभरण अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली की प्रक्रिया के अधीन किया गया हो ।

(छ) हटा दिया गया ।

(ज) घरेलू संभरण के लिए इस अध्याय के अन्तर्गत शून्य सीमाशुल्क पर, घरेलू आपूर्ति का लाभ देते हुए किसी परियोजना या प्रयोजन के लिए वित्त मंत्रालय की एक अधिसूचना के तहत घरेलू संभरण के लिए माल की सप्लाई ।

(झ) ऊर्जा, तेल और गैस के क्षेत्रों में ऐसी परियोजनाओं के लिए माल की आपूर्ति, जिसके बारे में वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के जरिए इस अध्याय के अधीन घरेलू आपूर्ति के लिए लाभों को बढ़ावा दिया है ।

अभिगृहीत निर्यात के लिए लाभ

122. अभिगृहीत निर्यात के रूप में पात्रता प्रदान करने वाले माल के विनिर्माण और आपूर्ति के संदर्भ में अभिगृहीत निर्यात पर निम्नलिखित लाभ दिए जायेंगे :—

(क) पैरा 56 के अधीन शुल्क मुक्त स्कीम ।

(ख) अभिगृहीत निर्यात शुल्क वापसी स्कीम ।

(ग) टर्मिनल उत्पाद शुल्क की वापसी ; और

(घ) दिनांक 1 अप्रल, 1995 से आपूर्ति मूल्य (सभी करों एवं उगाहियों को छोड़) के (रेल तक निःशुल्क) एफ ओ आर 6% की दर पर विशेष आयात लाइसेंस ।

अध्याय—11

निर्यात

मुक्त निर्यात

123. सभी निर्यात बिना किसी प्रतिबन्ध के होंगे लेकिन यह वहीं तक सीमित रहेगा जहां तक कि वे निर्यात की निषेधात्मक सूची या इस नीति के प्रावधानों द्वारा या कुछ समय के लिए लागू किसी अन्य कानून द्वारा विनियमित होते हों ।

लेकिन, महानिदेशक विदेश व्यापार एक सार्वजनिक सूचना के जरिए उन शर्तों को निर्धारित कर सकते हैं जिनके अनुसार निर्यातों की निषेधात्मक सूची में शामिल न की गई किसी वस्तु का बिना लाइसेंस के निर्यात किया जा सकता है । इन शर्तों में ये बातें शामिल की जा सकती है न्यूनतम निर्यात कीमत (एम ई पी) विशिष्ट प्राधिकारियों के पास पंजीयन, मात्रात्मक सीमा और अन्य विधियों, नियमों, विनियमों का पालन करना ।

पंजीयन सह सदस्यता प्रमाणपत्र (आर०सी०एम०सी०)

124. इस नीति के अन्तर्गत यदि कोई व्यक्ति (i) निर्यात के लिए लाइसेंस या (ii) किसी अन्य लाभ या (iii) रियायत के लिए आवेदन करता है तो उसे क्रियाविधि पुस्तिका के अध्याय 13, पैरा 219 में यथानिर्दिष्ट आर सी एम सी जारी करने वाले प्राधिकारियों द्वारा उसे स्वीकृत पंजीयन सह-सदस्यता प्रमाणपत्र (आर सी एम सी) संख्या देनी होगी ।

125. हटा दिया गया ।

संविदाओं को भुनाना और निर्यात प्राप्तियों की वसूली

126. सभी निर्यात संविदा और बीजक मुख्य रूप से परिवर्तनीय मुद्रा से भुनाए जाएंगे और निर्यात प्राप्तियां मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में वसूल की जाएंगी । जिन संविदाओं के लिए अदायगी एशियन क्लीयरिंग यूनियन (ए सी यू) के जरिए प्राप्त किए जाएंगे वे एशियन क्लीयरिंग यूनियन डालर में प्राप्त किए जाएंगे ।

केन्द्रीय सरकार उपयुक्त मामलों में इस पैराग्राफ के प्रावधानों में छूट दे सकती है ।

यदि कोई निर्यातक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट समय के भीतर निर्यात आय वसूल नहीं कर सकता है तो ऐसी स्थिति में वह उस समय पर लागू किसी कानून के अन्तर्गत किसी दायित्व या दण्ड के पूर्वाग्रह के बिना, उस अधिनियम, नियम और उसके अन्तर्गत किए गए आदेश के प्रावधान और नीति के प्रावधान के अनुसार कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होंगे ।

127. हटा दिया गया ।

पुनर्निर्यात

128. इस नीति के अनुसार आयातित माल का पुनर्निर्यात बिना लाइसेंस के उसी रूप में अथवा उसके अधिकांशतः उसी रूप में किया जा सकेगा बशर्ते निर्यात की जाने वाली मद आयात अथवा निर्यात की नकारात्मक सूची में नहीं है ।

128-क. आयात की निषेधात्मक सूची अथवा निर्यात की निषेधात्मक सूची (किसी भी सूची में निषिद्ध मदों को छोड़कर) में शामिल मदों का आयात निम्नलिखित शर्तों के अनुसार पुनः निर्यात के लिए जा सकता है :—

(1) इसमें न्यूनतम 10% मूल्य संवर्धन हो ।

(2) मदों का आयात सीमाशुल्क बंधपत्र के अधीन होगा ।

(3) आयात एवं पुनः निर्यात एक ही सीमाशुल्क बांडिड परिसर से किया जाएगा, और

(4) इस पैरा के अन्तर्गत मदें सीमाशुल्क बांडिड परिसर से बाहर नहीं ले जाई जाएंगी ।

वैयक्तिक असबाब का निर्यात

129. बाहर जाने वाले भारतीय यात्रियों के वास्तविक निजी असबाब को या तो यात्रियों के साथ ही या यदि साथ न ले जाना हो तो भारत से यात्री के प्रस्थान के पहले या बाद में एक वर्ष के अन्दर ले जाने की अनुमति है। निर्यात की निषेधात्मक सूची में सम्मिलित मदों के लिये खाद्य मदों को छोड़कर एक लाइसेंस लेना जरूरी होगा।

130. हटा दिया गया है।

उपहारों का निर्यात

131. किसी एक लाइसेंसिंग वर्ष में 15000/- रुपये से कम मूल्य का खाद्य मदों सहित माल का निर्यात उपहार स्वरूप निर्यात किया जा सकेगा। निर्यात की निषेधात्मक सूची की मदों को (खाद्य मदों को छोड़कर) उपहार के तौर पर बिना लाइसेंस के निर्यात नहीं किया जा सकता।

पुर्जों का निर्यात

132. संयंत्र, उपस्कर, मशीनरी, आटोमोबाइल अथवा किसी अन्य माल के स्वदेशी अथवा आयातित वारण्टी अतिरिक्त पुर्जों का निर्यात मुख्य उपस्कर के साथ ही साथ या बाद में उसके निर्यात के कुल जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 5% तक किया जा सकेगा। जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 5% से अधिक मूल्य के अतिरिक्त पुर्जों के निर्यात की अनुमति किसी लाइसेंस पर दी जा सकेगी।

प्रतिस्थापन/मरम्मत किए माल का निर्यात

132-क. निर्यात करते समय यदि कोई माल या उसके हिस्से दोषपूर्ण/टूटा-फूटा अथवा अन्यथा प्रयोग के अयोग्य पाये जाएं तो उनका प्रतिस्थापन निर्यातक द्वारा निःशुल्क किया जाएगा और इस प्रकार के माल की सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा क्लीयरेंस निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन दी जा सकेगी :—

(क) प्रतिस्थापन का माल निर्यात की निषेधात्मक सूची में नहीं हो ;

(ख) प्रतिस्थापन लगभग उतनी मात्रा और मूल्य के बराबर होगा जितना माल दोषपूर्ण/टूटा-फूटा अथवा प्रयोग के अयोग्य पाया गया हो ; और

(ग) प्रतिस्थापन वस्तुओं का लदान पहले से निर्यात की गई वस्तुओं के निपटारे के तिथि से 12 महीनों की अवधि के अन्दर या जहां यह अवधि 12 महीनों से ज्यादा है वहां मशीनों या उनके पुर्जों के मामले में गारंटी अवधि के अन्दर की जाती है।

उपर्युक्त प्रावधानों के अन्दर नहीं आने वाले मामलों पर विदेश व्यापार महानिदेशक द्वारा योजना के आधार पर विचार किया जाएगा।

विशेष आयात लाइसेंस लाभ

132-ख. संचार उपकरण तथा इलेक्ट्रानिक वस्तुओं और सेवाओं के निर्यातक, विशेष आयात लाइसेंस के लाभ के लिए निम्नांकित दरों पर तथा इस संबंध में सार्वजनिक सूचना में दी गयी शर्तों के अनुसार हकदार होंगे :—

(क) डी टी ए में निर्यातक एन०एफ०ई० का 30% (शुल्क छूट योजना के अन्तर्गत लाइसेंस धारकों को छोड़कर)

(ख) शुल्क छूट योजना के एन०एफ०ई० का 15% अन्तर्गत लाइसेंस धारक

(ग) ई०ओ०यू०, ई०एच० एफ०एफ०ई० का 15% टी०पी० तथा ई पी जेड एवं एम टी पी में एकक

इस नीति के अनुच्छेद 138 के प्रावधान एन०एफ०ई० की गणना के लिए लागू होंगे।

पारगमन सुविधा

133. भारत से या भारत के समीपवर्ती देशों को भारत से होकर वस्तुओं का पारगमन भारत और उन देशों के बीच हुई संधियों के अनुसार होगा।

134. हटाया गया।

अध्याय-12

निर्यात सदन, व्यापार सदन, स्टार व्यापार सदन और सुपर स्टार व्यापार सदन

परिभाषा

135. व्यापारी और विनिर्माता निर्यातक और विदेशी इक्विटी रखने वाली कम्पनियों सहित व्यापारी कम्पनियों निर्यात अभिमुख यूनिटों (ई ओ यू) और निर्यात संसाधन क्षेत्रों (ई पी जेड)/इलैक्ट्रानिकी हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों (ई एच टी पी) साफ्टवेयर टेकनोलोजी पार्क्स (एस टी पी) में स्थित यूनिटों को निर्यात सदनों, व्यापार सदनों, स्टार व्यापार सदनों अथवा सुपर स्टार व्यापार सदनों को समय-समय पर यथानिर्धारित कसौटी के अन्तर्गत मान्यता दी गई है। ऐसे निर्यात सदन, व्यापार सदन, स्टार व्यापार सदन और सुपर स्टार व्यापार सदन उस समय तक उस स्तर पर बने रहेंगे जिस समय तक उन्हें वह स्तर प्रदान किया गया था।

नवीकरण का मानदण्ड

136. जब कोई निर्यात सदन, व्यापार सदन, स्टार व्यापार सदन या सुपर स्टार व्यापार सदन के रूप में पूर्व-निर्धारित अवधि की समाप्ति पर निर्यात सदन, व्यापार सदन, स्टार व्यापार सदन या सुपर स्टार व्यापार सदन, जैसा भी मामला हो, के रूप में नवीकरण के लिए नए सिरे से आवेदन करता है तो उसे मान्यता प्रदान करने के लिए निर्धारित मानदण्ड पर खरा उतरना होगा।

मान्यता के लिए मानदण्ड

137. निर्यात सदन, व्यापार सदन, स्टार व्यापार सदन या सुपर स्टार व्यापार सदन के रूप में मान्यता प्रदान की पात्रता करने का आधार गत तीन लाइसेंसिंग वर्षों में या पिछले लाइसेंसिंग वर्ष में जो भी विकल्प निर्यातक द्वारा चुना गया हो जैसा कि नीचे दिया जा रहा है । वास्तविक निर्यातों और सेवाओं निर्यातक द्वारा सीधे ही किए साफ्टवेयर के निर्यातों सहित के निर्यात के पोतपर्यन्त निःशुल्क मूल्य या शुद्ध विदेशी मुद्रा अर्जन (एन एफ ई) के आधार पर किया जाएगा । शुद्ध विदेशी मुद्रा अर्जन का मानदण्ड व्यापारी निर्यातक के लिए उपलब्ध नहीं होगा । पासबुक धारक के मामले में पासबुक स्कीम के अन्तर्गत किया गया निर्यात तभी गिना जाएगा जब निर्यातक जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के आधार पर मान्यता प्राप्त करने के लिए आवेदन करते हैं । किन्तु अनुगृहीत निर्यात मान्यता के तौर पर मान्य नहीं होंगे ।

वर्ग	जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य मानदण्ड		शुद्ध विदेशी मुद्रा मानदण्ड	
	गत तीन लाइसें-सिंग वर्षों में किए गए निर्यातों का औसत मूल्य (रुपयों में)	पिछले लाइसेंसिंग वर्ष के दौरान किए गए निर्यात का पोतपर्यन्त निःशुल्क मूल्य (रुपयों में)	गत तीन लाइसें-सिंग वर्षों के दौरान किए गए निर्यात से अर्जित औसत निवल विदेशी मुद्रा (रुपयों में)	पिछले लाइसेंसिंग वर्ष के दौरान किए गए निर्यात से अर्जित निवल विदेशी मुद्रा (रुपयों में)
निर्यात सदन	10 करोड़	15 करोड़	6 करोड़	12 करोड़
व्यापार सदन	50 करोड़	75 करोड़	30 करोड़	60 करोड़
स्टार व्यापार सदन	250 करोड़	300 करोड़	125 करोड़	150 करोड़
सुपर स्टार व्यापार सदन	750 करोड़	1000 करोड़	400 करोड़	600 करोड़

137-क. काट दिया गया ।

138. यदि पोतपर्यन्त निःशुल्क मूल्य के आधार पर पात्रता का दावा किया गया हो तो नीति के अध्याय 8 में दिए गए माल के वास्तविक निर्यात का आंकलन निर्यात के वास्तविक पोतपर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 50% जितना होगा ।

यदि पात्रता का दावा शुद्ध विदेशी निर्यात के आधार पर किया जाता है तो शुद्ध विदेशी विनियमन की गणना के लिए निर्यातक द्वारा सम्बद्ध अवधि के दौरान पात्र निर्यातों में से निम्नलिखित का लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य घटा दिया जाएगा :—

(क) सम्बद्ध निर्यात उत्पादों में प्रयुक्त सभी आयात (पूंजीगत माल के अतिरिक्त), और

(कक) हीरा उधार बुक स्कीम के अन्तर्गत निर्यातक के मामले में उधार बुक में हकदारियां, और

(ख) वैधता अवधि के अन्तर्गत परित्यक्त लाइसेंसों को छोड़कर नीति पुस्तक के अध्याय 7 और 8 के अन्तर्गत जारी सभी हस्तांतरणीय लाइसेंस ।

दोहरा लाभ

139. शुद्ध विदेशी विनियमन या लघु उद्योग (एस एस आई) से तैयार निर्यात उत्पाद से कमाई गई पोतपर्यन्त निःशुल्क मूल्य पर दोहरा लाभ दिया जाएगा ।

खेलकूद के सामान के निर्यात से कमाए गए पोतपर्यन्त निःशुल्क मूल्य पर दोहरा लाभ दिया जाएगा ।

हथकरघा, हस्तशिल्प के लाभ

139-क. हथकरघा तथा हस्तशिल्प क्षेत्र द्वारा तैयार किए गए उत्पाद, जिनमें हाथ से बुने कालीन और सिल्क उत्पादन भी निहित हैं, को लाभ मिलेगा ।

(क) ऐसे माल के निर्यात से कमाए गए पोतपर्यन्त निःशुल्क मूल्य को दोहरा लाभ ; या

(ख) ऐसे माल के निर्यात से कमाई गई शुद्ध विदेशी मुद्रा पर तिगुना लाभ ।

सहायक कम्पनी

140. निर्यातक की सहायक कम्पनी जो घरेलू टैरिफ क्षेत्र में स्थित है या निर्यात संसाधन क्षेत्र में है या निर्यातोन्मुख

यूनिट/इलैक्ट्रानिक हार्डवेयर टैक्नालोजी पार्क (ई एच टी पी)/साफ्टवेयर टैक्नालोजी पार्क (एस टी पी) द्वारा किए गए निर्यात का पांतपर्यन्त निःशुल्क मूल्य उनकी पैतृक कम्पनी के निर्यात निष्पादन में पात्रता के लिए गिना जाएगा ।

140-क. हटा दिया गया ।

140-ख. हटा दिया गया ।

वैधता अवधि

141. निर्यात सदन/व्यापार सदन/स्टार व्यापार सदन/सुपर स्टार सदन प्रमाण पत्र यदि अन्यथा न दिया हो लाइसेंसिंग वर्ष के अप्रैल से प्रारम्भ से उन तीन वर्षों की अवधि के लिए वैध होंगे जिसमें मान्यता के लिए आवेदन किया गया था । पहले प्रमाण पत्र के समाप्त हो जाने पर उपरोक्त सदन को नया प्रमाण पत्र पाने और आवेदन करने के लिए छह महीने की अनुमति दी जाएगी । इस अवधि के दौरान उपरोक्त सदन साधारण सुविधाएं और फायदे विशेष आयात लाइसेंस (एस आई एल) को छोड़कर उठाने के लिए योग्य होंगे ।

लाभ

142. निर्यात सदन/व्यापार सदन/स्टार व्यापार सदन/सुपर स्टार व्यापार सदन प्रक्रिया पुस्तक के अध्याय 12 में खण्ड 1 में उल्लिखित लाभों के हकदार होंगे ।

अध्याय–13

निर्यात संवर्धन परिषदें

निर्यात संवर्धन परिषदें

143(क) इस समय 19 निर्यात संवर्धन परिषदें (ईपीसी) हैं जिनका मूल उद्देश्य देश के निर्यात का संवर्धन और विकास करना है । प्रत्येक परिषद किसी विशिष्ट उत्पाद-समूह, परियोजनाओं तथा सेवाओं के लिए उत्तरदायी है । निर्यात संवर्धन परिषदें नीचे दी गई हैं :—

(1) परिधान निर्यात संवर्धन परिषद (ए ई पी सी), नई दिल्ली

(2) मूल रसायन, भेषज तथा प्रसाधन सामग्री निर्यात संवर्धन परिषद (कैमेक्सिल), बम्बई

(3) काजू निर्यात संवर्धन परिषद, कोची

(4) कालीन निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली

(5) रसायन तथा संबद्ध उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद (कैपेक्सिल), कलकत्ता

(6) सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, (टैक्सप्रोसिल), बम्बई

(7) इलैक्ट्रोनिक्स एवं कम्प्यूटर साफ्टवेयर निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली

(8) इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद (ई ई पी सी), कलकत्ता

(9) रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद, बम्बई

(10) हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली

(11) हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद (एचईपीसी), मद्रास

(12) भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद, बम्बई

(13) चमड़ा निर्यात परिषद (सीएलई), मद्रास

(14) ओवरसीज कन्स्ट्रक्शन कौंसिल आफ इंडिया (ओसीसीआई), बम्बई

(15) प्लास्टिक एवं लिनोलियम निर्यात संवर्धन परिषद (प्लैक्सिल), बम्बई

(16) चमड़ा निर्यात संवर्धन परिषद, कलकत्ता

(17) खेलकूद सामग्री निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली

(18) सिन्थेटिक एवं रेयन वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, बम्बई

(19) ऊन तथा ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली

(20) विद्युत करघा विकास एवं निर्यात संवर्धन परिषद

(ख) इस अध्याय के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित अभिकरण निर्यात संवर्धन परिषद के रूप में मानी जाएंगी :—

(1) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)

(2) कॉफी बोर्ड

(3) कयर बोर्ड

(4) भारतीय निर्यात संगठन परिषद (फिजो)

(5) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा)

(6) रबड़ बोर्ड

(7) मसाला बोर्ड

(8) चाय बोर्ड

(9) तम्बाकू बोर्ड

लाभ न कमाने वाले संगठन

144. निर्यात संवर्धन परिषदें कंपनी अधिनियम अथवा समितियां पंजीकरण अधिनियम, जैसा कि मामला हो, के अंतर्गत लाभ न कमाने वाले संगठन हैं । इन्हें सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है ।

भूमिका

145. निर्यात संवर्धन परिषदों की मुख्य भूमिका उच्च गुणवत्ता वाले सामान के विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत की छवि प्रस्तुत करना है । विशेषतः निर्यात संवर्धन परिषदें निर्यातकों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानकों एवं विशिष्टियों के संवर्धन तथा मॉनीटरिंग के प्रेक्षण संबंधी कार्य करेगी ।

निर्यात संवर्धन परिषदों को माल और सेवाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की प्रवृत्तियों तथा अवसरों पर नजर रखनी होगी और निर्यातों के विस्तार तथा उनमें विविधता लाने के उद्देश्य से ऐसे अवसरों का लाभ उठाने में अपने सदस्यों की सहायता करेगी ।

कर्त्तव्य

146. निर्यात संवर्धन परिषदों के मुख्य कार्य निम्न प्रकार हैं :

(क) अपने सदस्यों की उनके निर्यातों में विस्तार तथा वृद्धि करने में सहायता करना तथा वाणिज्यिक लाभकारी सूचनाएं उपलब्ध कराना ;

(ख) अपने सदस्यों को प्रौद्योगिकी उन्नयन, गुणवत्ता तथा डिजाइन में सुधार, मानक तथा विशिष्टियों, उत्पाद-विकास नवीन प्रक्रिया आदि जैसे क्षेत्रों में व्यावसायिक परामर्श देना ;

(ग) विदेशों में बाजार अवसरों का अध्ययन करने के लिए अपने सदस्यों के प्रतिनिधिमंडलों के दौरे आयोजित करना ;

(घ) भारत तथा विदेशों में व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों तथा क्रेता-विक्रेता बैठकों में भाग लेना ;

(ङ) निर्यातक समुदाय तथा केन्द्र एवं राज्य दोनों सरकारों के बीच परस्पर बातचीत को बढ़ाना ;

(च) सांख्यिकीय आधार का निर्माण करना तथा देश के निर्यातों तथा आयातों, अपने सदस्यों के निर्यातों तथा आयातों तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी अन्य आवश्यक आंकड़े उपलब्ध कराना ।

सदस्यता

147. कोई भी निर्यातक निर्यात संवर्धन परिषद का सदस्य बनने के लिए आवेदन कर सकता है और इस आवेदन पर निर्यात संवर्धन परिषद के नियमों और विनियमों के अनुसार शीघ्रातिशीघ्र विचार करके उसका निपटान किया जाएगा । सदस्यता प्राप्त होने पर आवेदक को एकदम एक पंजीकरण-सह-सदस्यता प्रमाणपत्र (आरईएमबी) दिया जाएगा ।

व्यावसायिक संस्था

148. निर्यातों के संवर्धन में अपनी भूमिका निभाने के उद्देश्य से यह महत्वपूर्ण है कि निर्यात संवर्धन परिषदें व्यावसायिक निकायों के रूप में कार्य करें । इस प्रयोजन के लिए, व्यावसायिक पृष्ठभूमि वाले तथा उद्योग, वाणिज्य और अंतर्राष्ट्रीय बाजार का अनुभव रखने वाले अधिकारियों को निर्यात संवर्धन परिषदों में लाया जाना चाहिए ।

स्वायत्तता

149. निर्यात संवर्धन परिषदें स्वायत्तशासी होंगी और अपने कामों को स्वयं विनियमित करेंगी । उन्हें मेलों/प्रदर्शनियों आदि में भाग लेने के लिए विदेशों में बिक्री दलों को भेजने हेतु केन्द्र सरकार की मंजूरी लेना अपेक्षित नहीं होगा । केन्द्र सरकार केवल निर्यात परिषदों की वार्षिक योजनाओं तथा बजट को ही स्वीकृति देगी तथा कार्य निष्पादन का प्रवोधन एवं मूल्यांकन करेगी । वाणिज्य मंत्रालय/वस्त्र मंत्रालय वर्ष में दो बार प्रथमतः वार्षिक योजना एवं बजट की स्वीकृति के लिए और दूसरी बार, वर्ष की बीच में समीक्षा करने के लिए संबंधित परिषद की प्रबंध समिति के साथ पारस्परिक कार्यवाही करेंगे।

सहायता की शर्तें

150. सरकार द्वारा निर्यात संवर्धन परिषदों को सरकार द्वारा दी गयी सहायता धनराशि के रूप में अथवा किसी अन्य रूप में, निम्न पर निर्भर करेगी :

(क) उनको सौंपे गए कार्यों का प्रभावी तरीके से निष्पादन

(ख) निर्यात संवर्धन परिषदों की सदस्यता का लोकतंत्रीकरण

(ग) निर्यात संवर्धन परिषदों के पदाधिकारियों का नियमित रूप से लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव करना

(घ) निर्यात संवर्धन परिषद के लेखों की समय पर लेखा-परीक्षा करना ।

अध्याय—चौदह

गुणवत्ता

गुणवत्ता जागरूकता अभियान

151. भारत सरकार की नीति यह है कि वह विनिर्माताओं और निर्यातकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करे कि वे अपने-अपने उत्पादों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत गुणवत्ता के मानदण्डों को प्राप्त करें । केन्द्रीय सरकार गुणवत्ता जागरूकता पर एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम बनाने और कुल गुणवत्ता प्रबंध के विचार को बढ़ावा देने के लिए उद्योग और व्यापार संस्थाओं के लिए समर्थन और सहायता प्रदान करेगी ।

राज्य स्तरीय कार्यक्रम

152. केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को भी अपने-अपने राज्य में, विशेषकर छोटे पैमाने और हस्तशिल्प क्षेत्रों में इसी तरह के कार्यक्रम आरम्भ करने के लिए प्रोत्साहन और सहायता प्रदान करेगी ।

पुरस्कार और लाभ

153. केन्द्रीय सरकार उन विनिर्माताओं/प्रोसेसरों को पुरस्कार प्रदान करेगी जिन्होंने आई एस ओ-9000

(श्रृंखला) अथवा आई०एस०/आई०एस०ओ० 900 (श्रृंखला) अथवा समकक्ष गुणवत्ता का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता-प्राप्त ऐसा प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया हो जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए अधिसूचित किया जा सकता हो । ऐसे विनिर्माता क्रियाविधि-पुस्तिका के अध्याय-14 में विहित लाभों के लिए पात्र होंगे ।

परीक्षण गृह

154. केन्द्रीय सरकार परीक्षण गृहों और प्रयोगशालाओं को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के बराबर स्तर का बनाने के लिए उनके आधुनिकीकरण और उन्नयन में सहायता करेगी ताकि ऐसे परीक्षण गृहों और प्रयोगशालाओं द्वारा किए गए प्रमाणन को देश और विदेश में मान्यता मिल सके ।

विदेशी क्रेताओं से प्राप्त शिकायतों की मानीटरिंग

154-क. यदि विदेश व्यापार महानिदेशक की जानकारी में यह बात आ जाती है अथवा उन्हें यह विश्वास हो जाता है कि कोई निर्यात अथवा आयात इस तरीके से किया गया है जो निम्नलिखित बातों के प्रति अत्यन्त पूर्वाग्रहपूर्ण हो (1) किसी अन्य देश के साथ भारत के व्यापार संबंध ; अथवा (2) निर्यात अथवा आयात में कार्यरत अन्य व्यक्तियों के हित में, अथवा (3) जिससे देश के लिए बदनामी होती हो अथवा उसके माल की प्रतिष्ठा घटी हो, तो ऐसी स्थिति में विदेश व्यापार महानिदेशक संबंधित निर्यातक अथवा आयातक के विरुद्ध अधिनियम, इसके अधीन बने नियमों तथा आदेशों और इस नीति के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही कर सकेंगे ।

अध्याय–14-क

विदेशों में व्यापार तथा भारतीय संयुक्त उद्यम

उद्देश्य

154-ख. वास्तविक निर्यात के क्षेत्र में भी अधिक महत्व आर्थिक संबंधों को देते हुए और इस बात को स्वीकार करते हुए कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और पूंजीनिवेश के प्रवाह के बीच गहरा संबंध है, यह बात अत्यावश्यक है कि भारत को विश्व-व्यापार और सेवाओं में एक उभरते और सक्रिय साझीदार बनाने के लिए अपेक्षतया अधिक गतिशील नीतिगत ढांचा स्थापित किया जाए । उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं निम्नानुसार हैं :—

प्रति व्यापार

154-ग. आयात तथा निर्यात पर मात्रा संबंधी प्रतिबंध समाप्त करने की नीति के अनुरूप प्रति-व्यापार कार्य आमतौर पर स्वच्छिक आधार पर और बैंकिंग तंत्रों के जरिए चलेगा । सरकारी उद्यमों सहित सभी उद्यम भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन से प्रति-व्यापार प्रबन्ध कर सकेंगे और वे इस नीति के अनुसार आयात तथा निर्यात कर सकेंगे ।

मर्चेंटिंग अथवा तृतीय देश व्यापार

154-घ. कोई भी भारतीय व्यापारी एक देश में माल खरीद कर और उसे अन्य देश में बेचकर मर्चेंटिंग व्यापार अथवा तृतीय देश व्यापार चला सकेगा । ऐसे सौदों में यह आवश्यक नहीं है कि आयात माल को वास्तव में भारत में लाया ही जाए और तब उसे पुनः निर्यात किया जाए । इस प्रयोजन के लिए अग्रिम भुगतान करने के लिए निर्यात घरानों/व्यापार घरानों/स्टार व्यापार घरानों/सुपर स्टार व्यापार घरानों को सामान्य अनुमति देने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक प्राधिकारी होगा ।

विदेशों में भारतीय संयुक्त उद्यम

154-ङ. विदेशों में भारतीय संयुक्त उद्यमों से संबंधित नीति का उद्देश्य यह है कि भारतीय व्यापार को विश्वव्यापी नेटवर्क्स में आसानी से प्रवेश मिल सके और साथ ही, भारी पूंजी को बाहर जाने से रोका जाए । संयुक्त उद्यम और पूर्णस्वामित्व वाली सहायक कम्पनियों को व्यापार कार्यों तथा सेवाओं के लिए भी अनुमति होगी । भारतीय पूंजी निवेशक को इक्विटी तथा ऋणों का संयोजन पसंद करने की लोचशीलता प्रदान की जाएगी । अधिकांश मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक ही स्थान पर क्लीयरेंस एक स्वचल विधि द्वारा और भारी पूंजीनिवेश वाले अन्य मामलों के संबंध में विशेष क्रियाविधियों के जरिए की जाएगी ।

अध्याय–पंद्रह

आयात की निषेधात्मक सूची

155. प्रतिबंधित मदें

भाग–एक

क्रम सं०	मदों का विवरण	प्रतिबंध का स्वरूप
1	2	3
1.	निम्नलिखित सहित किसी पशु मूल का टैलो, फैट और/या अनरेंडरड अथवा अन्यथा ऑयल :—	आयात अनुमेय नहीं है ।
	(1) लार्ड स्टीरीन, ओलिया स्टीरीन, टैलो स्टीरीन, लार्ड ऑयल, ओलियो ऑयल तथा टैलो ऑयल जो किसी भी प्रकार से एम्ल्सीफाँइड या मिक्सड या तैयार न किया गया हो ।	

1	2	3
	(2) नीट्स फैट ऑयल्स तथा बोन अथवा बेस्ट से फैट ।	
	(3) पोल्ट्री, फैट्स, रेन्डरड अथवा सोल्वैंट एक्सट्रैक्टिड	
	(4) मछली के फैट और तेल/मैरिन ओरिजन चाहे रिफाइण्ड हो अथवा नहीं कॉड लीवर ऑयल्स को छोड़कर (फार्माकोपोआइएल ग्रेड) तथा आइकोसपेंटी नोइक एसिड एवं डी-कोसाहिक्सी-नोइक एसिड वाला फिश लिपिड ऑयल्स	
	(5) मरगारिन, इमिटेशन लार्ड तथा पशु मूल के खाद्य फैट्स से तैयार किया गया	
2.	पशु रेनैट	
3.	हिड्सों एवं उत्पादों सहित वन्य जीव और हाथी दांत	

भाग—दो

156. प्रतिबंधित मदें

क. उपभोज्य वस्तुएं

क्रम सं०	मद का विवरण	प्रतिबंध का स्वरूप
1	2	3
1.	सभी उपभोज्य माल, तथापि विनिर्दिष्ट, औद्योगिक, कृषि संबंधी, खनिज संबंधी अथवा पशुधन, चाहे एस०के०डी०/सी०के०डी० हालत में हो अथवा सैट एकत्र करने हेतु तत्पर हो अथवा तैयार रूप में हो ।	लाइसेंस के मदें अथवा इस आशय के लिए जारी सार्वजनिक सूचना के अनुरूप को छोड़कर आयात अनुमेय नहीं है ।
	शंका के समाधान हेतु एतद्द्वारा घोषणा की जाती है कि उपभोज्य माल में निम्नलिखित भी सम्मिलित होगा तथा किसी लाइसेंस अथवा सार्वजनिक सूचना को छोड़कर आयातित नहीं की जाएगी ।	
	(1) उपभोज्य इलैक्ट्रानिक माल, उपकरण और सिस्टम जो किसी भी रूप में वर्णित हो ।	
	(2) उपभोज्य दूर संचार उपस्कर नामशः टेलीफोन उपकरण और इलेक्ट्रानिक्स पी ए वी एक्स	
	(3) एस०के०डी०/सी०के०डी० में घड़ियां अथवा निर्मित हालत में तथा गति (मैकेनिकल), घड़ी के केस, घड़ी के डॉयल ।	
	(4) सूती, ऊनी, रेशमी, मानव-निर्मित तथा सूती टैरी टॉवल, फैब्रिक सहित वलैडिड फैब्रिक्स	
	(5) अल्कोहल मदिरा के सांद्रण	
	(6) मदिरा (टॉनिक अथवा मेडिकेटिड)	
	(7) केसर	
	(8) लौंग, दाल चीनी तथा तेजपत्ता	लाइसेंस के मदें आयात अनुमेय होगा बशर्ते कि निर्यात आभार पूरा करें ।

उपरोक्त किसी बात के होते हुए भी उपभोज्य माल सहित सामान की आयात नीति आई टी सी (एच एस) "निर्यात एवं आयात मदों का वर्गीकरण" नामक पुस्तक के कॉलम 3 से 5 के अनुसार होगी जो कि समय-समय पर यथा-संशोधित विदेश व्यापार महानिदेशक की ओर से प्रकाशित एवं अधिसूचित की गई है । जिस माल के लिए यह नीति है कि उन्हें मुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय विशेष आयात लाइसेंस (एस आई एल) के तहत आयात किया जा सकता है, वे केवल ऐसे लाइसेंस के तहत ही आयात की जाएंगी, अन्यथा रूप से नहीं, जब तक कि उनका आयात किसी अन्य स्कीम अथवा इस नीति में उपलब्ध अनुमति के अधीन अनुमेय न हो ।

ख. मूल्यवान, अर्ध-मूल्यवान और अन्य पत्थर

क्रम सं०	मद का विवरण	प्रतिबंध की प्रकृति
1.	क्यूबिक जिरकोनिया	इस सम्बन्ध में जारी की गई सार्वजनिक सूचना के अनुसार लाइसेंस के मद्दे निर्यात के लिए आयात अनुमित है ।
2.	पत्थर	---वही---
	(क) अपरिष्कृत हीरे	
	(ख) परिष्कृत तथा बिना काम किए गए सिंथेटिक पत्थर (बिना काम किए गए सिंथेटिक रूबी को छोड़कर) ; और	
	(ग) पन्ना/रूबी और नीलम, अर्द्ध-मूल्यवान पत्थर और मोतियां (वास्तविक या संवर्धित)	
3.	ग्रेनाइट, पोरफिरी, बेसाल्ट, बालुका पत्थर और स्मारकीय या इमारती अन्य पत्थर चाहे मोटे तौर पर ब्लाकों या स्लेबों में काटकर या अन्यथा, तराशे हुए हों या न हों या केवल कटे हुए हों ।	---वही---
4.	2.5 या अधिक आभासी विशिष्ट गुरूत्व का संगमरमर ट्रैवरटाइन, एका साइन अन्य कल्केक्स स्मारकीय या इमारती पत्थर चाहे मोटे तौर पर ब्लाकों या स्लेबों में काटकर या अन्यथा तराशे हुए हों या न हों या केवल कटे हुए हों ।	---नहीं---
5.	ओनिक्स	---वही---

ग. बचाव, सुरक्षा और संबंधित मद

क्रम सं.	मदों का विवरण	प्रतिबंध मदें
1.	सुरक्षण मुद्रण केलिए पेपर, करेंसी पेपर, स्टाम्प पेपर और अन्य विशेष प्रकार के पेपर	लाइसेंस के मद्दे या इस संबंध में जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार, को छोड़कर आयात की अनुमति नहीं है ।
2.	सभी बोर/साइजों के खाली/चलाए हुए कारतूस	---वही---
3.	आग्नेयास्त्र	भारत सरकार के युवा मामलों और खेल विभाग की संस्तुति पर विख्यात शूटर्स/राइफल क्लबों द्वारा लाइसेंस के मद्दे उनके स्वयं उपयोग के लिए, को छोड़कर आयात की अनुमति नहीं है ।
4.	विस्फोटक	लाइसेंस के मद्दे आयात की अनुमति निम्नलिखित की है :--
		(1) भारत सरकार के युवा मामलों और खेल विभाग की संस्तुति पर विख्यात निशानेबाज/राइफल क्लबों को उनके स्वयं उपयोग के लिए ।
		(2) विशिष्ट प्रकार के गोला-बारूद के लिए लाइसेंसधारी आर्म्स डीलरों को ऐसी शर्तों के अधीन जैसा कि उन्हें निर्दिष्ट किया जाए ।

क्रम सं०	मदों का विवरण	प्रतिबंध का स्वरूप
5.	विस्फोटक	भारत सरकार के विस्फोटक नियंत्रक की संस्तुति पर सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के लिए उपक्रमों को आयात की अनुमति दी जाए ।
6.	क्लोरो फ्लूरो हाइड्रोकार्बन्स (फिओन गैसिस)	लाइसेंस के मद्दे या इस संबंध में जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार, को छोड़कर आयात की अनुमति नहीं है ।
	भाग-I	
7. (क)	(1) सीएफसीआई$_3$—(सीएफसी-11) ट्रिचलोरो	आयात बिना लाइसेंस के किया जाएगा बशर्ते कि यह आयात उस देश से हो—जो कि मांट्रीयल प्रोटोकोल ऑन सब्स्टेंसिज ट्रैट डिप्लीट ओजोन लेयर" में सदस्य रहा है । मांट्रीयल प्रोटोकोल में शामिल देशों की सूची विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाएगी । किन्तु जो देश मांट्रीयल प्रोटोकोल में शामिल नहीं है, उनसे आयात की अनुमति नहीं होगी ।
	(2) सी एफ 2 सी एल 2—(सी एफ सी-12)—डिचलोरो डाइफलोरा मिथेन	
	(3) सी 2एफ 3सीएल 3—(सीएफसी-113) 1, 1, 2 ट्राइफलोरो मिथेन	
	(4) सी 2एफ 4सीएल 2—(सीएफसी—114) 1, 2 डाईफलोरो टेट्राफलोरो ईथेन	
	भाग-2	
	(5) सी 2एफ 5सीएल—(सीएफसी-115)—क्लोरो पेटाफलोरो ईथेन	
	(6) सीएफ 2बीआरसीएल—(हलोन-1211) ब्रोमोक्लोरो डाईफलोरो मिथेन	
	ग्रुप—1	
7. (ख)	(1) सी एफ 3 सी एल (सी एफ सी-13) क्लोरोट्रिफ्ल्यूरो मेथेन	
	(2) सी 2 एफ सी एल 5 (सी एफ सी-111) पैन्टाक्लोरोफ्ल्यूरो-मेथाइन	
	(3) सी 2 एफ 2 सी एल 4 (सी एफ सी-112) टेट्राक्लोरोडिफ्लूरो-इथेन	
	(4) सी 3 एफ सी एल 7 (सी एफ सी 211) हेप्टाक्लोरोडिफ्लूरो-प्रोपेन	
	(5) सी 3 एफ 2 सी एल 6 (सी एफ सी-212) हेक्सक्लोरोडिफ्लूरो-प्रोपेन	
	(6) सी 3 एफ 2 सी एल 5 (सी एफ सी-213) पेन्टाक्लोरोटाइफ्ल्यूरो प्रोपेन	
	(7) सी 3 एफ 5 सी एल 4 (सी एफ सी-214) टेट्राक्लोरोटेट्रा-फल्येरोप्रोपेन	
	(8) सी 3 एफ 5 सी एल 3 (सी एफ सी-215) ट्राइक्लोरोपेन्टा-फल्यूरोप्रोपेन	
	(9) सी 3 एफ 6 सी एल 2 (सी एफ सी-216) डिक्लोरोहेक्साफ्लूरो-प्रोपेन	
	(10) सी 3 एफ 7 सी एल (सी एफ सी-217) क्लोरोहेप्टाफ्लूरोप्रोपेन	
	ग्रुप-2	
	(11) सी सी एल 4 कार्बन टेट्राक्लोराइड	
	ग्रुप-3	

क्रम सं०	मदों का विवरण	प्रतिबंध का स्वरूप
	(12) सी एच 3 सी एल 3 * 1, 1, 1-ट्राइक्लोइयाइन (मिथाइल क्लोरोफार्म) *यह फार्मूला 1, 1, 2—ट्राइक्लोइथान से संबंधित नहीं	
8.	(1) कम्यूनिकेशन जैमिंग इक्विपमेंट स्टेटिक/मोबाइल/मैनपोर्टेबल (2) इलैक्ट्रानिक कम्पोनेंट (1) उपरोक्त के लिए, एंटीना सहित आर एफ, पावर एम्प्लीफायर्स नॉयस जेनरेटर्स	केन्द्रीय सरकार के विभागों को लाइसेंस के मद्दे आयात की अनुमति होगी किन्तु, अन्य किसी श्रेणी के आयातक को आयात करने की अनुमति नहीं होगी ।
9.	एसिटिक एनहाइड्राइड	केवल लाइसेंस पर ही या इस संबंध में सार्वजनिक सूचना जारी होने पर आयात की अनुमति होगी अन्यथा आयात की अनुमति नहीं होगी ।
	घ. बीज, पौधे और पशु	
1.	पशु, पक्षी और रेंगने वाले प्राणी (उनके अंग और उनके उत्पाद सहित)	जिन्हें लाइसेंस के मद्दे आयात की अनुमति होती है :—प्राणी विहार और चिड़ियाघर, मान्यता-प्राप्त वैज्ञानिक/अनुसंधान संस्थान, सर्कस कम्पनियां राज्य सरकार के प्रमुख वन्य जीव वार्डन जिन्हें वाइल्ड फाऊना और फ्लोरो की "कन्वेंशन आन इंटरनेशनल ट्रेड इन एन्डेनर्ड स्पीशीज (साइट्स) की सिफारिश से निजी व्यक्ति ।
2.	स्टैलियन्स और ब्रूहयर्स	राज्य सरकार पशुपालन और पशु चिकित्सा सेवाओं के निदेशक या भारत सरकार कृषि मंत्रालय पशुपालन और डेयरी विभाग की सिफारिश पर लाइसेंस के मद्दे आयात करने की अनुमति होगी ।
3.	पशुधन (अश्वों को छोड़कर) मिला जुला पशुधन, पक्षी, अंडे, फ्रोजन सीमा/एलब्रोए, पेरेंट स्टॉक (पोल्ट्री) और कमर्शियल चिक्स	भारत सरकार, कृषि एवं सहकारिता विभाग की सिफारिश पर लाइसेंस के मद्दे आयात की अनुमति होगी ।
4.	पौधे, फल और बीज	(क) बिनाई करने के लिए गेहूं, धान, मोटे अनाज दालें, तिलहन और चारे के आयात की बिना लाइसेंस आयात करने की अनुमति होगी, बशर्ते नई बीज विकास नीति 1988 की शर्तें पूरी हों और पौधे, फल एवं बीज (भारत में आयात के विनियमन) आदेश, 1989 के अनुसार परमिट के अंतर्गत आयात हों । (ख) सब्जी, फूल, फल और पौधों के बीजों का आयात फलों एवं फूलों की बिनाई के लिए बल्ब और ट्यूबर्स के सैप्लिंग, बडवुड आदि के आयात बिना लाइसेंस करने की अनुमति पौधे, फल और बीज (भारत में आयात के विनियमन) आदेश, 1989 के अनुसार परमिट के अंतर्गत होगी तथापि पोस्त के बीजों का आयात, यदि अनुमेय है तो

क्रम सं०	मदों का विवरण	प्रतिबंध का स्वरूप
		इस शर्त पर होगा उत्पादक देश के सक्षम प्राधिकारी से आयातक इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा कि अन्तर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो की आवश्यकतानुसार उस देश में पोस्त विधिवत /विधिक तौर पर उत्पन्न किए गए हैं ।
		(ग) उपभोग के लिए बीज, फूल और पौधों का आयात अथवा अन्य प्रयोजनों के लिए लाइसेंस के मद्दे अनुमेय होगा अथवा इस विषय पर जारी सार्वजनिक सूचना के मद्दे होगा । तथापि पोस्त के बीजों का आयात, यदि अनुमेय है तो इस शर्त पर होगा कि उत्पादक देश के सक्षम प्राधिकारी से आयातक इस आशय का प्रमाण-क्षेत्र प्रस्तुत करेगा कि अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो की आवश्यकतानुसार उस देश में पोस्त विधिवत/विधिक तौर पर उत्पन्न किए गए हैं ।
		(घ) पौधों और उनके उत्पादों व उनसे तैयार माल का आयात लाइलड फाऊना और फ्लोरा (साइट्स) के कन्वेंशन्स ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इनडेन्जर्ड स्पीशीज की शर्तों के अनुसार होगी ।
	ङ. कृमिनाशी और कीटनाशी	
1.	कोई भी कीटनाशी, कृमिनाशी, अपतृणनाशी, जड़ी बूटी नाशी, कृन्तकनाशी और कटकनाशी जिन्हें कीटनाशी अधिनियम, 1969 और उनके प्रतिपादन के अंतर्गत जिन्हें पंजीकृत नहीं किया गया है या जिन्हें आयात के लिए निषिद्ध किया गया है ।	इनके आयात की अनुमति नहीं होगी ।
2.	डी डी टी-टेक्नीकल 75 (डब्ल्यूडीपी)	लाइसेंस के मद्दे या इस संबंध में जारी सार्वजनिक सूचना के तहत आयात की अनुमति होगी ।
	च. इलैक्ट्रानिक मदें	
	काट दिया गया है ।	
	छ. औषध और भेषज	
1.	सभी प्रकार की पेन्सिलीन	आयात लाइसेंस के मद्दे या इस सम्बन्ध में जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार आयात की अनुमति है ।
2.	6—ए०पी०ए०	—वही—
3.	टेट्रासाइकिलन/ओक्सीटेट्रासाइकिलन और उनके लवण	—वही—
4.	स्ट्रेप्टोमाइसिन	—वही—
5.	रिफेम्पिसिन	—वही—
6.	रिफेम्पिसिन के मध्यवर्ती, नामश:	—वही—
	(1) 3 फारमाइल रिफा एस०बी०	

क्रम सं०	मदों का विवरण	प्रतिबंध का स्वरूप
	(2) रिफा एस/रिफा एस सोडियम और (3) 1—एमिनो—4 मेथिल पिपरेजाइन	
7.	विटामिन बी-1, विटामिन बी-2 और उनके लवण	—वही—
8.	हटा दिया गया है ।	
	ज. रसायन और सम्बद्ध मदें	
1.	अलाइल आइसोथियोसियानोट	आयात लाइसेंस के मद्दे या इस सम्बन्ध में जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार आयात की अनुमति है ।
2.	केपेसिटर फ्लूइड्स—पी०सी०बी० टाइप	—वही—
3.	पोली क्रोमिनेटिड बाइफिनाइल्स	रसायन एवं पेट्रोकैमिकल्स विभाग की सिफारिश पर लाइसेंस के मद्दे को छोड़कर आयात की अनुमति नहीं है ।
4.	पोली क्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स	—वही—
5.	पोली क्लोरी नेटिड टरफिनाइल्स	—वही—
6.	ट्रिस (2, 3 डाई-ब्रोमोप्रोलीन) फासफेट	—वही—
7.	क्रोसीडोलाइट	—वही—
8.	खतरनाक अवशेष	संसाधन या पुनः उपयोग के लिए ही लाइसेंस के मुद्दे आयात की अनुमति है ।
9.	खतरनाक अवशेष	विनिर्माण, भण्डारण और खतरनाक रसायन नियम 1986 [पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन बने] के प्रावधानों के अनुसार लाइसेंस के बिना आयात की अनुमति है । नियमों में उल्लिखित अन्य शर्तों के अतिरिक्त आयातक उक्त नियमों की अनुसूची में विनिष्टिकृत प्राधिकारी को 30 दिन पहले किन्तु आयात की तारीख से बाद में नहीं, नियम 18 में दिए अनुसार ब्यौरा प्रस्तुत करेगा ।
	झ. लघु क्षेत्र से सम्बन्धित मदें	
1.	कापर आक्सिक्लोराइड	आयात लाइसेंस के मद्दे या इस सम्बन्ध में जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार आयात की अनुमति है ।
2.	डिमिथाइल सल्फेट	—वही—
3.	डी एन पी टी (डिनाइट्रोसी पेन्टामेथिलीन ट्रेट्रामाइन)	—वही—
4.	सुगन्धित सत्त—सभी किस्में (जो मदिरा के लिए हैं उनके सहित)	—वही—
5.	नियासिन/निकोटिनिक एसिड/नियासिनेमाइड/निकोटिनेमाइड/एसिडामाइड	—वही—
6.	सुगन्धित द्रव्यों के मिश्रण/रेजिनायड्स के मिश्रण	—वही—
7.	प्येलेट प्लास्टिसाइजर	—वही—
8.	सुगन्धित यौगिक/सिन्थेटिक सुगन्ध तेल	—वही—

क्रम सं०	मदों का विवरण	प्रतिबंध का स्वरूप
9.	सीसा तथा रूल कटर्स	आयात लाइसेंस के मुद्दे या इस सम्बन्ध जारी सार्वजनिक
10.	हटा दिया गया है ।	सूचना के अनुसार आयात की अनुमति है ।
11.	सभी मापों के कागज काटने वाले चाकू	—वही—
12.	कागज काटने की मशीनें जिनमें यन्त्रों सहित मशीनें जैसे कि आटोमटिक प्रोग्राम कटिंग अथवा थ्री नाईफ ट्रिम्मर्स शामिल नहीं हैं ।	लाइसेंस के मद्दे आयात की अनुमति है ।
13.	हटा दिया गया है ।	
14.	हटा दिया गया है ।	
15.	पेरेलू वाटर मीटर	
16.	हटा दिया गया है ।	

विविध मदें

1.	वायुयान और हेलिकोप्टर	आयात की अनुमति केवल लाइसेंस के मद्दे या इस संबंध में जारी की गई सार्वजनिक सूचना के आधार पर है इसके अतिरिक्त अनुमति नहीं है ।
2.	पोत, ट्रावलर, बोट और अन्य जल परिवहन यान	—वही—
3.	वाणिज्यिक और यात्री आटोमुबाइल वाहन जिनमें दुपहिया और तिपहिया औद्योगिक लोकोमोटिव और निजी किस्मों के वाहन शामिल हैं ।	—वही—
4.	हटा दिया गया है	
5.	नारियल जटा (रेशा/धागा/कपड़ा)	—वही—
6.	अखबारी कागज	आयात की अनुमति केवल लाइसेंस के मद्दे या इस संबंध में जारी की गई सार्वजनिक सूचना के आधार पर है ।
7.	हटा दिया गया है ।	
8.	कच्चा रेशम/रेशम कुकून	—वही—
9.	हटा दिया गया है	
10.	प्राकृतिक रबड़	—वही—
11.	हटा दिया गया है	
12.	हटा दिया गया है ।	
13.	रेडियो ऐक्टिव सामग्री	परमाणु ऊर्जा विभाग की सिफारिश पर आयात किए जाने की अनुमति है ।
14.	रेयर अर्थ आक्साइड जिसमें स्टाइल सैण्ड शामिल है ।	—वही—
15.	सिनेमेटोग्राफ फीचर फिल्म और वीडियो फिल्म	आयात की अनुमति : (क) भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार और भारतीय फिल्म और दूरदर्शन संस्थान तथा भारतीय बाल फिल्म सोसाइटी द्वारा (ख) अन्यों द्वारा ऐसी शर्तों के अध्यधीन जो इस संबंध में विनिर्दिष्ट किए जाएं, दी जाएगी ।

क्रम सं०	मद का विवरण	सारणीकृत अभिकरण
16.	कच्चा पाम स्टीयरिन	आयात की अनुमति केवल लाइसेंस के मद्दे या इस संबंध में जारी की गई सार्वजनिक सूचना के आधार पर है ।
17.	केवल कुक्कुट अथवा जानवरों के चारे के रूप में उपयोग हेतु उपयुक्त चारा ग्रेड मक्का	किसी भी व्यक्ति द्वारा वास्तविक उपयोक्ता शर्त के बिना आयात अनुमत होगा बशर्ते आयल अनुबंध /ऋण पत्र नेफेड के पास पंजीकृत हो ।
18.	नेहथा	आयात लाइसेंस के बिना अनुमत होगा शर्त यह होगी कि आयातक नेफ्था की रिटर्न स्ट्रीम केवल क्रूड आयल रिफाइनरियों को बेचेगा । बिक्री वाणिज्यिक शर्तों पर होगी जो कि आयातक और रिफाइनरी के बीच तय हों । तथापि, आयातक रिटर्न स्ट्रीम को स्वयं की ग्रहीत खपत हेतु औद्योगिक संभारण के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है परन्तु शेष बचा नेफ्था यदि कोई हो तो वह केवल आयल रिफाइनरियों को बेचा जाएगा ।
19.	हटा दिया गया है ।	
20.	हटा दिया गया है ।	
21.	यात्री आटोमोबाइल वाहनों की बैटरियां और टायर जिसमें दुपहियां, तिपहिया और व्यक्तिगत प्रकार के वाहन शामिल हैं ।	आयात की अनुमति केवल लाइसेंस के मद्दे या इस सबंध में जारी की गई सार्वजनिक सूचना के आधार पर है इसके अतिरिक्त अनुमति नहीं है ।

भाग-3

157. सारणीबद्ध मदें

1.	पेट्रोलियम उत्पाद, नामश :	इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड
	(क) एविएशन टर्बाइन फ्यूल	
	(ख) कच्चा तेल	
	(ग) मोटर स्प्रिट	
	(घ) बिटूमेन (एस्फाल्ट) पेविंग ग्रेड	
	(ङ) फर्नेस आयल (लो सल्फर हैवी स्टाक और लो सल्फर वेक्सी रेसिडयू को छोड़कर) और	
	(च) हाई स्पीड डीजल	
2.	सभी प्रकार के उर्वरक, फोस्फटिक और पोटाशिक उर्वरक, डाई अमोनियम फोस्फेट (डीएपी), पोटाश का मुरिएट (एमओपी), मोनो अमोनियम फोस्फेट (एमएपी), पोटाश का सल्फेट (एसओपी), एन पी उर्वरक और एन पी के उर्वरक को छोड़कर ।	भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार निगम लिमिटेड
3.	नारियल का तेल, आरबीडी ताड़ का तेल और आर बी डी ताड़ स्टीरिन	भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटिड तथा हिन्दुस्तान वनस्पति तेल निगम लिमिटेड
4.	बीज (गोला, मूंगफली, ताड़, रेपसीड, कुसुम्भ, सोयाबीन, सूरजमुखी, कपास)	—तदैव—
5.	अन्य सभी बिना खाने वाले तेल परन्तु टंग आयल/चाइना वुड आयल और प्राकृतिक अनिवार्य तेल, बीज या अन्य कोई, पदार्थ जिसे उपर्युक्त या नीति में कहीं विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है, जिससे तेल निकाला जा सके, को छोड़कर	—वही—

1	2	3
5.	(क) हटा दिया गया है ।	
6.	ताड़ स्टीरिन, कच्चा ताड़ वनस्पति पाम केर्नल ऑयल और सभी प्रकार के टाल्यो अमिनेस	भारतीय व्यापार निगम लिमिटेड
7.	मुर्गी पालन या पशु-पालन के लिए खाद्य श्रेणी के मक्के को छोड़कर अनाज	भारतीय खाद्य निगम
	ट. विशेष वर्ग	
1.	होटलों, रेस्तराओं, यात्रा एजेंटों और पर्यटन आपरेटरों के लिए आवश्यक विशेष मदें ।	आयात की अनुमति महानिदेशक पर्यटन, भारत सरकार की सिफारिश पर लाइसेंस के मद्दे अथवा इस संबंध में जारी सार्वजनिक सूचना में किये गये उल्लेख के अनुसार होंगी ।
2.	मनोरंजन निकायों के लिए अपेक्षित विशेष मदें ।	अनिवार्य आयात अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए लाइसेंस के मद्दे आयात की अनुमति है । आयात के लिए पात्र मदें और ऐसे आयातों के लिए शर्तें इस संबंध में जारी की जाने वाली सार्वजनिक सूचना में दिये गये उल्लेख के अनुसार होंगी ।

अध्याय—16

निर्यातों की निषेधात्मक सूची

भाग—1

158. प्रतिबंधित मदें

क्र० सं०	मदों का विवरण
1.	मोर पंख और उससे बने हस्तशिल्प तथा चीतल एवं सांभर के झड़े हुए मृग श्रृंग की वस्तुओं व छीलन को छोड़कर सभी प्रकार के जंगली जानवर, जिनमें उनके अंग और उत्पाद शामिल हैं —ये विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा दिनांक 31 मार्च, 1993 को जारी तथा प्रक्रियाओं की पुस्तिका, भाग—1 में दी गई सार्वजनिक सूचना संख्या 15—ई०टी०सी० (पी० एन०)/92—97 के अनुबंध में दर्शाई गई शर्तों के अनुसार होंगी।
2.	दुर्लभ पक्षी
3.	संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सम्मेलन (सी आई टी ई एस) के परिशिष्ट—1 में शामिल सभी प्रकार के पौधे, जंगली ऑर्किड, तथा विदेश व्यापार महानिदेशालय की दिनांक 30 मार्च 1994 की सार्वजनिक सूचना सं० 47(पीएन) 92—97 में निर्दिष्ट पौधे जिन्हें कि प्रक्रियाओं की पुस्तिका, भाग—1 में ज्यों का त्यों दिया गया है ।
4.	गोमांस
5.	मानव कंकाल
6.	मछली के तेल को छोड़कर किसी भी पशु की चरबी, वसा तथा/या तेल
7.	सिर्फ आयातित टीक लट्ठा/इमारती लकड़ी से ही बनी चीरी हुई इमारती लकड़ी को छोड़कर लट्ठा, इमारती लकड़ी, ठूंठ, जड़, टहनी, चिप्पी, पाउडर, पपड़ी, बुरादा, लुगदी तथा चारकोल—ये विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा दिनांक 31 मार्च, 1993 को जारी तथा प्रक्रियाओं की पुस्तिका, भाग-1 में दी गई सार्वजनिक सूचना सं. 15-ई टी सी (पी एन) 92—97 के अनुबंध में दर्शाए गए हैं।
8.	दिनांक 13—15 जनवरी, 1993 को पेरिस में हस्ताक्षरित संयुक्त राष्ट्र रासायनिक हथियार सम्मेलन की अनुसूची-1 में शामिल रसायन जिन्हें विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी दिनांक 31 मार्च, 1993 की सार्वजनिक सूचना सं० 16-ई टी सी (पी एन)/92—97 में उल्लिखित किया गया है और जिन्हें क्रियाविधि पुस्तिका खण्ड-1 में ज्यों का त्यों उल्लिखित किया गया है ।
9.	किसी भी रूप में चंदन की लकड़ी, लेकिन उसमें चंदन की लकड़ी से बने पूर्णतया तैयार हस्तशिल्प और चंदन की लकड़ी के मशीन द्वारा तैयार उत्पाद शामिल नहीं होंगे ।
10.	रेड सेण्डर्स लकड़ी किसी भी रूप में, चाहे अपरिष्कृत हो, प्रसंस्कृत अथवा अप्रसंस्कृत हो और उससे बने कोई भी उत्पाद।

भाग-2

159. प्रतिबन्धित मदें

(नाइसेन्स के तहत अनुमत निर्यात)

क्रमांक	मदों का विवरण			
1	2	3	4	5

1. 3 इंच से कम आकार के बीच-डी-मेर
2. मवेशी
3. ऊंट
4. (1) सुपर फास्फेट सहित सभी प्रकार के रासायनिक उर्वरक
   (2) उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के भाग क 1(च) की अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट मदों को छोड़कर माइक्रोन्यूट्रिएन्ट उर्वरक तथा उनके एन पी के युक्त मिश्रण
5. पवित्र कुरान की आयातों के छापे वाली परिधान सामग्री/सिलेसिलाए परिधान फैब्रिक्स/वस्त्र मदें
6. तेलरहित मूंगफली की खली जिसमें 1 प्रतिशत से ज्यादा तेल हो और मूंगफली एक्सपेलर खली।
7. 300 ग्राम से कम भार की ताजी तथा प्रशीतित सिल्वर पाम्फ्रेट
8. मेमनों के लोम चर्म को छोड़कर पालतू पशुओं के लोम चर्म
9. गेहूं और चावल के भूसे सहित चारा
10. निम्नलिखित खालें और चर्म :—
    (1) एनिमल ग्लू जिलेटिन के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त खालों और चर्म की कटिंग और फलैशिंग
    (2) मेमनों के लोम चर्म को छोड़कर सभी प्रकार की अपरिष्कृत खालें और चर्म
    (3) ई० आई० शोधित और गीली नीली खालों और चर्म तथा पपड़ीदार चर्म सहित अर्ध-संसाधित खालें तथा चर्म
    (4) स्लोटिंग लैदर फर स्वेड/हेयर, हेयर-आन स्वेड/शियरिंग स्वेड लैदर्स
    (5) फर लैदर्स
    (6) औद्योगिक चमड़े, जिनके नाम है :
        1. साईकल सैडल लैदर्स
        2. हाइड्रोलिक/पैकिंग/बेल्टिंग/हार्नेस/वाशर/लैदर्स
        3 पिकलिंग बैन्ड लैदर्स
        4. स्ट्रैप/कोम्बिंग लैदर्स
    (7) लाइनिंग लैदर्स, जिनके नाम हैं:—
        (1) गाय और भैंस की खालों और बछड़े के चर्म से लाइनिंग स्वेड
        (2) बकरी, बकरी के बच्चे, मेमने और भेड़ की खालों से लाइनिंग स्वेड
    (8) लगेज लैदर्स—केस हाइड या साइड/सूटकेस/हैन्ड बैग/लगेज/कैश बैग लैदर
    (9) विविध चमड़े, जिनके नाम हैं:—
        (1) बुक बाइन्डिंग लैदर्स
        (2) स्किवर लैदर्स
        (3) ट्रान्जिस्टर केस/कैमरा केस लैदर
    (10) शू अपर लदर्स, जिनके नाम हैं :
        (1) बुंबर लैदर
        (2) कताई स्लीपर/सैन्डल लैदर
    (11) सोल लैदर क्रोम टैन्ड सोल लैदर
11. घोड़े—काठियावाड़ी, मारवाड़ी और मणिपुरी खच्चर

1	2

12. धातुएं और उनके यौगिक, जिनके नाम हैं :
    (1) *हटा दिया गया
    (2) *हटा दिया गया
    (3) *हटा दिया गया
    (4) *हटा दिया गया
    (5) *हटा दिया गया
    (6) *हटा दिया गया
    (7) *हटा दिया गया
    (8) *हटा दिया गया
    (9) @हटा दिया गया
    (10) @हटा दिया गया
    (11) @हटा दिया गया
    (12) प्रतिक्रिया प्रवर्तक, प्रतिक्रिया त्वरित्र तथा उत्प्रेरक सार, सक्रिय तत्व के रूप में निकल या निकल यौगिक
    (13) प्रतिक्रिया प्रवर्तक, प्रतिक्रिया त्वरित्र तथा उत्प्रेरक तैयार माल जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या शामिल न हो और जो सक्रिय तत्व के रूप में मूल्यवान धातु-यौगिकों से युक्त हो।

13. निम्नलिखित खनिज अयस्क तथा सान्द्रण:—
    (1) क्रोम अयस्क निम्नलिखित को छोड़कर :—
        (क) लाभान्वित सूक्ष्म क्रोम अयस्क/सान्द्रण तथा
        (ख) जो भाग 3 में उल्लिखित हैं।
    (2) *हटा दिया गया

14. दुग्ध, शिशु-दुग्ध और स्टरलाइज्ड लिक्विड दूध
    (3) 46% से अधिक मैंगनीज वाले ढेले/मिश्रित मैंगनीज अयस्क
    (4) *हटा दिया गया

15. सेवा और जीवित कीट युक्त कोई भी लाख, स्टिक लाख, बूडलाख।

16. मसूर, चना, सेम तथा उनसे बने आटे सहित सभी प्रकार की दालें

17. ऐसी संसाधित दालें जो शुल्क छूट योजना के अन्तर्गत या निर्यातोन्मुख एकक/निर्यात संसाधन क्षेत्र के एकक द्वारा आयातित दालों से भिन्न दालों से बनी हुई हों।

18. धान (छिल्के सहित चावल)

19. कच्ची और उबली हुई चावल की भूसी

20. बीज और रोपण सामग्री, जिन के नाम हैं :—

    अरंडी के बीज, बिनौला—इनमें उस बिनौले को छोड़ दिया गया है जो सीमा शुल्क उत्पादन के तहत अन्य देशों में उत्पादित किस्में/संकर बीज हैं काणु बीज तथा पौधे, मिश्र की वनमेथी (बर्सीम)—ट्रिफोलियम एलाक्सटम बीज, चारा फसल बीज, हरी खाद बीज, निम्नलिखित को छोड़कर : ढैंचा, ग्वार बीज (सम्पूर्ण), पटसन बीज, अलसी, लुसर्न (अल्फाल्फा) मेडिकागो सटाइवा, मेस्टा बीज, नकस वामिका बीज/छाल/पत्ते/जड़ें तथा उनके चूर्ण, प्याज के बीज, सजावटी पौधे (जंगली किस्म) के बीज, धान-बीज (जंगली किस्म), काली मिर्च की कलमें या कालीमिर्च की जड़युक्त कलमें, फारस की वनमेथी (स्माफटेल ट्रिफोलियम—रेसुबीनेटम) बीज, लाल सन्डर्स, बीज (पेट्रोकार्पस सेन्टालिन्स), रबड़ बीज, रसा घास के बीज और टगट्स, सभी वन्य प्रजातियों के बीज, सभी सिलहनों और दालों के बीज, सोयाबीन के बीज, चन्दन के बीज (सन्टालम एलबम), केसर के बीज या कोर्म्स (केसर के लिये रोपण-सामग्री) गेहूं के बीज (जंगली किस्म)

1	2

21. समुद्री सीप, जिसमें पालिश किये हुए समुद्री सीप तथा समुद्री सीपों से बने हस्तशिल्प शामिल नहीं हैं, इनमें निम्नलिखित वे प्रजातियां शामिल नहीं हैं, जिनके किसी भी रूप में निर्यात की अनुमति नहीं है :

(1) ट्रोक्स निलोटिकोस

(2) टर्बो प्रजाति

(3) लम्ब्रिस प्रजाति

(4) ट्रिडक्ना गिगस

(5) जैंकस पाइरस

22. जी इडुलिस सहित सभी प्रकार की समुद्री शेवाल, परन्तु इनमें ब्राउन समुद्री शेवाल तथा संसाधित रूप में तमिलनाडु तट मूल के एग्रोफाइट्स शामिल नहीं हैं।

23. रेशम के कीड़े, रेशम कीट बीजाणु, रेशम कीट कोकून

24. (1) 5 कि०ग्रा० से अधिक के उपभोक्ता पैकों में वनस्पति तेल, जिनके नाम हैं:—
नारियल तेल, बिनौला तेल, कार्न आयल, कर्दी तेल, अलसी का तेल, रामतिल का तेल, पाम आयल, पाम गिरी तेल, रेपसीड तेल, चावल भूसी का तेल, सलाद-तेल सूर्यमुखी का तेल, तिल का तेल, सोयाबीन तेल

(2) मूंगफली तेल

25. (1) विन्टेज मोटरकार, उनके हिस्से-पुर्जे तथा संघटक जो दिनांक 1-1-1950 से पहले बने हों ।
(2) विन्टेज मोटरसाइकिल, उनके पुर्जे और संघटक जो दिनांक 1-1-1940 से पहले बने हों।

26. विस्कोस स्टेपल फाइबर (नियमित), हाई परफोरमेंस स्टेपल फाइबर को छोड़कर

27. सम्पूर्ण मानव रक्त प्लाज्मा और मानव रक्त से व्युत्पन्न सभी उत्पाद जिसमें मानव प्लेंसेंटा तथा मानव प्लेंसेटा रक्त से विनिर्मित गाम्मा ग्लोबुलिन तथा मानव सीरम अल्बुनिम शामिल नहीं हैं; कच्चा प्लेसेंटा, प्लेसेंटल ब्लड प्लाज्मा

28. रद्दी कागज

29. दिनांक 13—15 जनवरी, 1943 को पेरिस में हस्ताक्षरित संयुक्त राज्य रासायनिक हथियार सम्मेलन की अनुसूची 2 तथा 3 में शामिल रसायन जिनका उल्लेख विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी दिनांक 31 मार्च, 1943 की सार्वजनिक सूचना संख्या 17 –ई टी सी (पी एन) /92—97 में किया गया है और जिन्हें क्रियाविधि पुस्तिका खंड 1 में ज्यों का त्यों उद्धृत किया गया है ।

30. आयातित चीनी जिसमें ऐसी चीनी भी शामिल है जो बन्दरगाह पर पहुंच गई हो और सीमाशुल्क की क्लियरेन्स के लिए पड़ी हो।

31. विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी दिनांक 31 मार्च, 1995 की सार्वजनिक सूचना संख्या 68 में उल्लिखित विशेष सामग्रियां, उपस्कर तथा प्रौद्योगिकी जिन्हें क्रियाविधि पुस्तिका खंड 1 में ज्यों का त्यों उद्धृत किया गया हो।

31. (क) द्रव्यों से संबंधित मोनट्रीयल प्रोटोकोल के उपाबंध क और ख में सम्मिलित रसायन जो महानिदेशक विदेश, व्यापार द्वारा 25 मार्च, 1996 को जारी सार्वजनिक सूचना सं० 81 जो प्रक्रिया पुस्तक में पुनः प्रस्तुत, में निर्दिष्ट ओजोन परत को समाप्त करने वाले रसायन ।

32. ऐसी कोई अन्य मद जिसका निर्यात इस संबंध में विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी किसी सार्वजनिक सूचना द्वारा विनियमित होता हो।

टिप्पणी:—

(1) *ऐसी मदों का सूचक है जो परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा जारी दिनांक 15 मार्च, 1995 की अधिसूचना संख्या ए ई ए/27/1/95-ई०आर० (का० सं० 212 (ई) जो दिनांक 1 अप्रैल, 1995 से प्रभावी है, द्वारा परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 में शामिल है ।

(2) @ उन मदों का सूचक है जो उपर्युक्त क्रम सं 31 में उल्लिखित दिनांक 31 मार्च, 1995 की सार्वजनिक सूचना सं० 68 में शामिल है ।

160. मात्रात्मक सीमा के अध्यधीन अनुमत निर्यात हटा दिया गया ।

भाग-तीन

161. सरणीकृत मदें

कालम 3 में उद्धृत सरणीकृत एजेंसियां नीति के प्रावधानों के अन्तर्गत निम्नलिखित तालिका में दिए गए मदों का निर्यात किसी भी देश को कर सकती हैं :—

क्रम सं.	मदों का विवरण	सरणीकृत एजेंसी
1.	पैट्रोलियम उत्पाद, नामश :—	इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड
	(1) एविएशन टर्बाइन फ्यूल	
	(2) बिटूमैन (एस्फाल्ट) पेविंग ग्रेड	
	(3) क्रयूड ऑयल	
	(4) फरनेस ऑयल	
	(5) हाई स्पीड डीजल	
	(6) मिट्टी का तेल	
	(7) लिक्वीफाइड पेट्रोलियम गैस (एलपीजी)	
	(8) मोटर स्प्रिट	
	(9) नाफ्था	
	(10) कच्चा पेट्रोलियम कोक	
2.	गोंद कतीरा	भारतीय जनजाति सहकारी विपणन् परिसंघ लि. (ट्रीफेड), नई दिल्ली।
3.	माइका वेस्ट (फैक्टरी कटिंग सहित) तथा स्क्रैप जो माइका संसाधित करते समय प्राप्त किया जाता है तथा संसाधित अभ्रक की विशिष्टता से कम साइज और रंग माना जाता है।	भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार निगम लि. (एम एम टी सी), नई दिल्ली तथा भारतीय अभ्रक व्यापार निगम लि., बिहार।
4.	खनिज अयस्क एवं सांद्रण नामश:	
	(1) *हटा दिया गया	
	(2) रेयर अर्थ (ट्रियम सहित) अयस्क कंसेंट्रेट तथा उसके कम्पाउंड	भारतीय रेयर अर्थस लि., बम्बई।
	(3) एसेसरी इनग्रेडियेंट्स के रूप में निम्नलिखित सबस्टेंस वाले अन्य खनिजों को मिलाकर :—	भारतीय रेयर अर्थस लि., बम्बई तथा केरल खनिज एवं धातु लि., कोल्लाम।
	(क) *हटा दिया गया	
	(ख) *हटा दिया गया	
	(ग) समेरस्काइट	
	(घ) यूरेनीफेरियस अलानाइट :—	
	(1) रेडियम अयस्क तथा सांद्रण	
	(2) *हटा दिया गया	
	(3) *हटा दिया गया	
	(4) *हटा दिया गया	
	(5) *हटा दिया गया	
	(6) *हटा दिया गया	
	(4) भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड तथा केरल खनिज एवं धातु लि. द्वारा उत्पादित ग्रेनुलर सिलिमेनाइट।	—तदैव—
	(5) लौह अयस्क	एमएमटीसी लिमिटेड
	हालांकि निम्नलिखित प्रकार के लौह अयस्क के निर्यात को सरणीकृत नहीं किया गया है :—	
	(क) चीन, यूरोप, जापान, दक्षिण कोरिया और ताईवान को निर्यात किया जाने वाला गोआ मूल का लौह अयस्क	
	(ख) सभी बाजारों के लिए रेडी मूल का लौह अयस्क	
	(6) (क) सी. आर.$_2$ ओ$_3$ सहित क्रोम अयस्क लम्पस जो 38 प्रतिशत से अधिक न हो	—तदैव—

क्रम सं.	मदों का विवरण	सरणीकृत एजेंसी
	(ख) सी आर $_2$ ओ $_3$ सहित लो सिलिका फाइएबल/फाइन अयस्क जो 52 प्रतिशत से अधिक न हो तथा 4 प्रतिशत से अधिक सिलिका।	एमएमटीसी लिमिटेड
	(7) सभी कोटियों के बॉक्साइट, कैलसिनड बॉक्साइट तथा लो ग्रेड बॉक्साइट ए ल $_2$ ओ $_3$ अलुमिना कंटेंट सहित, जो पश्चिमी तट मूल के 54 प्रतिशत से कम हों।	खनिज एवं धातु व्यापार निगम लि०, नई दिल्ली।
	(8) निम्नलिखित को छोड़कर मैंगानीज अयस्क : 46 प्रतिशत मैन्गानिज से अधिक लम्बी बलैडिड मैन्गानीज अयस्क	(1) एम. एम. टी. सी. लि. (2) एम ओ आई एल (मॉयल) खानों में उत्पादित मैंगनीज अयस्क के लिए मैंगनीज ई और इण्डिया लिमिटेड (मॉयल)
5.	रामतिल के बीज	(1) भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारिता विपणन परिसंघ लिमिटेड (नेफेड), नई दिल्ली। (2) भारतीय जनजातिय सहकारी विपणन विकास परिसंघ लि. (ट्राईफेड), नई दिल्ली (3) राष्ट्रीय बुग्ध विकास बोर्ड (एन- डीडीबी)
6.	प्याज	भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारिता विपणन परिसंघ लि. (नेफेड), नई दिल्ली।
7.	*हटा दिया गया	
8.	*हटा दिया गया	
9.	*हटा दिया गया	

नोट :—ये मदें परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा एस. ओ. 212(ई) के अधीन 15 मार्च, 1995 को जारी तथा 1 अप्रैल, 1995 से लागू अधिसूचना संख्या ए. ई. ए./27/1/95-ई. आर. के तहत परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 में शामिल है।

162. वे मदें जिनका निर्यात बिना लाइसेंस के, परन्तु इसमें दी गई शर्तों के अध्यधीन किया जा सकता है।
*हटा दिया गया।

परिशिष्ट–1

रत्न और आभूषणों के लिए आयात प्रतिपूर्ति

सामान्य टिप्पणी : (1) तराशे हुए और पालिश किए हुए बहुमूल्य/अर्द्ध बहुमूल्य/पालिश किए हुए और संसाधित मोतियों के डोरी या धागे में डाले हुए नेकलेस नीचे की संबंधित प्रविष्टियों में शामिल होंगे और तद्नुसार प्रतिपूर्ति की अनुमति दी जाएगी बशर्ते कि धातु जुड़नारों अर्थात् क्लिप्स, क्लेस्प्स, पिन्स, हुक्स आदि का मूल्य नगण्य हो और वह मूल्य इसमें शामिल न किया गया हो।

क्रम सं.	निर्यात उत्पाद	जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का आयात प्रतिपूर्ति का प्रतिशत	अनुमेय सामग्री	टिप्पणियां
1	2	3	4	5
1.	पालिश किए हुए, संसाधित मोती (असली या परिष्कृत)	65.00	01 असली या संसाधित मोती बिना सैट किए हुए/बिना छेद किए हुए	
2.1	तराशे हुए और पालिश किए हुए हीरे (260 अमेरिकी डालर जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य तक प्रति केरेट की मूल्य वसूली के साथ)	65.00	01 बिना सेट और बिना तराशे हीरे 02 रत्न और आभूषण उद्योग में प्रयुक्त विशेष औद्योगिक प्रासंगक गोंद/घोल और कृत्रिम हीरे का चूर्ण (1.00 प्रतिशत)	

1	2	3	4	5
2.2	तराशे हुए और पालिश किए हुए हीरे (260 अमेरिकी डालर से अधिक और 350 अमरीकी डालर जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य तक की प्रति कैरेट मूल्य वसूली सहित)	70.00	01 बिना सेट किए हुए और बिना तराशे हीरे 02 रत्न और आभूषण उद्योग में प्रयुक्त विशेष औद्योगिक आसंजक/गोंद/घोल और कृत्रिम हीरे का चूर्ण (1.00 प्रतिशत)	
2.3	तराशे हुए और पालिश किए हुए हीरे (350 अमेरिकी डालर अधिक और 400 अमेरिकी डालर जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य तक की प्रति कैरेट मूल्य वसूली सहित)	75.00	01 बिना सेट किए हुए और बिना तराशे हुए हीरे 02 रत्न और आभूषण उद्योग में प्रयुक्त विशेष औद्योगिक आसंजक/गोंद/घोल और कृत्रिम हीरे का चूर्ण (1.00 प्रतिशत)	
2.4	तराशे हुए और पालिश किए हुए हीरे (400 अमेरिकी डालर से अधिक तक की प्रति कैरेट मूल्य वसूली सहित)	82.50	01 बिना सेट किए हुए और बिना तराशे हुए हीरे 02 रत्न और आभूषण उद्योग में प्रयुक्त विशेष औद्योगिक आसंजक/गोंद/घोल और कृत्रिम हीरे का चूर्ण (1.00 प्रतिशत)	
2.5	तराशे हुए और पालिश किए हुए हीरे (575 अमेरिकी डालर जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य अधिक की वसूली प्रति कैरेट सहित)	90.00	01 बिना सेट किए हुए और बिना तराशे हुए हीरे 2 रत्न और आभूषण उद्योग में प्रयुक्त विशेष औद्योगिक आसंजक/गोंद/घोल और कृत्रिम हीरे का चूर्ण (1.00 प्रतिशत)	
2.6	कार्फिंग/क्लीविंग/साइंग सहित या रहित किन्तु ब्रूटिड न हों।	95.00	1. बिना सेट किए हुए और बिना तराशे हुए हीरे 2. रत्न और आभूषण उद्योग में प्रयुक्त विशेष औद्योगिक आसंजक/गोंद/घोल और कृत्रिम हीरे का चूर्ण (1.00 प्रतिशत)	
3.1	तराशे हुए और पालिश किए एमराल्ड रूबीज/सेफायर्स (प्रति कैरेट 350 अमेरिकी डालर और जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य 600 अमेरिकी डालर तक)	80.00	01 बिना सेट किए हुए और बिना तराशे एमराल्ड 02 बिना सेट और बिना तराशे रूबीज 03 बिना तराशे और बिना सेट किए सेफायर्स 04 बहुमूल्य रत्न बिना सेट किए हुए जिनमें भग्न/टूटे हुए/चीरे हुए/नुक्स वाले रूप में शामिल हैं।	

1	2	3	4	5
3.2	(1) प्रति कैरेट जहाज पर्यन्त निःशुल्क 350 अमेरिकी डालर से कम के क्रम सं. पी 3.1 के अंतर्गत न आने वाले, भग्न/टूटे हुए/फांक किए हुए/नुक्स वाले खुरदरे, अर्ध बहुमूल्य स्टोन में से तराशे हुए और पालिश किए हुए/अर्ध बहुमूल्य स्टोन सहित तराशे हुए और पालिश किए हुए बहुमूल्य और अर्ध बहुमूल्य स्टोन।	60.00	01 बिना सैट किए हुए और बिना तराशे हुए बहुमूल्य या अर्ध बहुमूल्य रत्न 02 भग्न/टूटे हुए/फांक किए हुए/नुक्स वाले खुरदरे अर्ध बहुमूल्य रत्न	
	(2) तराशे हुए और पालिश किए हुए मूंगे।	65.00	01 किसी भी आकार या भार में न कटा हुआ अनिर्मित मूंगा या मूंगे की डस्टिक	
	(3) तराशे हुए और पालिश किए हुए बहुमूल्य स्टोन (जहां प्रति कैरेट जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य 600 अमेरिकी डालर तथा इससे अधिक हो)।	90.00	01 बिना तराशे हुए और बिना सैट किए हुए एमराल्ड 02 बिना तराशे और बिना सैट किए हुए रूबीज 03 बिना तराशे और बिना सैट किए हुए सेफायर्स 04 भग्न/टूटे हुए/फांक किए हुए/नुक्स वाले बिना सैट किए हुए बहुमूल्य स्टोन।	
3.3	तराशे हुए और पालिश किए हुए ओनिक्स	50.00	01 फांक किए हुए ओनिक्स	
	(4) जेवरात जिनमें पैलेडियम और हीरे बहुमूल्य या अर्ध बहुमूल्य रत्न, असली या कलचर्ड मोती कृत्रिम, नकली रत्नों जड़ित हो/माला में जड़ित हों बशर्ते कि कृत्रिम/नकली पत्थरों का मूल्य धातु के मूल्य को छोड़कर जेवरात के जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 10 प्रतिशत से अधिक न हो।	65.00	01 बिना तराशे हुए और बिना सेट किए हुए हीरे 02 बिना तराशे हुए और बिना सेट किए हुए बहुमूल्य और अर्ध बहुमूल्य रत्न 03 बिना सेट किए हुए बिना छिद्र किए हुए असलीया कलचर्ड मोती 04 भग्न/टूटे/चीरे हुए/नुक्स वाले खुरदरे अर्ध बहुमूल्य स्टोन 05 आभूषणों के बक्से (1.00 प्रतिशत)	(1) हीरों, बहुमूल्य अर्ध बहुमूल्य रत्नों और मोतियों के साथ-साथ यदि जेवरातों में कृत्रिम या नकली रत्न जुड़े हों/पिरोए गए हों और जितना मूल्य धातु के मूल्य को निकाल कर जेवरात के मूल्य के 10 प्रतिशत से अधिक हो तो ये इस निर्यात उत्पाद में शामिल नहीं होंगे। (2) कालम 2 में यथावर्णित बहुमूल्य धातु के जेवरात क्रम सं. 4 के अंतर्गत आएंगे बशर्ते कि बहुमूल्य धातु अर्थात् पैलेडियम का मूल्य उनमें उपयोग की गई धातु के कुल मूल्य के 70 प्रतिशत से कम न हो या जड़ित जेवरात जिनमें पूर्ण रूप से या आंशिक रूप में पैलेडियम से भिन्न धातु हो

				5
				और जिनमें हीरे, मोती, बहुमूल्य/अर्ध बहुमूल्य रत्न जड़े हों/पिरोये गए हों, या आयात प्रतिपूर्ति के उद्देश्य के लिए क्रम सं. 4 के अंतर्गत जाएंगे बशर्ते कि जड़े जाने/पिरोये जाने का मूल्य कुल जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 90 प्रतिशत तक या उससे अधिक हो। (3) जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का निश्चय करने के लिए आभूषणों के जड़ित अवयवों के अर्थात् कटे हुए तथा पालिश किए हुए हीरों के मूल्य तथा/या बहुमूल्य तथा अर्ध-बहुमूल्य रत्नों तथा/या परिष्कृत मोती निर्यातक की घोषणा के अनुसार और सीमाशुल्क द्वारा जांच करने एवं निर्धारित मूल्य को ध्यान में रखा जाएगा। (4) बिना तराशे हुए और बिना सैट किए हुए हीरों, बहुमूल्य स्टोन, या अर्ध बहुमूल्य स्टोन, बिना तराशे हुए या बिना सैट किए हुए असली या परिष्कृत मोती, बिना जड़े हुए/बिना छेद किए हुए की प्रतिपूर्ति की अनुमति केवल तब दी जाएगी जब निर्यात किए गए उत्पाद में हीरों, बहुमूल्य या अर्ध बहुमूल्य रत्नों और मोतियों की मात्रा क्रमशः (निर्यातक द्वारा यथा घोषित और सीमाशुल्क द्वारा बीजक में विधिवत साक्ष्यांकित जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के समानुपात में हो। उपयुक्त जड़ित सामग्री की परस्पर अदला-बदली की अनुमति नहीं दी जाएगी।
5	तराशे या पालिश किए हुए कृत्रिम रत्न	50.00	01 अपरिष्कृत कृत्रिम रत्न 02 क्यूबिक जिरकोनियम	(1) प्रतिपूर्ति का दावा करने के लिए सीमा शुल्क का सांख्यांकित बीजक प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

1	2	3	4	5
6.1	कृत्रिम जेवरात/वेशभूषा के लिए जेवरात जो कृत्रिम/नकली रत्न/प्लास्टिक के मनके, लकड़ी के मनके, कांच के मनके, नकली मोती, कांच के चटन आदि से जुड़े हुए हों या पिरोये हुए हों।	30.00	01 कांच के मनके, झूठे मोती और कांच के चैटन्स/स्टाक लाट में कांच के चैटन्स 02 अपरिष्कृत कृत्रिम रत्न 03 कृत्रिम जेवरात के लिए जुड़नार, फाइंडिग, संघटक और उप साधित्र। 04 क्यूबिक जिरकोनिया 05 आभूषणों के खाली बक्से (1.00 प्रतिशत)	(क) इस प्रविष्टि में केवल वे ही जेवरात आएंगे जो क्रम सं. 4 में उल्लिखित बहुमूल्य धातुओं को छोड़कर दूसरी किसी धातु से बने हों, दूसरे शब्दों में इस क्रम सं 4 के अन्तर्गत वे जेवरात आएंगे जो एल्यूमिनियम तांबा, पीतल आदि जैसे आधार धातु से बने हैं, और जिनमें कृत्रिम / नकली रत्न, प्लास्टिक के मनके, लकड़ी के मनके आदि जड़े हुए हों या पिरोए हुए हों। अर्ध बहुमूल्य रत्नों से जड़े हुए/पिरोए गए आधार धातु के कृत्रिम आभूषण भी इसी संख्या के अन्तर्गत आएंगे। (2) प्रतिपूर्ति का दावा करते समय सीमाशुल्क द्वारा सांख्यांकित बीजक प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। (3) कफलिंक (पीतल के कफलिंक सहित), कृत्रिम/नकली रत्न जड़े हुए कफलिंक, सजाए हुए कफलिंक और सोना चढ़ाए गए कफलिंक भी इस क्रम संख्या के अन्तर्गत आएंगे।
6.2	कृत्रिम जेवरात/वेशभूषा के लिए सादे जेवरात (क्रम सं. 6.1 के अन्तर्गत उल्लिखित जेवरात को छोड़कर)	10.00	01 कृत्रिम आभूषणों के लिए अपेक्षति धातु की फिटिंग, फाइंडिंग, संघटक और अनुषंगी। 02 आभूषणों के खाली बक्सें (1.00 प्रतिशत)	(क) एल्यूमिनियम और "गिलट" जैसे आधार धातुओं से बने झुमके, बालियां, अंगूठियां, कमर पट्टियां, नेकलेस, घुंघरू आदि भी इस कोड के अंतर्गत आएंगे। क्रम सं. पी 6.1 में शामिल कफलिंक से भिन्न पीतल के कफलिंक भी इस क्रम सं. के अंतर्गत आएंगे। (2) प्रतिपूर्ति का दावा करते समय सीमाशुल्क द्वारा सांख्यांकित बीजक प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है।
6.3	चांदी के जरदोजी और चांदी की जरदोजी के जेवरात	10.00	01 धातु की फिटिंग्स 02 आभूषणों के खाली बक्से (1.00 प्रतिशत)	

1	2	3	4	5
6. 1	पैलेडियम से बने जेवरात जो सिंथेटिक/ नकली कांच पत्थरों, चैटन, मनके, नकली मोती से जड़े हों या हीरों, कीमती रत्नों, अर्ध-बहुमूल्य रत्नों, असली/कल्चर्ड मोती के साथ हों या उसके बिना हों ।	30.00	01 कांच के मोती, नकली मोती और कांच के चैटन/ स्टाक लाट में कांच के चैटन्स 02 खुरदरे नकली रत्न 03 क्यूबिक जिरकोनिया 04 आभूषणों के खाली बक्से (1.00 प्रतिशत)	(1) प्रतिपूर्ति का हिसाब लगाते समय पैलेडियम का मूल्य जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य से घटा दिया जाएगा । (2) इस क्रम संख्या में वे वस्तुएं भी आएंगी जिनमें सिन्थेटिक नकली शीशे से जड़ित पत्थर चटन मनके सहित या उसके बिना नकली मोती बहुमूल्य पत्थर अर्ध-बहुमूल्य पत्थर, असली/ परिष्कृत मोती जड़े हों ।

परिशिष्ट–II

निर्यात अभिमुख इकाइयों/ निर्यात संवर्धन क्षेत्र योजना (निति का पैरा 97) के अंतर्गत कुछ मदों के लिए अपेक्षित न्यूनतम मूल्य संयोजन ।

I.	इलैक्ट्रानिक्स	
	कम्प्यूटर साफ्टवेयर	60%
II.	वस्त्र	
	(क) सिले-सिलाए वस्त्र	40%
	(ख) मेड-अप्स	30%
	(ग) कॉटन यार्न और कॉटन पोलिस्टर यार्न (रिंग-स्पिंडलेस स्पन)	30%
	(घ) कॉटन यार्न और कॉटन पोलिस्टर यार्न (ओपन एण्ड स्पिनिंग)	30%
	(ङ.) पीस गुड्स	30%
	(च) डैनिम फैब्रिक्स	30%
	(छ) टेरी टावल्स	30%
	(ज) सिल्क फैब्रिक्स	30%
	(झ) सिल्क एंड हाइफैशन गारमैंट्स	30%
III.	चमड़ा-उत्पाद	
	(क) चमड़े के फुटवियर	30%
	(ख) चमड़े के शू-अपर्स	30%
	(ग) लैदर-गारमेंट्स/गुड्स	30%
	(घ) स्पोर्टस शूज/स्पोर्टस फुटवियर	30%
IV.	रत्न और आभूषण	
	(क) साधारण सोने के आभूषण	10%
	(ख) स्वर्ण जड़ित आभूषण	15%
	(ग) चांदी के आभूषण	25%
V.	अन्य	
	(क) लेटेक्स ग्लोब्स	40%
	(ख) ग्रेनाइट	50%
	(ग) परीक्षण और मापने के औजार, औद्योगिक कंट्रोल वाल्व, फोटोकॉपियर्स और चिकित्सीय और वैज्ञानिक उपकरण	20%
	(घ) दीवार घड़ियां/टाईम पीस/हाथ की घड़ियां	30%
	(ङ.) सिगरेट	35%
	(च) सिगरेट लाइटर्स	40%
	(छ) मूणों सहित ब्रिस्टल्स	30%
	(ज) टिशु कल्चर पौधे	60%

MINISTRY OF COMMERCE

NOTIFICATION NO. 1 (RE-96)/92—97

New Delhi, the 25th March, 1996

S.O. 245(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992), read with Paragraph 3 of the Export and Import Policy, 1992—97 the Central Government hereby amends and notifies the Export and Import Policy, 1992—97 (Revised Edition : March, 1996) as contained in the Annexure to this Notification. This Revised Edition of the Policy, incorporating the amendments made upto 25th March, 1996 shall come into force from 26th March, 1996.

2. This issues in public interest.

[File No. PRU/C/16/95-96]

SHYAMAL GHOSH, Director General of Foreign Trade and Ex-Officio Addl. Secretary

CHAPTER I

INTRODUCTION

1. Notification.—In exercise of the powers conferred under section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (No. 18 of 1947), the Central Government had notified on 31st March, 1992 the Export and Import Policy for the period 1992—97 (hereinafter referred to as the Policy). This Act has since been repealed and replaced by the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992) (hereinafter referred to as the Act). The Policy shall be deemed to have been notified under section 5 of the Act.

2. Application and duration.—This Policy shall come into force with effect from 1st April, 1992 and shall remain in force for a period of five years, that is, upto 31st March, 1997 and will be coterminus with the Eighth Plan period (April 1992 to March 1997).

3. Amendment.—The Central Government reserves the right in public interest to make any amendments to this Policy in exercise of the powers conferred by section 5 of the Act. An amendment shall be made by means of a Notification published in the Gazette of India.

4. Transitional arrangements.—Any Notification made or Public Notice issued or anything done under the previous Export-Import policies, and in force immediately before the commencement of this Policy shall, in so far as they are not inconsistent with the provisions of this Policy, continue to be in force and shall be deemed to have been made, issued or done under this Policy. Licences issued before the commencement of this Policy shall continue to be valid for import/export of the items permitted therein.

5. In case an export or import that is permitted freely under this Policy is subsequently subjected to any restriction or regulation, such export or import will ordinarily be permitted notwithstanding such restriction or regulation, unless otherwise stipulated provided that the shipment of the export or import is made within 45 days of imposition of such restriction against a firm order backed by an irrevocable letter of credit established before the date of imposition of such restriction.

CHAPTER II

OBJECTIVES

6. The principal objectives of this Policy are as follows :

(a) To accelerate the country's transition to an internationally oriened economy with a view to derive maximum benefit from the expanding global market opportunities;

(b) To augment the productivity, modernisation and competitiveness of Indian agriculture, industry and services and thereby to enhance their export potential and capabilities;

(c) To encourage the attainment of internationally accepted standards of quality and thereby improve the image of India's products abroad;

(d) To stimulate India's exports by facilitating access to required raw materials, intermediates, components, consumables and capital goods from the international market;

(e) To encourage efficient and internationally competitive import substitution within the liberalised framework of foreign trade;

(f) To import greater transparency in the export-import policies and eliminate or minimise quantitative restrictions, licensing and other discretionary controls;

(g) To strengthen and stimulate the country's Research and Development (R & D) capabilities;

(h) To conserve the Forests and Wildlife of India and assist efforts towards the preservation, protection and promotion of a healthy eco-system for ensuring balanced and sustainable development; and

(i) To simplify and streamline the procedures governing exports and imports.

Directorate General of Foreign Trade and its network of Regional Offices will strive to achieve the above objectives by acting as facilitators, co-ordinators and export promoters in close association with all the agencies concerned.

CHAPTER III

DEFINITIONS

7. For the purpose of this Policy, unless the context otherwise requires, the following words and expressions shall have the meanings attached to them :

(1) "Accessory" or "Attachment" means a part, sub-assembly or assembly that contributes to the efficiency or effectiveness of a piece of equipment without changing its basic functions.

(2) "Act" means the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992).

(3) "Actual User" means an actual user who may be either industrial or non-industrial.

(4) "Actual User (Industrial)" means a person who utilises the imported goods for manufacturing in his own industrial unit or manufacturing for his own use in another unit including a jobbing unit.

(5) "Actual User (Non-Industrial)" means a person who utilises the imported goods for his own use in—

(i) any commercial establishment carrying on any business, trade or profession; or

(ii) any laboratory, Scientific or Research and Development (R & D) institution, university or other educational institution or hospital; or

(iii) any service industry.

(6) "Applicant" means the person on whose behalf the application is made and shall, wherever the context so requires, include the person signing the application.

(7) "Capital Goods" means any plant, machinery, equipment or accessories required for manufacture or production, either directly or indirectly, of goods or for rendering services, including those required for replacement, modernisation, technological upgradation or expansion. Capital goods also include packaging machinery and equipment, refractories, refrigeration equipment, power generating sets, machines tools, catalysts for initial charge, and equipment and instruments for testing, research and development, quality and pollution control. Capital goods may be for use in manufacturing, mining, agriculture, aquaculture, animal husbandry, floriculture, horticulture, pisciculture, poultry and sericulture, as well as for use in the services sector.

(8) "Canalisation" of exports and imports means exports and imports only through the agencies designated by the Central Government.

(9) "Competent Authority" means an authority competent to exercise any power or discharge any duty or function under the Act or the Rules and Orders made thereunder or under this Policy.

(10) "Component" means one of the parts of a sub-assembly or assembly of which a manufactured product is made up and into which it may be resolved. A component includes an accessory or attachment to the component.

(11) "Consumbales" means any item which participates in or is required for a manufacturing process, but does not form a part of the end-product. Items which are substantially or totally consumed during a manufacturing process will be deemed to be consumables.

(12) "Consumer Goods" means any consumption goods which can directly satisfy human needs without further processing and include consumer durables and accessories thereof.

(13) "Counter Trade" means any arrangement under which exports/imports from/to India are balanced either by direct imports/exports from the importing/exporting country or through a third country under a Trade Agreement or otherwise. Exports/Imports under Counter Trade may be carried out through Escrow Account, Buy Back arrangements, Barter trade or any similar arrangement. The balancing of exports

and imports could wholly or partly be in cash, goods and|or services.

(14) "Drawback" in relation to any goods manufactured in India and exported means the rebate of duty chargeable on any imported materials or excisable materials used in the manufacture of such goods in India.

(15) "Excisable goods" means any goods produced or manufactured in India and subject to a duty of excise under the Central Excises and Salt Act 1944 (1 of 1944).

(16) "Exporter" means a person who exports or intends to export and holds an Importer-Exporter code number.

(17) "Export House|Trading House|Star Trading House|Super Star Trading House" means an exporter holding an Export House|Trading House|Star Trading House|Super Star Trading House certificate issued by the Director General of Foreign Trade.

(18) "Export Obligation" means the obligation to export the product or products covered by the licence or permission in terms of quantity, value or both, as may be prescribed or specified by the licensing or competent authority.

(19) "Importer" means a person who imports or intends to import and holds an Importer-Exporter code number.

(20) "Jobbing" means processing or working upon of raw materials or semi-finished goods supplied to the job worker so as to complete a part or whole of the process resulting in the manufacture or finishing of an article or any operation which is essential for the aforesaid process.

(21) "Licence" means a licence granted under the Act.

(22) "Licensing Authority" means the authority competent to grant a licence.

(23) "Licensing year" means the period beginning on the 1st April of a year and ending on the 31st March of the following year.

(24) "Manufacture" means to make, produce, fabricate, assemble, process or bring into existence, by hand or by machine, a new product having a distinctive name, character or use and shall include processes, such as refrigeration, repacking, polishing, labelling and segregation. Manufacture for the purpose of this Policy, shall also include agriculture, aquaculture, animal husbandry, floriculture, horticulture, pisciculture poultry, sericulture and mining.

(25) "Manufacturer Exporter" means a person who manufactures goods and exports or intends to export such goods.

(26) "Merchant Exporter" means a person engaged in trading activity and exporting or intending to export goods.

(27) "Notification" means a notification published in the official Gazette.

(28) "Order" means Order made by the Central Government under the Act.

(29) "Part" means an element of a sub-assembly or assembly not normally useful by itself and not amendable to further disassembly for maintenance purposes. A part may be a component or an accessory.

(30) "Person" includes an individual, firm, society, company, corporation or any other legal person.

(31) "Policy" means the Export and Import Policy, 1992-97 as amended from time to time.

(32) "Prescribed" means prescribed under the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 or the Rules or Orders made thereunder or under this Policy.

(33) "Public Notice" means a notice published under the Policy for the information of the public.

(34) "Raw material" means :

(i) basic materials which are needed for the manufacture of goods, but which are still in a raw, natural, unrefined or unmanufactured state; and

(ii) for a manufacturer, any materials or goods which are required for his manufacturing process, whether they they have actually been previously manufactured or are processed or are still in a raw or natural state.

(35) "Registration-cum-Membership Certificate" (RCMC) means the certificate of registration and membership granted by any Export Promotion Council or by any other concerned authority listed in Chapter XIII.

(36) "Rules" means Rules made by the Central Government under section 19 of the Act.

(36A) "Service Provider" means a person providing—

(a) supply of a service from India to any other country;

(b) supply of a service from India to the service consumer of any other country in India; and

(c) supply of a service from India through commercial presence in the territory of any other country.

(36B) "Services" includes computer software.

(37) "Spares" means a part or a sub-assembly or assembly for substitution, that is, ready to replace an identical or similar part or sub-assembly or assembly. Spares include a component or an accessory.

(38) "Specified" means specified by or under the provisions of this Policy.

(39) "Wild Animal" means any wild animal as defined in section 2(36) of the Wild-life (Protection) Act, 1972.

CHAPTER IV

GENERAL PROVISIONS REGARDING EXPORTS AND IMPORTS

8. Exports & Imports free unless regulated.—Exports and imports may be done freely, except to the extent they are regulated by the provisions of this Policy or any other law for the time being in force. The policies shall be as stated in columns 3 to 5 of the book titled ITC(HS) Classifications of Export and Import items" published and notified by the Director General of Foreign Trade and as amended from time to time.

9. Form of Regulation.—The Central Government may, in public interest, regulate the import or export of goods by means of a Negative List of Imports or a Negative List of Exports, as the case may be.

10. Negative Lists.—The Negative Lists may consist of goods, the import or export of which is prohibited, restricted through licensing or otherwise or canalised. The Negative List of Imports and the Negative List of Exports shall be as contained in this Policy.

11. Prohibited goods.—Prohibited goods shall not be imported or exported .

12. Licensing.—Any goods, the export or import of which is restricted through licensing, may be exported or imported only in accordance with a licence issued in this behalf.

13. Terms and Conditions.—A licence shall contain such terms and conditions as may be specified by the licensing authority and may include:—

(a) The quantity, description and value of the goods;

(b) Actual User condition, if any;

(c) Export obligation, if any;

(d) The value addition to be achieved, if any; and

(e) The minimum export price, if any.

14. Period of Validity.—Every licence shall be valid for the period of validity specified in the licence.

15. Licence not a right.—No person may claim a licence as of right and the Director General of Foreign Trade or the licensing authority shall have the power to refuse to grant or renew a licence in accordance with the provisions of the Act and the Rules made thereunder.

16. Procedure.—The Director General of Foreign Trade may, in any case or class of cases, specify the procedure to be followed by an exporter or importer or by any licensing competent or other authority for the purpose of implementing the provisions of the Act, the Rules and Orders made thereunder and this Policy. Such procedures shall be included in the Handbook of Procedures and published by means of a Public Notice. Such procedures may, in like manner, be amended from time to time.

17. Canalisation.—Any goods, the import or export of which is canalised, may be imported or exported by the canalising agency specified in the Negative Lists. The Director General of Foreign Trade may, however, grant a licence to any other person to import or export any canalised goods.

18. IEC Code No.—An Importer Exporter Code (IEC) number shall be granted, on application, by the competent authority in accordance with the procedure specified in this behalf by the Director General of Foreign Trade. No export or import shall be made by any person not granted an Importer-Exporter Code (IEC) number unless specifically exempted under any other provision of this Policy.

19. Compliance with Laws.—Every exporter or importer shall comply with the provisions of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992, the Rules and Orders made thereunder, the provision of this Policy and the terms and conditions of any licence granted to him, as well as provisions of any other law for the time being in force.

20. Interpretation of Policy.—If any question or doubt arises in respect of the interpretation of any question arises touching upon the scope and question or doubt shall be referred to the Director General of Foreign Trade whose decision thereon shall be final and binding.

For the removal of doubts, it is hereby declared that if any question arises whether a licence has been issued in accordance with this Policy or if any question arises touching upon the scope and content of a licence, such question shall also be referred to the Director General of Foreign Trade for a decision.

21. Exemption from Policy|Procedure.—Any request for relaxation of the provisions of this Policy or of any procedure, on the ground that there is genuine hardship to the applicant or that a strict application of the Policy or the procedure is likely to have an adverse impact on trade, may be made to the Director General of Foreign Trade for such relief as may be necessary. The Director General of Foreign Trade may pass such orders or grant such relaxation or relief as he may deem fit and proper. The Director General of Foreign Trade may, in public interest, exempt any person or class or category of persons from any provision of this Policy or any procedure and may, while granting such exemption impose such conditions as he may deem fit.

21A. Private Bonded Warehouses.—Private bounded warehouses may be set up in the Domestic Tariff Area. Any person may import goods are which are freely importable or which may be imported against Special import Licences (SILs) and warehouse them in such private bonded warehouses. Such goods may be cleared for home consumption in accordance with the provisions of this Policy and against a licence, wherever required. Customs duties as applicable shall also be paid at the time of clearance.

After a period of one year or such extended period as the Customs authorities may permit, the importer of the goods shall, if he does not clear the goods for home consumption, re-export the goods in accordance with the provisions of this Policy and against a licence, wherever required.

21B. Green Channel facility.—The Director General of Foreign Trade may, in consultation with the Customs authorities notify a scheme providing green channel facilities to certain categories of importers and exporters to enable them to clear their goods expeditiously. The scheme may provide for :—

(a) The conditions of eligibility to avail of the benefits of the scheme;

(b) The fast track clearance of all applications made by an importer|exporter to the licensing authorities;

(c) Obtaining preferential credit and other facilities from the banks;

(d) Securing insurance cover from the Exporter Credit Guarantee Corporation (ECGC) and simliar agencies;

(e) Pre-shipment inspection and certification by specified agencies or authorities at the port of origin regarding description, quantity and value of the goods imported|exported; and

(f) Any other matter relating to import|export facilitation.

21C. Trade with Neighbouring Countries.—In the case of trade with neighbouring countries the Director General of Foreign Trade may issue, from time to time, such instructions or frame such schemes as may be required.

21D. Trade with Russia under Debt-Repayment Agreement.—In the case of trade with Russia under the Debt Repayment Agreement, the Director General of Foreign Trade may issue, from time to time, such instructions or frame such schemes as may be required, and anything contained in this Policy, in so far as it is inconsistent with such instructions or schemes, shall not apply.

CHAPTER V

IMPORTS

22. Free Importability.—Capital goods, raw materials, intermediates, components, consumers, spares, parts, accessories, instruments and other goods may be imported without any restriction except to the extent such imports are regulated by the Negative List of Imports or any other provision of this Policy or any other law for the time being in force.

23. Actual User Condition.—Capital goods, raw materials, intermediates, components, consumable, spares, parts, accessories, instruments and other goods, which are importable without any restriction, may be imported by any person whether he is an Actual User or not. However, if such imports require a licence, the Actual User alone may import such goods unless the Actual User condition is specifically dispensed with by the licensing authority.

24. Deleted.

25. Import of second hand capital goods without licence.—All second hand capital goods, having a minimum residual life of 5 years, may be imported by the Acutal Users, without a licence subject to Actual User condition. The Actual User shall furnish to the Cutoms at the time of clearance of goods, a self declaration to the effect that the second hand capital goods being imported have a minimum residual life of 5 years, in the prescribed form as given in Appendix XI of the Handbook

of Procedures (Vol. 1). If the CIF value of second hand capital goods being imported is Rs. One crore and above, the importer shall also furnish to the Customs, at the time of clearance of goods, a certificate from any one of the Inspection and certification Agencies, including all their branches, as specified in Appendix XI-A of the Handbook of Procedures (Vol. 1), to the effect that the purchase price is reasonable.

26. Deleted.

27. Deleted.

28. Deleted.

29. Second hand goods.—All second hand goods, other than capital goods, may be imported in accordance with a Public Notice or a licence issued in this behalf.

30. Import on re-export basis.—New or second hand jigs, fixtures, dies (including contour roller dies), moulds (including moulds for die-casting), patterns, press tools and lasts, construction machinery and other equipment may be imported on re-export basis without a licence on execution of bond/bank guarantee to the satisaction of the Customs authorities. Such goods, however, need not have a minimum residual life of five years.

31. Repairs abroad and re-import without Licence.—Capital goods including aircraft its components, spare parts and accessories, whether imported or indigenous, may be sent abroad for repairs, testing, quality improvement or upgradation of technology without a licence but subject to the satisfaction of the Customs authorities that the re-imported goods are the same as the goods that were exported.

32. Deleted.

33. Import of used machinery and equipment.—After completion of the projects abroad, project conracors may import, without a licence, used construction equipment, machinery, related spares upto 15% of the CIF value of such machinery, tools and accessories on the basis of production of evidence of purchase for and use in the overseas project. Used office equipment and vehicles may also be imported after completion of the projects abroad, without a licence, but subject to the condition that they have been used for at least one year.

34. Import of Gifts.—Import of gifts shall be permitted according to the Baggage Rules for the time beng in force. Import of goods which are othtrwise freely importable under ths Policy shall also be permtted as import of gift without a Customs Clearance Permit (CCP). In anv other case, a Customs Clearance Permit (CCP) shall be required and may be issued, on application, by the licensing authority after considering the merits of the case.

34A. Passenger's Baggage.—Bonafide household goods and personal effects may be imported as part of a passenger's baggage.

35. Sale on high seas.—Sale of goods on high seas for importation into India may be made subject to this Policy or any other law for the time being inforce.

36. Deleted.

CHAPTER VI

EXPORT PROMOTION

CAPITAL GOODS SCHEME

37. Scheme.—Capital goods may be imported with a licence under the Export Promotion Capital Goods (EPCG) Scheme.

38. Import on concessional duty.—Capital goods (including spares upto 20% of the CIF value of the capital goods) may be imported at a concessional rate of customs duty according to the conditions given in the table below subject to an export obligation to be fulfilled over a period of time. The period for fulfilment of export obligation shall be reckoned from the date of issue of the import licence.

Duty	Export Obligation	Period
15% CIF value	4 times CIF value	5 yrs
Zero duty (in case CIF Value is Rs. 20 crores or more)	6 times CIF value	8 yrs

The export obligaion shall be on FOB basis. However, in the case of zero duty imports, tht licence holder may apply for fulfilment of the export obligation by exporting 4 times the CIF value of the capital goods on NFE basis within a period of 8 years. The provisions of paragraph 138 of this Policy shall apply for calculating the export obligation on NFE basis.

39. Eligibility.—Under the Scheme, manufacturer exporters, merchant exporters and service provides are eligible to import capital goods.

40. Conditions for import of capital goods.—Import of capital goods under the scheme shall be subject to Actual User condition till the export obligation is completed. Both new and second hand capital goods may be imported under the scheme. In the case of import of second hand capital goods, the importer shall furnish to the Customs at the time of clearance of goods, a self declaration to the effect that the second hand capital goods being imported have a minimum residual life of 5 years in the prescribed form as given in Appendix XI of Handbook of Procedures (Vol. 1). However, if the CIF value of second hand capital goods is Rs. 1

crore and above the importer shall produce a certificate from any one of the Inspection and Certification Agencies, including all their branches as speified in Appendix XIA of the Handbook of Procedures (Vol. 1) certifying the residual life of the capital goods and that the purchase price as reflected in the CIF value is reasonable. In that case of zero duty imports, the minimum residual life of the second hand capital goods shall be 10 years. The licensing authority may also specify, in individual cases, such terms and conditions as may be considered appropriate.

41. Export obligation.—The following conditions shall apply to the fulfilment of the export obligation under the scheme.

(i) The export obligation shall be fulfilled by the export of goods manufactured or produced by the use of the capital goods imported under the scheme.

(ii) The exports shall be direct exports in the name of the importer. However, the importer may export through a third party provided the name of the importer|licence holder is also indicated in the shipping bill, if a merchant exporter is the importer, the name of the manufacturer shall also be indicated in the shipping bill;

(iii) Export proceeds shall be realised in freely convertible currency.

(iv) Export shall be physical exports. Deemed exports shall also be taken into consideration for fulfilment of export obligation but the licencee shall not be entitled to claim any benefit under paragraph 122 of this Policy in respect of such deemed exports;

(v) The export obligation shall be in addition to any other export obligation undertaken by the importer and shall be over and above the average level of exports of the same product achieved by him in the preceding three licensing years. If the exporter achieves an export of 75% of the annual value of the production of the ralevant export product, the export obligation under this scheme shall be subsumed under that export; provided, however, that the aggrtgate value of such exports during the specified period shall not be less than the aggregate value of the export obligation fixed under paragraph 38 of this Policy.

(vi) Where the manufacturer exporter has obtained licences for the manufacture of the same export product both under this scheme and the Duty Exemption Scheme, the physical exports made under the Duty Exempton Scheme shall also be counted towards the discharge of the export obligation under this scheme; and

(vii) In the case of export of computer software the export obligation shall be determined in accordance with paragraph 38 of this Policy but the condition that exports shall be over and above the average level of exports in the preceding three licensing years shall not apply.

(viii) Deleted.

(ix) Deleted.

42. Deleted.

43. Procedure for application.—An application for grant of a licence under the scheme may be made to the licensing authority in accordance with the procedure specified in this behalf.

43A. The licence issued under this scheme shall be deemed to be valid for the goods already shipped|arrived provided customs duty has not been paid and the goods have not been cleared.

44. Import of Computer systems.—Import of computer systems for the export of software shall also be governed by paragraphs 37 to 43 above.

45. LUT and|or Bank Guarantee.—The licencee shall give to the licensing authority an undertaking for the fulfilment of the export obligation. The details in this regard are specified in the Hand Book of Procedures (Vol. 1).

The licencee shall also be required to execute with the Customs authorities a Bond supported by Bank Guarantee, as specified in the Hand Book of Procedures (Vol. 1).

46. Import of Components and goods in SKD|CKD condition.—A person may apply for a licence under the EPCG scheme to import the capital goods in SKD|CKD condition or components of such capital goods and may assemble or manufacture, as the case may be, the capital goods. This facility shall not be available for replacement of parts. The export obligation under paragraph 38 shall be fixed wtih reference to the CIF value of such imports and all other provisions of this Chapter shall apply to such imports.

A person holding a licence, either under 15% concessional duty or Zero duty EPCG scheme, may source the capital goods from a domestic manufacturer instead of imprting them. In the event of a firm contract between the parties for such sourcing, the domestic manufacturer may apply under the scheme for the import of components required for the manufacture of the said capital goods, at a concessional rate of customs duty of 15% or Zero duty, as the case may be. However, the export obligation shall be reckond with reference to the CIF value of the capital goods indicated in the EPCG

licence and shall continue to be discharged by the EPCG licence holder in acordance with the provisions contained in paragraphs 38 and 41 above. The domestic manufacturer shall be entitled to the benefits for deemed exports only under paragraph 122(c) and (d).

CHAPTER VI-A

EXPORT PROMOTION CAPITAL GOODS SCHEME FOR SERVICES SECTOR

Deleted.

CHAPTER VII

DUTY EXEMPTION SCHEME

47. Duty Exemption Scheme.—Under the Duty Exemption Scheme, import of raw materials intermediates, components, consumables, parts, accessories, mandatory spares (not exceeding 5 per cent of the CIF value of the licence), packing materials and computer software (hereinafter referred to as "inputs") required for the product to be exported may be permitted duty free for processing and export by the competent authority under the categories of licences mentioned in this chapter.

However, such inputs shall be subject to the payment of additional customs duty equal to the excise duty at the time of import. The said additional customs duty shall be adjusted in the following manner:—

(a) If the importer uses the inputs for production of export goods, which are otherwise liable to a duty of excise and eligible for Madvat, he may avail of Modvat credit in respect of the additional customs duty so paid, immediately upon the said inputs entering his factory;

(b) If the importer uses the inputs for production of export goods, which are otherwise not excisable or not dutiable or not eligible for Modvat benefit, he may claim drawback in respect of the additional customs duty so paid, immediately upon the said inputs entering his factory;

(c) If the importer uses the inputs for manufacture and sale in the DTA of excisable goods, he may claim Modvat in respect of the additional customs duty so paid immediately upon the said inputs entering his factory;

(d) If the importer uses the inputs for manufacture and sale in the DTA of goods which are not excisable or not dutiable or not eligible for Modvat benefit, he shall not be eligible to any rebate or adjustment of the additional customs duty so paid.

Notwithstanding anything contained above, exemption from payment of additional customs duty shall be allowed in respect of Quantity Based Advance Licences, issued with Actual User condition to :

(a) manufacturer-exporters, on applications made on or after December 1, 1995; and

(b) merchant-exporters where the merchant exporter agrees to the endorsement of the name or names of the supporting manufacturer or manufacturers on the relevant DEEC book, on applications made on or after April 1, 1996.

Such Quantity Based Advance Licences will not be transferable even after completion of export obligation.

48. Advance Licence.—An Advance Licence is granted for the import of inputs without payment of basic customs duty. Such licence shall be issued in accordance with the policy and procedure in force on the date of issue of the licence and shall be subject to the fulfilment of a time-bound export obligation and value addition as may be specified. Advance Licences may be either value based or quantity based.

Licences issued under the Duty Exemption Scheme shall be regulated in freely convertible currency. The FOB value of exports and CIF value of imports in the licences shall be specified in freely convertible currency. The CIF value shall also be specified in bracket in Indian Rupees at the exchange rate on the date of issue of the licence.

However, in the case of Advance Intermediate Licence and Special Imprest Licence where the payment for the goods supplied is to be received in Indian Rupees, the FOB value shall be specified in Indian Rupees and the CIF value of imports shall be specified in freely convertible currency on these licences.

49. Value based Advance Licence.—Under a Value Based Advance Licence any of the inputs specified in the licence may be imported within the total CIF value indicated for those inputs, except inputs specified as sensitive items, if any sensitive item is not imported, the value indicated against the said item may be used for importing non-sensitive items. A sensitive item may be imported only to the extent of the quantity or value specified in the licence. However, the importer shall have the flexibility of importing a sensitive item in excess of the quantity or value limit indicated against it upto an extent of 20% of the quantity or value indicated, as the case may be, subject to the overall CIF value of the licence.

Under a value based Advance Licence, both the quantity and FOB value of the exports to be

achieved shall be specified. It shall be obligatory on the part of the licence holder to achieve both the quantity and FOB value of the exports specified in the licence.

A value based Advance Licence shall specify :

(a) the names and description of items to be imported and exported;

(b) the CIF value of imports;

(c) the FOB value and quantity of exports;

(d) for sensitive items, where the competent authority considers it necessary to do so, quantity or CIF value or both of each sensitive item shall also be specified in the licence;

50. Quantity based Advance Licence.—A quantity based Advance Licence shall specify :

(a) the names and description of items to be imported and exported;

(b) the quantity of each item to be imported or, if the quantity cannot be indicated, the value of the item;

(c) the CIF value of imports; and

(d) the FOB value and quantity of exports.

51. Input-Output and value addition norms.—The standard input-output norms for the imports and exports for the grant of both value based and quantity based advance licences and value addition norms for value based licences shall be in accordance with the norms published by the Director General of Foreign Trade in the Handbook of Procedures (Vol 2). However, in respect of quantity based Advance Licences for which such standard input-output norms have not been published. the quantitative norms will be as specified by the competent authority.

52. The Director General of Foreign Trade may, on the recommendation of the Special Advance Licensing Committee, modify the norms or prescribe norms for additional items.

53. Special Schemes.—The Director General of Foreign Trade may publish by means of a Public Notice special schemes for quantity or value based advance licences for a class or a group of export products in order to provide greater flexibility to the exporters in terms of inputs, broadbanding or value addition, with such conditions as may be considered necessary.

54. Pass Book Scheme.—A Pass Book Scheme shall be available for some categories of exporters. A manufacturer-exporter or an exporter granted an Export House|Trading House|Star Trading House|Super Star Trading House certificate, shall be eligible to avail the benefits of the Pass Book Scheme. He may apply to the designated authority in the prescribed form for issue of the Pass Book. The designated authority may, after considering such matters as may be specified, issue a Pass Book to the applicant.

The Pass Book Scheme shall apply only for the export of products where standard input|output norms have been published. The Director General of Foreign Trade shall appoint a designated authority, being an officer of the rank not less than a Deputy Director General in each of the Customs Houses at Delhi, Bombay, Calcutta and Madras and such other Customs Houses as may be specified by him in this behalf. The designated authority shall be the competent authority in respect of matters concerning the Pass Book Scheme and shall discharge his functions under the overall direction and supervision of the Collector of Customs.

Upon the export of goods by a Pass Book holder, the designated authority shall calculate, on the basis of the standard input|output norms, including packing material as provided in General Note for Packing Material in the Handbook of Procedures (Vol. 2), the deemed import content of the said exports and determine the basic customs duty payable on such deemed imports. He shall credit the said amount in the Pass Book. Upon imports being made by the Pass Book holder the credits may be utilised to pay the basic customs duty on the imported goods. Payment shall be by a debit entry to be made in the Pass Book by the designated authority. In respect of additional customs duty the Pass Book holder will have an option to pay the same either by debit entry to be made in the Pass Book or in cash. The export goods shall not be eligible for drawback on the inputs for which credit in the Pass Book is taken. The import and export shall be made through the same port. Any goods which are not included in the Negative List of Imports may be imported under this scheme. Besides, credit available under the Pass Book may also be utilised to pay customs duty while importing goods permitted against freely transferable Special Import Licences. The Pass Book shall be valid for a period of two years from the date of issue and may be renewed from time to time.

Notwithstanding anything contained above, the Director General of Foreign Trade may exclude from the operation of the Pass Book Scheme any class or category of goods as may be specified from time to time.

55. Advance Intermediate Licence.—An Advance Intermediate Licence is granted for the duty free import of inputs by the intermediate manufacturer for supply to the ultimate exporter or eligible deemed exporter holding a licence under the Duty Exemption Scheme. The Intermediate Licence holder shall make supplies to a licence holder

under the Duty Exemption Scheme within a specified period. An Advance Intermediate Licence shall ordinarily be quantity based and, where a scheme has been notified in this behalf by the Director General of Foreign Trade, may be value based.

The benefit of flexibility to import a sensitive item in excess of the quantity indicated, upto 20% provided in paragraph 49 shall also be admissible under an Advance Intermediate Licence.

56. Special Imprest Licence.—A Special Imprest Licence is granted for the duty free import of inputs to main|sub contractor for the manufacture and supply of goods under the categories contained in para 121(c), (e), (f), (h) and (i).

A Special Imprest Licence is also granted for supplies made to United Nations organisations or under the aid programme of the United Nations or other multilateral agencies and paid for in foreign exchange.

57. Special Imprest Licences shall be quantity based.

58. Jobbing, repairing etc. for re-export.—The import of goods including second hand capital goods for the purpose of jobbing, repairing, servicing, restoration, reconditioning or renovation may be permitted without an Advance Customs Clearance Permit (Advance CCP). Patterns, drawings, jigs, tools fixtures, moulds, tackles, Computer hardware, software, instruments and hangers may also be imported if they are directly related to the export order and are supplied free of cost by the foreign buyer. The imports shall be under a bond to the satisfaction of the Customs authorities and subject to such conditions as may be specified by the Customs authorities from time to time. All goods so imported shall be re-exported. The value addition to be achieved shall be not less than 10 per cent. A request for the retention of the imported patterns, drawings, jigs, tools, fixtures, moulds, tackles, computer hardware and instruments may be made after the fulfilment of the export obligation and may be permitted by the Advance Licensing Committee subject to the payment of customs duty leviable on the date of import.

58. Eligibility.—Any merchant exporter or manufacturer exporter who holds an Importer-Exporter Code number, an RCMC and a specific export order/Letter of Credit may apply for duty free licences. The responsibility of fulfil the export obligation shall be solely on the applicant exporter.

59A. Third Party Exports.—A duty free licence holder may export directly or through a third party and discharge the export obligation. In the case of export through a third party all the documents relating to the export shall show the names of both the manufacturer and the third party, but a claim for benefits in respect of such exports shall be made by the third party alone.

60. Value Addition.—Valve addition norms, as specified in the Standard input-output norms referred to in paragraph 51 shall apply to the value based duty free licences. Quantity based licences and products not listed in the standard input-output norms shall have a minimum value addition of 33 per cent. The ALC may, however, consider requests for grant of quantity based Advance Licences on a lower value addition on technical grounds upto 25 per cent and in exceptional cases even below 25 per cent.

61. Exports not covered by free convertible currency.—Exports for which payments are not received in freely convertible currency shall be subject to value addition as specified in Appendix XIII of Handbook of Procedures (Vol. 1). However, the Director General of Foreign Trade may permit a lower value addition, which shall be not less than 75 per cent, in respect of such class or category of goods as may be specified by him in this behalf.

62. Licences under Export Production Programme.—Exporters may apply for duty free licences against specific export orders. Exporters may also apply for duty free licences, except Special Imprest Licences, without an export order. They may be granted the licence subject to the following conditions :—

(a) For an exporter having regular export performance, the value of the licence shall not exceed 25 per cent of the average FOB value of his exports, including deemed exports, in the preceding three licensing years.

For any other exporter, the value of the licence shall not exceed 10 per cent of his average turnover in the preceding three licensing years, provided the average turnover is not less than Rs. 5 crores;

(b) Such licences shall be quantity based only.

The above mentioned facility shall be in addition to the duty free licences granted against specific export order(s).

62A. An exporter having regular export performance may apply, in lieu of his entitlements against specific export orders, for a quantity

based Advance Licence under Production Programme for a value equivalent to 150 per cent of the average FOB value of his exports, including deemed exports, in the preceding three licensing years. An exporter applying for a licence under this paragraph shall not be eligible for a licence under paragraph 62 above.

62B. The licensing authority may also grant, on application by the exporter, further licences under Production Programme to the extent the exports have been completed.

63. Export Obligation.—The period for fulfilment of the export obligation under a duty free licence shall commence from the date of issue of the licence. The export obligation imposed shall be fulfilled within a period of 12 months except in the case of supplies made under Special Imprest Licence for projects where the export obligation must be fulfiled during the contracted duration of the execution of a project.

64. Advance Release Orders.—A holder of a duty free licence (including a transferee) has the option either to import items allowed under the licence directly or to obtain them from indigenous sources|canalising agencies|EOU|EPZ|EHTP|STP units against Advance Release Orders denominated in foreign exchange|Indian rupees. An Advance Release Order may be granted, on application, by the licensing authority which issued the duty free licence.

An Advance Release Order shall be granted against a quantity based licence and, in the case of a value based licence, in respect of sensitive and non-sensitive items for which quantities are indicated in the value based licence. The benefit of flexibility to import a sentitive item in excess of the quantity indicated, upto 20 per cent, provided in paragraph 49 shall also be admissible under an Advance Release Order.

64A. Back-to-Back Inland Letter of Credit.—The holder of a duty free licence (including a transferee) may, instead of applying for an Advance Release Order, avail of the facility of Back-to-Back Inland Letter of Credit. In such a case, the licence holder may open a letter of credit in favour of the indigenous supplier. The bank shall make an endorsement that the value of the duty free licence stands reduced by the value of the letter of credit. Such an endorsement shall be made on the Exchange Control copy and the Customs copy of the duty free licence as well as in the DEEC book. The indigenous supplier may supply the goods on the strength of the letter of credit opened in his favour. For the purpose of claiming deemed export benefits, the indigenous supplier shall produce a copy of the letter of credit (in original) together with a photocopy of the duty free licence duly endorsed by the bank concerned and the said documents shall for all purposes be deemed to be an Advance Release Order.

65. Clearance of goods from Customs.—The goods already imported|shipped|arrived in advance but not cleared from Customs may also be cleared against the duty free licence issued subsequently.

66. Exports in anticipation of licence.—Exports|supplies made from the date of receipt of an application under this scheme by the licensing authority may be accepted towards discharge of export obligation, if the application is approved, the licence shall be issued based on the input|output and value addition norms in force on the date of receipt of the application by the licensing authority in proportion to the provisional exports already made till any amendment in the norms is notified. For the remainder of the exports, the Policy|Procedures in force on the date of issue of the licence shall be applicable. The conversion of duty free shipping bills to drawback shipping bills may also be permtted by the Customs authorities in case the application is rejected or modified by the licensing authority. The exports|supplies made in anticipation of the grant of a duty free licence shall be entirely on the risk and responsibility of the exporter.

67. Transferability of Advance Licence.—A value based Advance Licence or the materials imported against it may be freely transferable after the export obligation is fulfilled and the bank guarantee|LUT redeemed.

A quantity based Advance Licence (except a Special Imprest Licence) or the materials imported against it may be freely transferable after the export obligation is fulfilled and the bank guarantee|LUT redeemed.

A duty free licence for the import of Acetic Anhydride, Ephedrine and Pseudo-ephedrine shall not be transferable and the items so imported shall not be sold or otherwise disposed of by the licence holder.

68. Deleted.

69. Prohibited items.—Prohibited items in the Negative List of Imports shall not be imported under the scheme.

69A. Compliance with Export Policy.—Exports made against licences issued under this scheme shall be subject the provisions of Chapter XI of the Policy and Chapter XI of the Handbook of Procedures (Vol. 1).

69B. Re-Imports.—Goods exported under this scheme may be reimported in the same or substantially the same form subject to such conditions as may be specified from time to time.

70. Deleted.

70A. Admissibility of Drawback.—In the case of a duty free licence the drawback shall be available in respect of any of the duty paid materials, whether imported or indigenous, used in the product exported, as per the all industy|brand rate fixed by Ministry of Finance (Directorate of Drawback). The drawback shall however be restricted to the duty paid materials as indicated in the application for the licence and endorsed as such on the DEEC.

71. Penalty.—If a holder of a duty free licence under the scheme violates any condition of the licence or fails to fulfil the export obligation, he shall be liable to action in accordance with the Act, the Rules and Orders made thereunder, this Policy and any other law for the time being in force.

72. Deleted.

73. Deleted.

74. Deleted.

75. Deleted.

76. Deleted.

77. Value Addition.—The value addition for the purposes of this Chapter shall be :—

$$VA = \frac{A-B}{B} X\ 100, \text{ where}$$

VA is Value Addition

A is the FOB value realised by the export of the product covered by the licence; and

B is the CIF value of the imported inputs covered by the licence plus any other imported materials used.

CHAPTER VIII

DIAMOND, GEM & JEWELLERY EXPORT PROMOTION SCHEMES

78. *Scheme for Gems and Jewellery.*—Exporters of Gems and Jewellery may import their inputs obtaining Replenishment Licence and Diamond|DTC Imprest Licences from the competent authorities in accordance with the procedure specified in this behalf.

79. Replenishment Licences.—The exporters of Gems and Jewellery products listed in Appendix I shall be eligible for grant of Replenishment Licences at the rate and for items mentioned in the said Appendix to import and replenish their inputs. Such licences will be transferable. The exports made in fulfilment of export obligation against Diamond|DTC Imprest Licences shall not qualify for this benefit.

79A. Diamond Credit Pass Book Scheme.— A Diamond Credit Book Scheme shall be available for some categories of exporters of cut and Polished diamonds. The Scheme shall be voluntary Exporters who are regular DTC sight holders or those having a minumum export performance of 3 years with an average export turnover of Rs. 3 crores during the preceding 3 years in cut and polished diamonds are eligible to utilise the Scheme. Such exporters may apply to the designated authority in the prescribed form for issue of a Credit Book. The designated authority may, after considering such matters as may be specified, issue a Credit Book to the applicant.

The Director General of Foreign Trade shall appoint a designated authority, being an officer of the rank not less than a Deputy Director General in each of the Customs Houses at Delhi, Bombay, Calcutta and Madras and such other Customs Houses as may be specified by him in this behalf. The designated authority shall be competent authority in respect of matters concerning the Credit Book Scheme and shall discharge his functions under the overall direction and supervision of the Commissioner of Customs.

Upon export and production of Customs attested copy of invoice and without waiting for realisation of export proceeds of cut and polished dimonds, the designated authority shall determine the entitlement for import on the basis of replenishment rates indicated in Appendix-I and make necessary credit entries in the Credit book. These credits will be transferable among the holders of similar Credit Books for the import of goods as per Appendix-I and the designated authority shall make the necessary debt|credit entries in the Credit Book. This import and export shall be made through the same port. The Credit Book shall be valid for a period of 6 months from the date of issue and on expiry of the validity of the Credit Book, any balance lying to the credit of the exporters will be allowed to be carried forward to next Credit Book.

80. Diamond and DTC Imprest Licences.—Diamond and DTC Imprest Licences may be issued, in advance, for import of rough diamonds and for export of cut and polished diamonds. These licences or the materials imported against them may be freely transferred after the export obligation has been fulfilled. These licences shall carry an export obligation fixed in the inverse ratio of 65% of replenishment i.e. if the licence is issued for a CIF value of US $65, the FOB value of export obligation shall be US $100. At the time of redemption the actual entitlement of the licences may be recalculated with reference to the replenishment rates admissible for the corresponding export products in the said Appendix. Due to such re-calculation, if the licensee's entitlement comes to more than US$65 (as in

the above mentioned example) the licensing auhority shall issue a Replenishment Licence for a value equivalent to whatever is in xcess of US $ 65 for import of rough diamonds.

81. An exporter may apply for a licence.

(a) against a valid export contract in his own name if he has less than 3 years past export performance in cut and polished diamonds; or

(b) against the best year's export performance during the preceding 3 licensing years plus 25% thereof, if he has a minimum of 3 years export performance.

82. Export Obligation.—The export obligation shall be fulfilled within five months from the date of clearance of each consignment through Customs. Exports made from the date of receipt of an application under this scheme by the licensing authority may be accepted towards discharge of export obligation.

83. DTC Imprest Licences.—A regular DTC sight holder may be allowed annual DTC Licence equal to one and one-half time the consolidated value of all the DTC sights received by him (excluding the sights cleared against a Replenishment Licence) in the preceding licensing year. Commission|brokerage charges upto one and one-half percent may be addded provided there is a corresponding increase in the export obligation. The new sight holders may also apply for licences on monthly basis on allotment of sight from DTC, London. These licences will be valid for import from DTC, London only. The export obligation shall be completed within 150 days from the date of import of the first consignment and in accordance with the endorsement for each sight made on the licence.

In case the sights allocated to a regular sight holder are not covered by the annual DTC Imprest Licence, application for another DTC Imprest Licence in the same licensing year shall be considered keeping inview the monthly rights expected in the remaining period of a licensing year.

84. Bulk Licences for Rough Diamonds.—Bulk licences for rough diamonds may be issued to M|s. Hindustan Diamond Company Ltd. (HDCL), Bombay and Minerals and Metals Trading Corporation (MMTC) Ltd., New Delhi or any other exporter whose annual average export of cut and polished diamonrs during the preceding three licensing years has been not less than Rs. 10 crores and who fulfils such other conditions as may be specified by the Director General of Foreign Trade in this behalf.

84A. Private Bonded Warehouse for Rough Diamonds.— Private bonded warehouses may be set up in EPZs|EOUs or DTA for import stock, export and sale of rough diamonds. The sale of rough diamonds to DTA units shall be against a valid licence. The owner of the warehouse may also export rough diamonds subject to a minimum value addition of 5%.

85. Deleted.

86. Schemes for Gold, Silver and Platinum Jewellery.—Exporters of gold, platinum and silver jewellery may import their essential inputs such as gold, platinum, silver, mountings, findings, rough gems, precious and semi-precious synthetic stones and unprocessed pearls etc., through import licences granted by the licensing authorities in accordance with the procedure specified in this behalf.

87. Gold|Silver|Platinum content.—The following items, if exported, would be eligible for the facilities under these schemes :

(a) Gold jewellery and articles (other than coins), whether plain or studded, containing gold of 8 carats and above;

(b) Silver jewellery and articles (excluding coins and any engineering goods) containing more than 50% silver by weight and

(c) Platinum jewellery and articles (excluding coins and any engineering goods) containing more than 50% platinum by weight.

88. General.—The value addition will be calculated with reference to the value of gold|platinum and silver content (including wastages). The minimum value addition for plain gold|platinum jewellery and articles will be 10%, studded gold|platinum jewellery and articles 15% and silver jewellery and articles 25%.

A. Manufacture and export of jewellery against gold|silver supplied by the foreign buyer through MMTC, HHEC, STC or any other public sector agency nominated by the Government of India.

In cases where the export orders are placed on MMTC|HHEC or any other agency nominated by the Government of India, by a foreign buyer, the foreign buyer may supply, in advance gold or silver, free of charge, for manufacture and ultimate export of gold and silver jewellely and articles thereof. Alloys, findings and mountings of silver and gold of 18 carats and below may also be supplied. The exports may be made by MMTC|HHEC|STC or any other nominated agency directly or through their associates. The import and export of mountings are findings shall be on net to net basis.

B. Export for display|sale at exhibitions :

Gem & Jewellery EPC, HHEC, MMTC, STC and their associates may export gold|platinum|

silver jewellery and articles for holding exhibitions abroad. Any other person (firm|company may also be allowed to export under this provision after obtaining the approval of the Gem & Jewellery EPC. The above exports shall be subject to the following conditions :—

(i) Items not sold abroad shall be re-imported within 45 days of the close of the exhibitions; and

(ii) The gold|platinum and silver content on items sold in such exhibitions shall be imported as replenishment not later than 60 days after the close of the exhibition.

An EOU|EPZ unit may also participate in exhibitions in India|abroad. No sale, however, be permitted in exhibitions held in the country. The procedure of movement of the jewellery from these units and back shall be prescribed by the customs authorities.

C. Gold|silver|platinum jewellery and articles Exports Promotion and Replenishment Scheme.

The exporter may obtain the gold|silver from SBI|MMTC|HHEC|STC in advance or as replenishment after exports. In respect of platinum jewellery and articles MMTC alone will be the nominated agency for import and supply of platinum of upto .09999 finesess for supply to jewellery exporters.

D. Advance Licence :

A quantity based Advance Licence may be granted for the duty free import of

(i) gold of fineness not less than 0.995 and mountings, stockets, frames and findings of 18 carats and below : and

(ii) silver, mountings, stockets, frames and findings against export of gold and silver jewellery and articles. The export obligation will be required to be fulfilled within 120 days from the date of import against a particular licence.

E. Exports from EPZs|EOUs.

The General provisions in Chapter IX of the Policy will be applicable to gem and jewellery EOUs and EPZ Units except that

(i) nothing includng rejects shall be permitted to be sold in the Domestic Tariff Area (DTA); and

(ii) in the event of a unit ceasing its operation, gold and other precious metals, alloys, gems and other materials available for manufacture of jewellery, shall be handed over to an agency nominated by the Ministry of Commerce at the price to be determined by the agency.

These units may import raw-materials, alloys, carat gold, coloured gold, precious metals including silver, platinum of upto 0.90 fineness, palladium, findings, mountings, sockets and frames made of gold and other precious metals. These, units may also import diamonds, coloured gems and stones, semi-precious stones, synthetic stones, pearls etc. In addition, gold of fineness not less than 0.995 may also be made available to these units through SBI or any other agency nominated by the Ministry of Commerce. The units may apply through the Development Commissioner of the EPZ|EOU or, in the case of any EOU complex the sponsoring auhority, if any, for supply of gold of fineness not less than 0.995.

An exporter shall also be required to achieve an additional value addition of 5 per cent over the value of cut and polished diamonds, precious and semi-precious stones, pearls and synthetic stones used as studdings over and above the value addition prescribed on the gold|platinum and silver content.

The minimum value addition for units exporting loose cut and polished diamonds and precious and semi-precious stones shall be calculated on the basis of the corresponding replenishment rates available to such exports from DTA.

Jewellery samples allowed to be imported may be re-exported after proper identification.

Export of rough diamonds may be allowed by the Development Commissioner of the EPZ|EOU concerned as in the case of export of rough diamonds from DTA.

Partly processed jewellery may also be exported subject to realisation of the prescribed minimum value addition.

F. Value Based Scheme :

Against exports of plain gold jewellery and without waiting for realisation of export proceeds in foreign exchange, the licensing authority may issue a transferable Replenishment Licence @ 87 per cent of the FOB value of exports for direct import of :

(i) gold of fineness not less than 0.995;

(ii) gold findings|mountings|solders upto 0.920 fineness upto 10 per cent of the value of the licence which shall, however, be within the overall value of the licence: and

(iii) rough diamonds, rough coloured gemstones and real or cultured pearls undrilled|unset for the residual value.

The licensing authority may issue a tranferable Replenishment licence @ 80 per cent of the FOB value of exports against export of studded gold

jewellery without waiting for realisation of export proceeds for the direct import of :

(i) gold of not less than 0.995 fineness, the value of which shall be determined by taking into account the quantity of pure gold (0.999 fineness) used in the gold studded jewellery exported, as certified by the Customs authorities, multiplied by the international price of pure gold (0.999 fineness) as shown in the Customs attested invoice, plus 20 per cent of the residual replenishment value of the studdings;

Note : The international price of gold shall be the price as certified by the designated branch of SBI.

(ii) gold findings|mountings|solders upto 0.920 fineness upto 10 per cent of the value of the licence and within the overall value of the licence; and

(iii) rough diamonds, rough coloured gemstones and real or cultural pearls undrilled|unset for the residual value.

For this purpose, the exporter shall submit an application for issue of the licence along with following documents :—

(i) Customs attested invoice;

(ii) Customs authenticated Shipping Bills; and

(iii) A declaration about the notional|actual FOB of exports as the case may be.

After full realisation of sale proceeds in free foreign exchange, the exporter shall apply for issue of residual transferable Replenishment Licence, if any, along with the Bank Certificate of realisation. If due, a licence for the excess entitlement shall be issued. Otherwise, the value of the licence issued shall be adjusted against the exports in question. In case the adjustment is not complete, the balance value shall be adjusted from his future entitlement.

The Replenishment Licence shall be valid for a period of 12 months from the date of its issue.

The wastage norms are not applicable in this case.

89. Other Provisions.—An exporter may pay agency commission upto 3 per cent of the FOB value of exports except in Scheme 88(F) above. Wherever agency commission is paid, the minimum value addition shall be correspondingly increased by the percentage of the agency commission.

90. Under the schemes mentioned in Paragraph 88(A) to (E) above, Gold wastages or manufacturing loss shall be admissible as specified in the Handbook of Procedures.

91. Gem Replenishment Licences may be issued under the Schemes mentioned in Paragraph 88(A) to (D) above on export of plain gold|silver jewellery in cases where an exporter achieves the minimum prescribed value addition. The value of such licence shall be determined with reference to the realisation in excess of the minimum value addition. Exporters of studded gold|silver|platinum jewellery and articles may be entitled to Gem Replenishment Licence taking into account the value of studdings used in items exported, after accounting for the value addition on gold|silver|platinum including wastages. For the purpose of licensing, the studdings will be divided into four categories, namely :

(a) dimonds,

(b) precious stones,

(c) semi-precious and synthetic stones and cubic zirconia, and

(d) pearls.

The scale of replenishment will be as contained in the Hand-Book of Procedures. These licences shall be valid for import of rough daimonds, precious stones, semi-precious and synthetic stones and pearls. Besides the licence shall also be valid for import of empty jewellery boxes upto 5 per cent of the value of the licence. These licences shall be freely transferable.

The exporter may be allowed to import cut and polished precious|semi-precious stones other than emeralds upto 10 per cent of the c.i.f. value of Gem Replenishment Licence issued against export of studded gold|silver|platinum jewellery and articles without actual user condition.

91A. Under the scheme mentioned in paragraph 88-F the licence holder may also procure gold of any fineness on outright purchase basis from SBI|MMTC|STC. Consequently, both Exchange Control and Customs copies of the relevant import licence shall be made invalid by the SBI|MMTC|STC for direct import of gold.

92. Invoice.—Under all the schemes, imports and exports shall be invoiced in freely convertible currency and export proceeds realised in freely convertible currency.

CHAPTER IX

EXPORT ORIENTED UNITS (EOUs) AND UNITS IN EXPORT PROCESSING ZONES (EPZ)

93. Eligibility.—Units undertaking to export their entire production of goods may be set up under the Export Oriented Unit (EOU) Scheme or Export Processing Zone (EPZ) Scheme. Such units may be engaged in manufacture, production

of software, agriculture, aquaculture, animal husbandry, floriculture, horticulture, pisciculture, viticulture, poultry and sericulture. Units engaged in service activities may also be considered on merits.

94. Importability of goods.—An EOU/EPZ unit may import free of duty all types of goods, including capital goods, required by it for manufacture, production or processing provided they are not prohibited items in the Negative List of Imports. However, import of Basmati paddy/brown rice shall be prohibited.

An EOU engaged in agriculture, animal husbandry, floriculture, horticulture, pisciculture, viticulture, poultry or sericulture may import free of duty only such goods as are permitted to be imported duty free under a Customs Notification issued in this behalf.

95. Second hand Capital goods.—Second-hand capital goods may also be imported in accordance with the provisions contained in Chapter V.

96. Leasing of Capital Goods.—An EOU/EPZ unit may, on the basis of a firm contract between the parties, source the capital goods from a domestic leasing company. In such a case, the EOU/EPZ unit and the domestic leasing company shall jointly file the import documents to enable import of the capital goods free of duty.

97. Value Addition and Export Obligation.—The unit shall achieve a minimum Value Addition (VA) of 20 per cent, but units engaged in the manufacture or production of items specified in Appendix II shall achieve the Value Addition (VA) norms indicated therein. Items of manufacture for export specified in the letter of permission/letter of intent alone shall be taken into account for calculation of value addition and discharge of export obligation. Notwithstanding the above, projects shall be allowed to be set up without minimum value addition stipulation in sectors such as electronic hardware.

98. Legal Undertaking.—The unit shall execute a bond/legal undertaking with the Development Commissioner concerned and in the event of failure to fulfil the obligations stipulated in the letter of approval/intent, it would be liable to penalty in terms of the bond/legal undertaking or under any other law for the time being in force.

99. Deleted.

100. Automatic Approvals.—Project applications satisfying the conditions mentioned in the appropriate Press Note of the Ministry of Industry may be given automatic approval within 10 days by the Development Commissioner of the EPZ concerned. In the case of EOUs, such approval shall be granted by the Secretariat of Industrial Approvals (SIA).

101. Other cases.—In other cases, approval may be granted by the Board(s) of Approval (BOA) set up for this purpose or Secretariat of Industrial Approvals, as the case may be.

102. DTA Sales.—The entire production of EOU/EPZ Units shall be exported subject to the following :

(a) Rejects upto 5% of such percentage as may be fixed by the Board of Approval may be sold in the Domestic Tariff Area (DTA), subject to payment of the applicable duties; and

(b) 25% of the production in value terms may be sold in the DTA, DTA sale shall be subject to fulfilment of minimum value addition. No DTA sale shall be permissible in respect of jewellery, diamonds, precious and semi-precious stones/gems, motor cars, alcoholic liquors, silver bullion and such other items as may be stipulated by Director General of Foreign Trade by a Public Notice issued in this behalf.

(c) However, an EOU/EPZ unit in agriculture, aquaculture, animal husbandry, floriculture, horticulture, pisciculture, poultry, viticulture and sericulture may, in accordance with the DTA sale guidelines notified in this behalf, sell upto 50 per cent of the production in value terms in the DTA subject to fulfilment of minimum value addition.

(d) The electronics hardware products may be sold in the DTA on the following basis :

Value addition achieved	Permissible sale in the DTA
(a) Less than 15%	Nil
(b) 15-25%	Upto 30% of the production in value terms of the electronic items, including components, manufactured in the units.
(c) More than 25%	Upto 40% fo the production in value terms of the electronic items, including components manufactured in the unit.

DTA sale facility for software items shall be 25%.

Note : In the case of units manufacturig electromies hardware and software, value additiion separately for hardware and be reckoned separately for hardware and software.

103. Export Obligation.—The following supplies shall be counted towards fulfilment of the export obligation :

(a) Supplies effected in DTA in terms of paragraph 121 of the Policy;

(b) Supplies effected in DTA against payment in foreign exchange;

(c) *Deleted*;

(d) Supplies to other EOU|EPZ units subject to the condition that such supplies undergo further processing|manufacturing before these are exported by the said EOU|EPZ units. Permission for such supplies shall be obtained from the Development Commissioner.

104. Exports through Export House|Trading House|Star Trading House|Super Star Trading House.—An EOU|EPZ unit may export goods manufactured by it through a merchant exporter|Export House|Trading House|Star Trading House|Super Star Trading House recognised under this Policy or any other EOU|EPZ unit. This permission extends only to the marketing of the goods by the merchant Exporter|Export House|Trading House|Star Trading House|Super Star Trading House or other EOU|EPZ unit. The manufacture of the goods shall be done in the EOU|EPZ unit concerned. The value addition and export obligations as well as any other obligation relating to the imports and exports shall continue to be discharged by the EOU|EPZ unit concerned.

105. The Development Commissioner may also permit :

(a) Supplies or sale, in reasonable quantities, of samples of goods produced by EOU|EPZ units for display or canvassing orders on payment of duties leviable. Such samples may also be allowed to be removed from the unit on furnishing a suitable undertaking for return of such goods.

(b) Bringing back for repair|replacemnet the goods sold in DTA but found defective. Such goods may be removed from the unit subject to the satisfaction of the Customs authorities as to the identity of the goods.

(c) Transfer of goods to DTA for repair, testing or calibration, provided that in the case of an EOU unit this permission may be granted by the Customs authorities.

106. Benefits for supplies from the DTA.—(i) Supplies from the DTA to EOU|EPZ units will be regarded as "deemed exports" and, besides being eligible for the relevant benefits under paragraph 122 of the Policy, will be eligible for the following benefits :

(a) Refund of Central Sales Tax;

(b) Exemption from payment of Central Excise Duty on capital goods, components and raw materials; and

(c) Discharge of export obligation, if any on the supplier.

(ii) EOU|EPZ units shall, on production of a suitable disclaimer from the DTA suppliers, be eligible for obtaining the benefits specified paragraph 122(b) and (c) of the Policy. For this purpose, they shall get Brand Rates fixed by the DGFT. Such supplies would, however be eligible for benefits specified in para 106(i) above.

107. Conditions.—The benefits stated under paragraph 106 shall be available provided the goods supplied are manufactured in the country.

108. Benefit for EPZ|EOU Units.—Concessional Rent : The units set up in the EPZs will be eligible for concessional rent for lease of industrial plots and standard design factory (SDF) buildings|sheds allotted for the first three years at the following rates :

For Plots : The concession will be 75 per cent for the first year, 50 per cent for the second year and 25 per cent for the third year if production had commenced in the first year or the second year. The concession will not be available for the third year if production had not commenced by the end of the second year;

For SDF buildings|sheds : The concession will be 50 per cent for the first year and 40 per cent for the second year if production had commenced in the first year. The concession will be 25 per cent for the third year if production had commenced in the first year. The concession will not be available if production had not commenced by the end of the first year;

Tax Holiday : EOUs and EPZ units will be exempted from payment of corporate income tax for a block of five years in the first eight years of operation;

FOB value of export of an EOU|EPZ unit can be clubbed with FOB value of export of its parent company in the DTA for the purpose of according Export House, Trading House, Star Trading House or Super Star Trading House status for the latter;

100 per cent Foreign Equity : Foreign equity upto 100 per cent is permissible in the case of EOUs and EPZ units.

The EOU|EPZ units which have acquired the ISO 9000 (series) or IS|ISO 9000 (series) or any other similar internationally recognised certification of quality, as may be notified by the Central

Government, shall be entitled to Special Import Licence at the rate of 2 per cent of their exports but not including deemed exports) made with the aforesaid quality certification.

109. Inter-unit transfer.—Transfer of manufactured goods may be permitted from one EOU|EPZ unit to another EOU|EPZ unit subject to the condition that the unit will periodically report such transaction to the Development Commissioner concerned.

110. Goods imported by an EOU|EPZ unit may be transferred or given on loan to another EOU|EPZ unit with the permission of the Development Commissioner.

111. Subcontracting.—The EOU|EPZ units may be permitted to sub-contract part of their production process for job work to units in the DTA on a case to case basis. Requests in this regard will be considered by the concerned Customs authorities on the basis of factors such as fixation of input and output norms, and furnishing of undertakings|bonds by the concerned units.

112. Sale of Imported Materials.—In case an EOU|EPZ unit is unable, for valid reason to utilise the imported goods, it may re-export or dispose of them in the DTA subject to clearance from Customs.

113. Imported machinery|capital goods that have become obsolete may be disposed of, subject to payment of customs duties on the depreciated value thereof.

114. Disposal of scrap.—Sale or disposal of scrap| waste|remnants arising out of production process in the DTA may be permitted on payment of applicable duties and taxes. Percentage of such scrap| waste|remnants shall be fixed by the Board and notified by a Public Notice issued in this behalf by the Director General of Foreign Trade.

115. Private bonded Warehouses.—Private bonded warehouses may be set up in EPZs for the purposes enumerated hereinafter. Such warehouses need not conform to the requirements of paragraph 97 above but shall be subject to such conditions as may be stipulated by the BOA. The provisions of paragraphs 100, 102, 103, 104, 109, 111 and 112 of this Chapter shall apply in such cases.

(I) Import stock and sale of goods

Imports may be permitted to meet the requirements of consuming EOU|EPZ units. Items importable in accordance with this Policy may also be imported and sold in the DTA subject to compliance with the Policy for such sales in the DTA and on payment of applicable duties at the time of effecting such sales.

(II). Trading, including re-export after re-packing|labelling.

Imports may be permitted for re-export in freely convertible foreign currency for activities such as re-packing and labelling.

115A. Reconditioning, repair and re-engineering.—EOU|EPZ units may be permitted to carry out reconditioning, repair and re-engineering activities for exports in freely convertible foreign currency. The provisions of paragraphs 97, 100, 102, 103, 104, 109 and 111 of this Chapter shall not, however, apply to such activities.

116. Period of Bonding.—The bonding period for units under the EOU Scheme shall be 10 years. The period may be reduced to 5 years by the BOA in case of products liable to rapid technological change. On completion of the bonding period, it shall be open to the unit to continue under the scheme or opt out of the scheme. Such debonding shall, however, be subject to the industrial policy in force at the time the option is exercised.

117. De-Bonding.—Subject to the approval of BOA, EOU|EPZ units may be debonded on their inability to achieve export obligation, value addition or other requirements. Such debonding shall be subject to such penalty as may be imposed and payment of duties of customs and excise applicable at the time of debonding.

117A. An EOU|EPZ unit may also be permitted, as anon time option, to debond on payment of duty on capital goods, under the 15 per cent duty regime of the EPCO scheme, subject to the unit undertaking the export obligation applicable under the said scheme. Such debonding shall be subject to such penalty as may be imposed and payment of duties of customs and excise on other goods applicable at the time of debonding.

118. Conversion.—Existing DTA units may aslo apply for conversion into an EOU but no concession in duties and taxes would be available under the scheme for plant, machinery and equipment already installed. Existing DTA units having an export obligation under the EPCG scheme may also apply for conversion into an EOU. On such a conversion, the export obligation under the EPCG scheme will be met concurrently from the exports by the unit as an EOU.

119. Value addition.—Value Addition for the purposes of this chapter shall be expressed as a percentage and shall be calculated for a period of five years from the commencement of commercial production according to the following formula :

$$VA = \frac{A-B}{A} X\ 100, \text{ where}$$

VA is Value addition

A. is the FOB value of exports realised by the EOU|EPZ unit; and

B. is the sum total of the CIF value of all imported inputs, the CIF value of all imported capital goods, and the value of all payments made in foreign exchange by way of commission, royalty, fees, dividends interest on external borrowing during the first five years period or any other charges. "Inputs" mean raw materials, intermediates, components, consumables, parts and packing materials.

NOTE :

1. If any input is obtained from another EOU|EPZ unit, the value of such input shall be included under B.

2. If any capital goods imported duty free is leased from a domestic leasing company, the CIF value of the capital goods shall be included under B.

3. In the case of projects where the investment in land, building, plant and machinery exceeds Rs. 200 crores, the value of the capital goods shall be amortised over a period of seven years, i.e. in such cases, only 5|7th of the CIF value of the imported capital goods shall be included under B.

CHAPTER X

DEEMED EXPORTS

120. Definition "Deemed Exports" means those transactions in which the goods supplied do not leave the country and the payment for the goods is received by the supplier in India.

121. Categories of supply.—The following categories of supply of goods by the main|sub-contractors shall be regarded as "Deemed Exports" under this Policy, provided the goods are manufactured in India :

(a) Supply of goods against licences issued under the Duty Exemption Scheme;

(b) Deleted.

(c) Supply of goods to units located in Export Processing Zones (EPZs), or Software Technology Parks (STPs) or to Export Oriented Units (EOUs) or Electronic Hardware Technology Parks (EHTPs);

(d) Supply of capital goods to holders of licences under the Expor Promotion Capital Goods (EPCG) scheme, subject to the condition that such supplies will be eligible for benefits only under paragraph 122(c) and (d).

(e) Supply of goods to projects financed by multilateral or bilateral agencies|Funds as notified by the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance under international competitive bidding or under limited tender system in accordance with the procedures of those agencies|Funds, where the legal agreements provide for tender evaluation without including the customs duty ;

(f) Supply of capital goods to fertiliser plants if the supply is made under the procedure of international competitive bidding ;

(g) Deleted.

(h) Supply of goods to any project or purpose in respect of which the Ministry of Finance, by a notification, permits the import of such goods at zero customs duty coupled with the extension of benefits under the Chapter to domestic supplies.

(i) Supply of goods to such projects in the Power, Oil and Gas sectors in respect of which the Ministry of Finance, by a notification, extends the benefits under this Chapter to domestic supplies.

122. Benefits for deemed exports.—Deemed exports shall be eligible for the following benefits in respect of manufacture and supply of goods qualifying as deemed exports :

(a) Duty Exemption Scheme as per paragraph 56;

(b) Deemed Exports Drawback Scheme;

(c) Refund of terminal excise duty; and

(d) Special Import Licence at the rate of 6 per cent of the FOR value (excluding all taxes and levels) of supplies made with effect from 1st April, 1995.

CHAPTER XI

EXPORTS

123. Free Exports.—All goods may be exported without any restriction except to the extent such exports are regulated by the Negative List of Exports or any other provision of this Policy or any other law for the time being in force.

The Director General of Foreign Trade may, however, specify through at Public Notice the terms and conditions according to which any goods not included in the Negative List of Exports may be exported without a licence. Such terms and conditions may include Minimum Export Price (MEP), registration with specified authorities, quantitative ceilings and compliance with other laws, rules regulations.

124. Registration Cum Membership Certificate (RCMC).—Any person applying for (i) a licence to export or (ii) any other benefit or (iii) concession under this Policy shall be required to furnish his Registration cum Membership Certificate (RCMC) number granted to him by authorities issuing RCMC as indicated in Chapter XIII paragraph 219 of the Handbook of Procedures (Vol. 1).

125. Deleted.

126. Denomination of Contracts and Realisation of Export Proceeds.—All export contracts and invoices shall be denominated in freely convertible currency and export proceeds shall be realised in freely convertible currency.

Contracts for which payments are received through the Asian Clearing Union (ACU) shall be denominated in ACU Dollar.

The Central Government may relax the provisions of this paragraph in appropriate cases.

If an exporter fails to realise the export proceeds within the time specified by the Reserve Bank of India, he shall, without prejudice to any liability or penalty under any law for the time being in force, be liable to action in accordance with the provisions of the Act, the Rules and Orders made thereunder and the provisions of this Policy.

127. Deleted.

128. Re-exports.—Goods imported in accordance with this Policy may be re-exported in the same or substantially the same form, without a licence provided that the item to be exported is not in the Negative List of Imports or Negative List of Exports. Re-exports of goods imported against payment in convertible currency would be permitted against payment in convertible currency. However, if such goods are re-exported against non convertible rupee payments, the re-exports shall be subject to a minimum value addition of 100%, provided the item to be exported is not in the Negative List of Imports or Exports.

128A. Good including those appearing in the Negative List of Imports or Negative List of Exports (except prohibited items in either list) may be imported for re-export without a licence subject to the following conditions :

(a) There is a minimum value addition of 10% ;

(b) The goods shall be impored under Customs bond ;

(c) Import and re-export shall be made from the same Customs bonded premises ; and

(d) Goods under this paragraph shall not be taken outside the Customs bonded premises.

129. Export of Personal Baggage.—Bonafide personal baggage may be exported either along with the passenger or, if unaccompanied, within one year before or after the passenger's departure from India. Items included in the Negative List of Exports shall require a licence, except in the case of edible items.

130. Deleted.

131. Export of Gifts.—Goods including edible items of value not exceeding Rs. 15,000 in a licensing year may be exported as a gift. Items in the Negaive List of Exports shall not be exported as a gift, without a licence, except in the case of edible items.

132. Export of Spares.—Warranty spares, indigenous or imported, of plant, equipment, machinery, automobiles or any other goods may be exported upto 5% of the FOB value of the exports of such goods alongwith the main equipment or subsequently. Export of spares exceeding 5% of the FOB value may be permitted against a licence.

132A. Export of Replacement/Repaired Goods.—Goods or parts thereof on being exported and found defective/damaged or otherwise unfit for use may be replaced free of charge by the exporter and such goods shall be allowed clearance by the Customs Authorities provided that :

(a) The replacement goods are not in the Negative List of Exports :

(b) The replacement shall be approximately equal in quantity and value to the extent of the goods found defective/damaged or otherwise unfit for use; and

(c) The shipment of replacement goods is effected within 12 months from the date of clearance of the previously exported goods or within the guarantee period in the case of machines or parts thereof where such period is more than 12 months.

Case not covered by the above provisions will be considered on merits by the Director General of Foreign Trade

132B. Special Import Licence Benefits.—Exporters of telecommunication equipment and electronic goods and services, shall be eligible for the benefit of Special Import Licence at the following rates and in accordance with the conditions specified in a Public Notice issued in this behalf.

(a) Exporters in the DTA (except licence holders under the Duty Exemption Scheme)	30% of NFE
(b) Licence holders under the Duty Exemption Scheme	15% of NFE
(c) EOUs, EHTPs and units in the EPZs and STPs	15% of NFE

The provisions of paragraph 138 of this Policy shall apply for the calculation of NFE.

133. Transit Facility.—Transit of goods through India from or to countries adjacent to India shall be regulated in accordance with the treaty between India and those countries.

134. Deleted.

CHAPTER XII

EXPORT HOUSES, TRADING HOUSES, STAR TRADING HOUSES AND SUPER STAR TRADING HOUSES

135. Definiton.—Merchant and manufacturer exporters and trading companies including those having foreign equity, Export Oriented Units (EOUs) and units located in Export Processing Zones (EPZs)/Electronic Hardware Technology Parks (EHTPs)/Software Technology Parks (STPs) have been recognised as Export Houses, Trading Houses, Star Trading Houses or Super Star Trading Houses under criteria which were laid down from time to time. All such Export Houses, Trading Houses, Star Trading Houses and Super Star Trading Houses shall continue to enjoy the status accorded to them for the period for which such status was accorded.

136. Criterion for renewal.—However, when an Export House, Trading House, Star Trading House or Super Star Trading House applies afresh at the expiry of the aforesaid period for recognition as Export House, Trading House, Star Trading House or Super Star Trading House, as the case may be, it shall satisfy the criterion laid down hereinafter for grant of such recognition.

137. Criterion for recognition.—The criterion for recognition as Export House, Trading House, Star Trading House or Super Star Trading House shall be either on the basis of the FOB value or Net Foreign Exchange (NFE) earned on export of goods and services, including software exports, made directly by the exporter during the last three licensing years or the preceding licensing year, whichever is opted for by the exporter, as given below. The NFE criterion shall not be available to Merchant Exporters. In the case of a Pass Book holder, exports made under the Pass Book Scheme shall be counted only if the exporter applies for recognition on the basis of FOB value. Deemed exports, however, shall not qualify for the purposes of recognition.

Category	FOB Criterion		NFE Criterion	
	Average FOB value of eligible exports made during the preceding three licensing years, in Rupees	FOB value of eligible export made during the preceding licensing year, in Rupees	Average net foreign exchange earned relating to eligible exports during the preceding three licensing years, in Rupees	Net foreign exchange earned relating to eligible exports during the preceding licensing year, in Rupees
Export Houses	10 crores	15 crores	6 crores	12 crores
Trading Houses	50 crores	75 crores	30 crores	60 crores
Star Trading Houses	250 crores	300 crores	125 crores	150 crores
Super Star Trading Houses	750 crores	1000 crores	400 crores	600 crores

137A. Deleted.

138. If the eligibility is claimed on FOB basis, the export of the products covered under Chapter VIII of the Policy shall be counted at 50% of the actual FOB value of exports.

If the eligibility is claimed in terms of NFE, for the purpose of calculation of the Net Foreign Exchange, the CIF values of the following shall be deducted from the eligible exports made by the exporter during the relevant period :

(a) all imports used in the relevant export products (other than capital goods) ;

(aa) in the case of exports under Diamond Credit Book Scheme, the import entitlements in the credit books; and

(b) all transferable licence(s) issued under Chapter VII and VIII of the Policy except the licences surrendered within the period of their validity.

139. Double weightage.—Double weightage shall be given on NFE or FOB earned by the export of products manufactured by Small Scale Industries (SSI).

Double weightage shall be given on FOB earned by the export of sports goods.

Double weightage shall be given on NFE or FOB earned by the export of products to the countries as may be notified from time to time.

139A. Weightage for Handlooms, Handicrafts. Products manufactured by the handlooms and handicrafts sector (including handloom made silk products), handknitted carpets, carpets made of silk, shall be given

(a) Double weightage on FOB earned by the export of such products, or

(b) Triple weightage on NFE earned by the export of such products.

139B. Export against non convertible rupees.—The benefit of double/triple weightage under Paragraphs 139 and 139A shall not be available in the case of exports against payment in non-convertible Indian rupees.

140. Subsidiary Company.—FOB value of exports made by a subsidiary company of the exporter or NFE earned by a subsidiary company of the exporter, whether in Domestic Tariff Area or situated in Export Processing Zone or as an Export Oriented Unit/Electronic Hardware Technology Park (EHTP)/Software Technology Park (STP), shall be counted towards export performance of the parent company for the purpose of eligibility.

140A. Deleted.

140B. Deleted.

141. Validity period.—An Export House/Trading House/Star Trading House/Super Star Trading House Certificate shall be valid for a period of three years starting from 1st April of the licensing year during which the application is made for the grant of recognition, unless otherwise specified. On the expiry of the previous certificate, the said Houses will be allowed a period of six months to apply for and obtain a fresh certificate. During the said period, the said Houses shall be eligible to claim the usual facilities and benefits, except the benefit of a Special Import Licence (SIL).

142. Benefits.—Export Houses/Trading Houses/Star Trading Houses/Super Star Trading Houses shall be entitled to benefits as specified in Chapter XII of the Handbook of Procedures (Vol. 1).

CHAPTER XIII

EXPORT PROMOTION COUNCILS

143. EPCs.—(a) At present there are 19 Export Promotion Councils (EPCs) whose basic objective is to promote and develop the exports of the country. Each Council is responsible for the promotion of a particular group of products, projects and services. The EPCs are listed below :

(i) Apparel Export Promotion Council (AEPC), New Delhi.

(ii) Basic Chemicals, Pharmaceuticals and Cosmetics Export Promotion Council (CHEMEXCIL), Bombay.

(iii) Cashew Export Promotion Council, Kochi.

(iv) Carpet Export Promotion Council, New Delhi.

(v) Chemicals and Allied Products Export Promotion Council (CAPEXCIL), Calcutta.

(vi) Cotton Textiles Export Promotion Council (TEXPROCIL), Bombay.

(vii) Electronics and Computer Software Export Promotion Council, New Delhi.

(viii) Engineering Export Promotion Council (EEPC), Calcutta.

(ix) Gems & Jewellery Export Promotion Council (GJEPC), Bombay.

(x) Export Promotion Council for Handicrafts, New Delhi.

(xi) Handloom Export Promotion Council (HEPC), Madras.

(xii) Indian Silk Export Promotion Council, Bombay.

(xiii) Council for Leather Exports (CLE), Madras.

(xiv) Overseas Construction Council of India (OCCI), Bombay.

(xv) Plastics & Linoleums Export Promotion Council (PLEXCIL), Bombay.

(xvi) Shellac Export Promotion Council Calcutta.

(xvii) Sports Goods Export Promotion Council (SGEPC), New Delhi.

(xviii) Synthetic and Rayon Textiles Export Promotion Council, Bombay.

(xix) Wool & Woollens Export Promotion Council, New Delhi.

(xx) The Powerloom Development and Export Promotion Council (PDEXCIL).

(b) The following Agencies/Boards shall be regarded as Export Promotion Councils and, in so far as may be relevant, the provisions of this Chapter shall apply :—

(i) Agricultural & Processed Food Export Development Authority (APEDA).

(ii) Coffee Board.

(iii) Coir Board.

(iv) Federation of Indian Export Organisation (FIEO).

(v) Marine Products Export Development Authority (MPEDA).

(vi) Rubber Board.

(vii) Spices Board.

(viii) Tea Board.

(ix) Tobacco Board.

144. Non-profit organisations.—The EPCs are non-profit organisations registered under the Companies Act or the Societies Registration Act, as the case may be. They are supported by financial assistance from the Central Government.

145. Role.—The main role of the EPCs is to project India's image abroad as a reliable supplier of high quality goods and services. In particular, the EPCs shall encourage and monitor the observance of international standards and specifications by exporters. The EPCs shall keep abreast of the trends and opportunities in international markets for goods and services and assist their members in taking advantage of such opportunities in order to expand and diversify exports.

146. Functions.—The major functions of the EPCs are as follows :

(a) To provide commercially useful information and assistance to their members in developing and increasing their exports;

(b) To offer professional advice to their members in areas such as technology upgradation, quality and design improvement, standards and specifications, product development, innovation, etc.;

(c) To organise visits of delegations of its members abroad to explore overseas market opportunities;

(d) To organise participation in trade fairs, exhibitions and buyer seller meets in India and abroad;

(e) To promote interaction between the exporting community and the Government both at the Central and State levels; and

(f) To build a statistical base and provide data on the exports and imports of the country, exports and imports of their members, as well as other relevant international trade data.

147. Membership.—Any exporter may apply to become a member of an EPC and such application shall be considered and disposed of expeditiously in accordance with the rules and regulations of the EPC. On being admitted to membership, the applicant shall be granted forthwith a Registration-cum-Membership Certificate (RCMC).

148. Professional bodies.—In order to play their part in the promotion of exports, it is important that the EPCs function as professional bodies. For this purpose, executives with a professional background and experience in industry, commerce and international marketing should be brought into the EPCs.

149. Autonomy.—The EPCs would be autonomous and shall regulate their own affairs. They would not be required to obtain the approval of the Central Government for sending sales teams or delegations abroad for participation in fairs/exhibitions etc. The Central Government would only approve the annual plans and budget of the EPCs and monitor and evaluate their performance. The Ministry of Commerce/Ministry of Textile would interact with the Managing Committee of the Council concerned, twice a year, once for approving the annual plan and budget and again for a mid-year review.

150. Conditions for support.—The support given to the EPCs by the Government, monetary or otherwise, would depend upon :

(a) effective discharge of functions assigned to them;

(b) democratisation of the membership of the EPCs;

(c) democratic elections of office bearers of the EPCs being held regularly; and

(d) timely audit of the accounts of the EPCs.

CHAPTER XIV

QUALITY

151. Quality awareness campaign.—It is the policy of the Central Government to encourage the manufacturers and exporters to attain internationally accepted standards of quality for their products. The Central Government will extend support and assistance to trade and industry associations to launch a nationwide programme on quality awareness and to promote the concept of total quality management.

152. State-level programmes.—The Central Government will encourage and assist State Governments in launching a similar programme in their respective States, particularly for the small scale and handicraft sectors.

153. Rewards and benefits.—The Central Government may reward manufacturers/processors who have acquired the ISO 9000 (series) or IS/ISO 9000 (series) or any other similar internationally recognised certification of quality as may be notified by the Central Government for this purpose. Such manufacturers will be eligible for benefits as indicated in Chapter XIV of the Handbook of Procedures (Vol. 1).

154. Test houses.—The Central Government will assist in the modernisation and upgradation of test houses and laboratories in order to bring them at par with international standards so that certification by such test houses and laboratories is recognised within the country and abroad.

154A. Monitoring of Complaints from foreign buyers.—If it comes to the notice of the Director General of Foreign Trade or he has reason to believe that an export or import has been made in a manner gravely prejudicial (i) to the trade relations of India with any foreign country; or (ii) to the interest of other persons engaged in exports or imports; or (iii) has brought disrepute to the credit or the goods of the country, the Director General Foreign Trade may take action against the exporter or importer concerned in accordance with the provisions of the Act, the Rules and Orders made thereunder and this Policy.

CHAPTER XIV-A

TRADE AND INDIAN VENTURES ABROAD

154B. Objectives.—Visualising economic relationships well beyond the realm of physical exports and recognising the close relationship between international trade and flow of investment, it is imperative to establish a more dynamic policy framework for making India an emerging and active partner in the global trade and services. Some of the important schemes for attaining the above objectives are as under;

154C. Counter Trade.—Consistent with the policy of removal of quantitative restrictions on imports and exports, the counter trade operations will be generally operative on a voluntary basis and through banking mechanisms. All enterprises including public enterprises may enter into counter trade arrangements with the approval of RBI and may import and export in accordance with this Policy.

154D. Merchanting or Third country Trade.—An Indian trader may carry on merchanting trade or Third Country trade by buying in one country and selling in another country. In such transactions it is not necessary to physically import the goods into India and then re-export the same. RBI is the authority to grant general permission to Export Houses/Trading Houses/Star Trading Houses/Super Star Trading Houses to make advance payments for this purpose.

154E. Indian Joint Ventures Abroad.—The policy in regard to Indian Joint Ventures abroad is meant to enable Indian business to gain easy access to global networks while, at the same time, avoiding large capital outflows. Joint Ventures and Wholly Owned Subsidiaries will be permitted for trading and services also. Flexibility will be provided to the Indian Investor to choose a combination of equity and loans. There will be a single window clearance by RBI through an automatic route in most cases and through special procedures in regard to others involving sizeable investments.

154F. Project Exports.—Project export proposals which conform to the guidelines laid down in this behalf and involving a value upto Rs. 100 crores may be cleared by the Exim Bank and upto Rs. 25 crores by authorised dealers. All other proposals require clearance from the working group with the Exim Bank as the nodal point and representatives from RBI and ECGC as members.

Chapter XV

NEGATIVE LIST OF IMPORTS

PART I

155. PROHIBITED ITEMS

Sl. No.	Description of items	Nature of restriction
1.	Tallow, Fat and/or Oils, rendered, unrendered or otherwise, of any animal origin including the following: (i) Lard stearine, oleo, stearine, tallow stearine, lard oil, oleo oil and tallow oil not emulsified or mixed or prepared in any way; (ii) Neat's-foot oil and fats from bone or waste; (iii) Poultry fats, rendered or solvent extracted; (iv) Fats and oils of fish/marine origin, whether or not refined, excluding cod liver oil, squid liver oil or a mixture thereof and Fish Lipid Oil containing Eicospentaenoic acid and De-cosahexaenoic acid; and (v) Margarine, imitation lard and other prepared edible fats of animal origin.	Not permitted to be imported.
2.	Animal rennet.	-do-
3.	Wild Animals including their parts and products and Ivory.	-do-

PART II

156. RESTRICTED ITEMS

A. CONSUMER GOODS

Sl.No.	Description of items	Nature of restriction
1.	All consumer goods, howsoever described, of industrial, agricultural, mineral or animal origin, whether in SKD/CKD condition or ready to assemble sets or in finished form.	Not permitted to be imported except against a licence or in accordance with a Public Notice issued in this behalf.

For the removal of doubts, it is hereby declared that consumer goods shall also include the following and shall not be imported except against a licence or in accordance with a Public Notice:

(i) Consumer electronic goods, equipments and systems, howsoever described.

(ii) Consumer telecommunication equipments namely telephone instruments and electronic PABX.

(iii) Watches in SKD/CKD or assembled condition: Watch cases; watch dials.

(iv) Cotton, woollen, silk, manmade and blended fabrics including cotton terry towel fabrics.

S.No.	Description of items	Nature of restriction
	(v) Concentrates of alcoholic beverages. (vi) Wines (tonic or medicated). (vii) Saffron. (viii) Cloves, cinnamon and cassia.	Import will be allowed against a licence subject to export obligation.

Notwithstanding any thing contained above, the import policy in respect of goods, including consumer goods shall be as stated in columns 3 to 5 of the book titled "ITC (HS) Classification of Export and Import items" published and notified by the Director General of Foreign Trade in this behalf and as amended from time to time. Goods in respect of which the policy is that they may be imported against a freely transferable Special Import Licence (SIL) shall be imported only against such licences and not otherwise, unless their import is permitted under any other scheme or licence or permission as provided in this Policy.

Sl.No.	Description of items	Nature of restriction
	B. PRECIOUS, SEMI-PRECIOUS AND OTHER STONES	
1.	Cubic Zirconia.	Import permitted for export against a licence or in accordance with a Public Notice issued in this behalf.
2.	Stones: (a) Rough diamonds; (b) Synthetic stones finished or unworked (other than synthetic ruby unworked); and (c) Emerald/rubies and saphires, semi-precious and precious stones and pearls (real or cultured).	-do-
3.	Granite, porphyry, basalt, sand stone and other monumental or building stone, whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs.	-do-
4.	Marble, travertine, ecaussine and other calcaeous monumental or building stone of an apparent specific gravity of 2.5 or more, whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs.	-do-
5.	Onyx.	-do-

C. SAFETY, SECURITY AND RELATED ITEMS

Sl. No.	Description of items	Nature of restriction
1.	Paper for security printing, currency paper, stamp paper and other special types of paper.	Not permitted to be imported except against a licence or in accordance with a Public Notice issued in this behalf.
2.	Empty/discharged cartridges of all bores/sizes.	-do-
3.	Fire arms.	Not permitted to be imported except against a licence by renowned shooters/Rifle Clubs for their own use on the recommendation of the Department of Youth Affairs and Sports, Government of India.
4.	Ammunition.	Import permitted against a licence by

Sl. No.	Description of items	Nature of restriction
		(i) Renowned shooters/Rifle Clubs for their own u on the recommendation of the Department of Youth Affairs and Sports, Government of India; and (ii) Licensed arms dealers for the specified type of ammunition subject to such conditions as may be specified.
5.	Explosives.	Government Departments and Public Sector Undertakings, on the recommendation of the Controller of Explosives, Government of India, may be perm ted to import.
6.	Chloro Fluoro Hydro Carbons (Freon Gases).	Not permitted to be imported except against a licence or in accordance with a Public Notice issued in this behalf.
7A.	Group I (i) $CFCl_3$—(CFC-11)—Trichlorofluoromethane. (ii) CF_2Cl_2—(CFC-12)—Dichlorodifluoromethane. (iii) $C_2F_3Cl_3$—(CEFC-113)—1, 1, 2 trichloro 1,2, trifluoroethane. (iv) $C_2F_4Cl_2$—(CFC 114)—1,2 Dichlorotetrafluoroethane. (v) C_2F_5Cl—(CFC 115)—Chloro pentafluoroethane. Group II (vi) CF_2BrCl—(halon 1211)—Bromochlorodifluoro methan (vii) CF_3Br—(halon-1301)—Bromotrifluoromethane. (viii) $C_2F_4Br_2$—(halon-2402)—Dibromotetrafluoroethane.	Import is permitted by actual users against a licence from a country which is a party to the "Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer". List of the countries which are parties to the Montreal Protocol will be notified by Director General of Foreign Trade from time to time. However, import from countries which are no parties to the Montreal Protocol is prohibited.
7B.	Group I (i) CF_3Cl (CFC-13) Chlorotrifluoromethane (ii) C_2FCl_5(CFC-111) Pentachloro fluoroethane (iii) $C_2F_2Cl_4$(CFC-112) Tetrachlorodifluoroethane (iv) C_3FCl_7(CFC-211) Heptachlorcdifluoropropane (v) $C_3F_2Cl_6$(CFC-212) Hexchlorcdifluoropropane (vi) $C_3F_3Cl_5$ (CFC-213) Pentachlorotrifluoropropane (vii) $C_3F_4Cl_4$ (CFC-214) Tetrachlorotetrafluoropropane (viii) $C_3F_5Cl_3$ (CFC-215) Trichloropentafluoropropane (ix) $C_3F_6Cl_2$ (CFC-216) Dichlorohexafluoropropane (x) C_3F_7Cl (CFC-217) Chloroheptafluoropropane Group II (xi) CCl_4 carbon tetrachloride Group III (xii) CH_3CCl_3* 1,1,1-trichloroethane (methyl chloroform) *This formula does not refer to 1,1,2-trichloroethane.	

Sl. No.	Description of items	Nature of restriction
8.	(i) Communication jamming equipment, static/ mobile/manportable. (ii) Electronic components for (i) above, including Antennae, RF Power amplifiers, noise generators.	The Departments of Central Government may be permitted to import against licence. However, import by any other category of importers is prohibitted.
9.	Acetic Anhydride.	Not permitted to be imported except against a licence or in accorance with a Public Notice issued in this behalf.

D. SEEDS PLANT AND ANIMALS

1.	[Animals, Birds and Reptiles (including their parts and products).	Import permitted against a licence to Zoos and Zoological parks, recognised scientific/research institutions, circus companies, private indiviuals, on the recommendation of the Chief Wild Life Warden of a State Government subject to the provisions of the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES).
2.	Stallions and Broodmares.	Import permitted against a licence on the recommendation of the Director, Animal Husbandry and Veterinary Services of a State Government or Department of Animal Husbandry and Dairying, Ministry of Agriculture, Government of India.
3.	Livestock (excluding equine), Pureline stocks, birds eggs, frozen semen/embryo, Parent stock (poultry) and Commercial chicks.	Import permitted against a licence on the recommendation of the Department of Agriculture and Cooperation, Government of India.
4.	Plants, fruits and seeds.	(a) Import of seeds of wheat, paddy, coarse cereals, pulses, oilseeds and fodder for sowing is permitted without licence subject to fulfilment of the provisions of the New Policy on Seed Development, 1988 and in accordance with a permit or import granted under the Plants, Fruits and Seeds (Regulation of Import into India) Order, 1989. (b) Import of seeds of vegetables, flowers, fruits and plants, tubers and bulbs of flowers, cutting, sapling, budwood, etc., of flowers and fruits for sowing or planting is permitted without a licence in accordance with a permit forimport granted under the Plants, Fruits and Seeds (Regulation of Import into India) Order, 1989. However, import of Poppy seeds if permitted shall be subject to the condition that importer shall produce a certificate from the competent authority of the country of origin that opium poppy has been grown licitly/legally in that country as per requirement of the International Narcotics Control Bureau.

Sl. No.	Description of items	Nature of restriction
		(c) Import of seeds, fruits and plants for consumption or other purposes is permitted against a licence or in accordance with a Public Notice in this behalf However, import of poppy seeds, if permitted, shall be subject to the condition that importer shall produce a certificate from the competent authority of the country of origin that opium poppy has been grown licitly/legally in that country as per requirements of the International Narcotics Control Bureau.
		(d) Import of Plants, their products and derivatives shall also be subject to the provisions of the Conventions on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES).
	E. INSECTICIDES AND PESTICIDES	
1.	Any pesticide, insecticide, weedicide, herbicide, rodenticide miticide, which has not been registered or which is prohibited for import under the Insecticides Act, 1969 and formulations thereof.	Not permitte to be imported.
2.	DDT-Technical 75 Wdp.	Import permitted against a licence or in accordance with a Public Notice issued in this behalf.
	F. ELECTRONIC ITEMS	
	Deleted.	
	G. DRUGS & PHARMACEUTICALS	
1.	All types of Penicillin	Imports permitted against a licence or in accordanc with a Public Notice issued in this behalf.
2.	6 APA	do-
3.	Tetracycline/Oxytetracycline anc their salts	-do-
4.	Streptomycin	-do-
5.	Rifampicin	-do-
6.	Intermediates of Rifampicin, namely (i) 3 Formly Rifa S.V.; (ii) Rifa S/Rifa S Sodium; and (iii) 1-Amino-4 Methyl Piperazine	-do-
7.	Vitamin B. 1, Vitamin B.2 and their salts.	-do-
8.	Deleted.	
	H. CHEMICALS AND ALLIED ITEMS	
1.	Allyl Isothiocyanate.	Import permitted against a licence or in accordance with a Public Notice issued in this behalf.
2.	Capacitor fluids- PCB type.	-do-
3.	Poly Brominated Biphenyls.	Not permitted to be imported except against a licence on the recommendation of the Department of Chemicals & Petrochemicals.
4.	Poly Chlorinated Biphenyls.	-do-

Sl.No.	Description of items	Nature of restriction
5.	Poly Chlorinated Terphenyls.	-do-
6.	Tris (2,3 Di Bromopropyl) Phosphate.	-do-
7.	Crocidolite.	-do-
8.	Hazardous Wastes.	Import permitted against a licence and only for the purpose of processing or reuse.
9.	Hazardous chemicals.	Import permitted without a licence in accordance with the provisions of the Manufacture, Storage and Import of Hazardous Chemicals Rules, 1986 [made under the Environment (Protection) Act, 1986]. Besides other conditions mentioned in the Rules, the importer shall, before 30 days but not later than the date of import, furnish the details specified in Rule 18 to the authority specified in Schedule 5 of the said Rules.

I. ITEMS RELATING TO THE SMALL SCALE SECTOR

1.	Copper oxychloride.	Import permitted against a licence or in accordance with a Public Notice issued in this behalf.
2.	Dimethyl Sulphate.	-do-
3.	DNPT (Dinitroso Pentamethylene tetramine).	-do-
4.	Flavouring essences all types (including those for liquors).	-do-
5.	Niacin/Nicotinic Acid/Niacinamide/Nicotinamide/ Acidamide.	-do-
6.	Mixtures of odoriferous substances/mixtures of resinoids.	-do-
7.	Phthalate Plasticisers.	-do-
8.	Perfumery compounds/synthetic essential oils.	-do-
9.	Lead and rule cutters.	-do-
10.	Deleted.	
11.	Paper cutting knives of all sizes.	-do-
12.	Paper cutting machines, excluding machines with devices such as automatic programme cutting or three knife trimmers.	-do-
13.	Deleted.	
14.	Deleted.	
15.	Domestic water meters.	-do-
16.	Deleted.	

J. MISCELLANEOUS ITEMS

1.	Aircraft and helicopters.	Not permitted to be imported except against a licence or in accordance with a Public Notice issued in this behalf.
2.	Ships, trawlers, boats and other water transport crafts.	-do-

Sl.No.	Description of items	Nature of restriction
3.	Commercial and Passenger automobile vehicles, including two wheelers, three wheelers and personal type vehicles.	-do-
4.	Deleted.	
5.	Coir (fibre/yarn/fabrics).	-do-
6.	Deleted	
7.	Deleted.	
8.	Raw silk/Silk Cocoons.	Permitted to be imported against a licence or in accordance with a Public Notice issued in this behalf.
9.	Deleted.	
10.	Natural Rubber.	-do-
11.	Deleted.	
12.	Deleted.	
13.	Radio active material.	Permitted to be imported on the recommendation of Department of Atomic Energy.
14.	Rare earth oxides including rutile sand.	-do-
15.	Cinematograph feature films and video films.	Import will be permitted by (a) National Film Archives of India, Film and Television Institute of India and Children's Film Society of India; (b) by others subject to such conditions as may be specified in this behalf.
16.	Crude Palm Stearin.	Permitted to be imported against a licence or in accordance with a Public Notice issued in this behalf.
17.	Feed grade maize fit only for use as poultry or animal feed.	Import will be permitted without actual user condition by any person subject to registration of the import contract/Letter of Credit with NAFED.
18.	Naphtha.	Import permitted without a licence subject to the condition that the importer shall sell the return stream of naphtha to crude oil refineries only. The sale will be on commercial terms as may be settled between the importer and the refinery. However, the importer may use the return stream as an industrial feed stock for his own captive consumption, but the balance left, if any, shall be sold to crude oil refineries only.
19.	Deleted.	
20.	Deleted.	
21.	Batteries and tyres of passenger automobile vehicles including two wheelers, three wheelers and personal type vehicles.	Not permitted to be imported except against a licence or in accordance with a Public Notice issued in this behalf.

K. SPECIAL CATEGORIES

1.	Restricted items required by hotels, restaurants, travel agents and tour operators.	Import permitted against a licence on the recommendation of the Director General of Tourism, Government of India or in accordance with a Public Notice issued in this behalf.
2.	Restricted items required by recreational bodies.	Import permitted against a licence for meeting essential import requirements. Items qualifying for import and conditions of such imports shall be as specified.

PART III

157. CANALISED ITEMS

Sl.No.	Description of items	Canalising Agency
1.	Petroleum products, namely, (a) Aviation Turbine fuel: (b) Crude Oil; (c) Motor Spirit; (d) Bitumen (asphalt)-Paving-Grade; (e) Furnance Oil (except Low Sulphur Heavy Stock/ Low Sulphur Waxy Residue); and (f) High Speed Diesel.	Indian Oil Corporation Ltimited
2.	All types of nitrogenous, phosphatic and potassic fertilisers except Di-Ammonium Phosphate (DAP), Muriate of Potash (MOP), Mono Ammonium Phosphate (MAP), Sulphate of Potash (SOP), NP Fertilisers and NPK fertilisers.	Minerals and Metals Trading Corporation of India Ltd.
3.	Coconut Oil, RBD Palm Oil and RBD Palm Stearin.	The State Trading Corporation of India Limited an Hindustan Vegetable Oils Corporation Limited.
4.	Seeds (Copra, Groundnut, Palm, Rapeseed, Safflower, Soyabean, Sunflower, Cotton),	-do-
5.	All other non-edible oils but excluding tung oil/Chine wood oil and natural essential oils; seeds or any other material from which oil can be extracted not specifically mentioned above or elsewhere in the Policy.	-do-
5A.	Deleted.	
6.	Plam Stearin, excluding Crude Palm Stearin; Palm Kernal Oil; and Tallow Amines of all types.	The State Trading Corporation of India Limited.
7.	Cereals, excluding feed grade maize for poultry or animals.	Food Corporation of India.

CHAPTER XVI

NEGAITVE LIST OF EXPORTS

PART I

158. PROHIBITED ITEMS

Sl.No.	Description of items
1.	All forms of wild animals including their parts and products except Peacock Tail Feathers including handicrafts made thereof and Manufactured Articles and Shavings of Shed Antlers of Chital and Sambhar subject to conditions as specified in Annexure to Public Notice No. 15-ETC(PN)/92-97 dated 31st March 1993, as amended, issued by the Director Generalof Foreign Trade and reproduced in the Handbook of Procedures (Vol. 1).
2.	Exotic birds.
3.	All items of plants included in Appendix I and Appendix II of the Convention on International Trade in Endangered Species (CITES), wild orchid, as well as, plants as specified in Public Notice No. 47 (PN)/92-97 dated 30th March 1994, as amended, issued by the Director General of Foreign Trade and reproduced in the Handbook of Procedures (Vol. 1).
4.	Beef.
5.	Human skeletons.
6.	Tallow, fat and/or oils of any animal origin excluding fish oil.
7.	Wood and wood products in the form of logs, timber stumps, roots, bark, chips, powder, flakes, dust, pulp and charcoal except sawn timber made exclusively out of imported teak logs/timber subject to conditions as specified in Annexure to Public Notice No. 15-ETC(PN)/92-97 dated 31st March 1993, as amended, issued by the Director General of Foreign Trade and reproduced in the Handbook of Procedures (Vol. 1)
8.	Chemicals included in Schedule 1 to the Chemical Weapons Convention of the United Nations signed in Paris on 13-15 January 1993, as specified in the Public Notice No. 16-ETC(PN)/92-97 dated 31st March 1993, issued by the Director General of of Foreign Trade and reproduced in the Handbook Procedures (Col. 1).

Sl. No.	Description of Items
9.	Sandalwood in any form but excluding : (i) Finished and Polished Handicraft products of sandalwood : (ii) Machine finished sandalwood products; and (iii) Those forms of sandalwood as specified, and subject to the conditions laid down in Public Notice No. 75 dated 8-12-95, as amended, and Public Notice No. 77 dated 1-1-96, as amended, issued by the Director General of Foreign Trade.
10.	Red Sanders wood in any form, whether raw, processed or unprocessed as well as any product made thereof.
	PART II
159.	RESTRICTED ITEMS
	(Exports Permitted Under Licence)
1.	Beche-de-mer of sizes below 3 inches.
2.	Cattle.
3.	Camel.
4.	(i) Chemical fertilizers, all types, including superphosphate.
	(ii) Micronutrient fertilizers and mixtures thereof containing NPK, excluding those specified in schedule I, Part A 1(f) of Fertilizers (Control) Order 1985.
5	Dress materials|readymade garments fabrics|textile items with imprints of excerpts or verses of the Holy Quran.
6.	Deoiled groundnut cakes containing more than 1 per cent oil and groundnut expeller cakes.
7.	Fresh and frozen silver promfrets of weight less than 300 gms.
8.	Fur of domestic animals, excluding lamb fur skin.
9.	Fodder, including wheat and rice straw.
10.	Hides and skins, namely :—
	(i) Cuttings an fleshing of hides and skins used as raw materials for manufacture of animal glue gelatine.
	(ii) Raw hides and skins, all ypes excluding lamb fur skin.
	(iii) All categories of semi-processed hides and skins including E.I. tanned and wet blue hides and skins and crust leather.
	(iv) Clothing leather fur suede|hair, hair-on suede|shearing suede leathers.
	(v) Fur leathers.
	(vi) Industrial leathers, namely :—
	1. Cycle saddle leathers.
	2. Hydraulic|packing|belting|harness|washer|leathers.
	3. Pickling band leathers.
	4. Strap|combing leathers.
	(vii) Lining leathers namely :—
	1. Lining suede from cow and buffalo hides and calf skins.
	2. Lining suede from goat, kid, lamb and sheep skins.
	(viii) Luggage leathers—case hide or side-suit case/ hand bag|luggage|cash bag leather.
	(ix) Miscellaneous leathers, namely :—
	1. Book binding leathers.
	2. Skiver leathers.
	3. Transistor case|camera case leather.
	(x) Shoe upper leathers, namely :—
	1. Bunwar leather.
	2. Kattai slipper|sandal leather.
	(xi) Sole leather chrome tanned sole leather.
11.	Horses—Kathiawari, Marwari and Manipuri breeds.
12.	Metals and their compounds, namely :—
	(i) *Deleted.
	(ii) *Deleted..
	(iii) *Deleted.
	(iv) *Deleted.
	(v) *Deleted.
	(vi) *Deleted.
	(vii) *Deleted.
	(viii) *Deleted.
	(ix) @Deleted.
	(x) @Deleted.
	(xi) @Deleted.
	(xii) Deleted.
	(xiii) Deleted.
13.	Minerals, ores and concentrates, namely :—
	(i) Chrome ores, other than (a) beneficiated chrome ore fines|concentrates and (b) those mentioned in in Part-II.
	(ii) *Deleted.
	(iii) Lumpy|blended manganese ore with more than 46 per cent manganese.
	(iv) *Deleted.
14.	Milk, baby milk and sterilised liquid milk.
15.	Pasewa and any lac containing living insects; sticklac; Broodlac.
16.	Pulses, all types, including lentils, grams, beans and flour made therefrom.
17.	Processed pulses other than those made out of the pulses imported under the Duty Exemption Scheme or by an EOU|Unit in the EPZ.
18.	Paddy (Rice in husk).
19.	Rice bran, raw and boiled.
20.	Seeds and planting materials namely :—Castor seeds; cotton seeds except such cotton seeds as are of varieties|hybirds of other countries grown under custom production; cashew seeds and plants; Egyptian clover (Barseem)-Trifolium alaxtum seeds Fodder crop seeds; Green manure seeds other than Dhaincha; guar seeds (whole); jute seeds; linseeds; lucerne (alfalfa) medicago savita; mesta seeds; Nux vomica seeds|bark|leaves|roots and powder thereof; onion seeds; seeds of ornamental plants (wild variety); paddy seeds (wild variety); pepper cuttings or rooted cuttings of pepper; Persian silvery (Shaftel trifolium-resupinatum) seeds; red

Sl. No.	Description of items
	sanders seeds (Plerocarpus santalinus); rubber seeds; rusa grass eeds and tufts; seeds of all forestry species; seeds of all oilseeds and pulses; soyabean seeds; sandalwood seeds (Santalum altany saffaron seeds or corms (planting material for saffron); wheat seeds (wild variety).
21.	Sea shells, excluding polished sea shells and handicrafts made out of sea shells, of all species, except those of the undermentioned species the export of which shall not be allowed in any form :
	(i) Trochus niloticos
	(ii) Turbo species
	(iii) Lambis species
	(iv) Tridacna gigas
	(v) Xancus pyrus.
22.	Sea weeds of all types, including G. edulis but excluding brown sea weeds and agarophytes of Tantil Nadu coast origin in processed form.
23.	Silk worms; silkworm seeds, and silk worm cocoons.
24.	(i) Vegetable oils in consumer packs above 5 kgs., namely :—
	Coconut oil; cotton seeds oil; corn oil; kardi oil; linseed oil; mustard oil; niger seed oil; palm oil; palm kernel oil; rape seed oil; rice bran oil; salad oil; sunflower oil; seasame seed oil; soyabean oil.
	(ii) Groundnut Oil.
25.	(i) Vintage motor cars, parts and components thereof manufactured prior to 1-1-1950.
	(ii) Vintage motorcycles, parts and components thereof manufactured prior to 1-1-1940.
26.	Viscose staple fibre (regular), excluding high performance viscose staple fibre.
27.	Whole human blood plasma and all products derived from human blood except gamma globulin and human serum albumin manufactured from human placenta and human placental blood; Raw placenta; Placental blood pasma.
28.	Waste paper.
29.	Chemicals included in Schedules 2 & 3 to the Chemical Weapons Convention of the United Nations signed in Paris on 13—15 January 1993, as specified in the Public Notice No. 17-ETC(PN)/92-97 dated 31st March 1993 issued by the Director General of Foreign Trade and reproduced in the Handbook of Procedures (Vol. 1).
30.	Imported sugar including sugar which has already landed and is pending clearance at the Customs.
31.	Special Materials, Equipments and Technologies as specified in the Public Notice No. 68 dated 31st March 1995, as amended, issued by the Director General of Foreign Trade and reproduced in the Handbook of Procedures (Vol. I).
31A.	Chemicals included in Annexures A and B to the Montreal Protocol on substances that deplete the Ozone layer as specified in the Public Notice No. 82-ETC(PN)/92-97 dated 25th March 1996 issued by the Director General of Foreign Trade and reproduced in the Handbook of Procedures (Vol. 1).
32.	Any other item whose exports are regulated by a Public Notice issued by the Director General of Foreign Trade in this behalf.

Note :

(i) *indicates items included in Atomic Energy Act, 1962 vide Notification No. AEA/27/1/95-ER dated 15th March, 1995 issued under S.O. 212(E) by Department of Atomic Energy and effective from 1st April, 1995.

(ii) @indicates items included in the Public Notice No. 68 dated 31st March, 1995 referred to as Sl. No. 31 above.

160. EXPORTS PERMITTED SUBJECT TO QUANTITA8IVE CEILING

Deleted.

PART III

161. CANALISED ITEMS

The Canalising Agencies mentioned in column 3 may export to any country the items as per the table below, subject to the provisions of the Policy :—

Sl. No.	Description of items	Canalising Agency
1.	Petroleum products, namely:–	Indian Oil Corporation Limited.
	(i) Aviation trubine fuel	
	(ii) Bitumen (asphalt) paving grade	
	(iii) Crude oil	
	(iv) Furnace oil	
	(v) High speed diesel	
	(vi) Kerosene	
	(vii) Liquified petroleum gas (LPG)	
	(viii) Motor spirit	
	(ix) Naptha	
	(x) Raw petrolcum coke	
2.	Gum Karaya	The Tribal Cooperative Marketing Federation of India Limited (TRIFED), New Delhi.

Sl. No.	Description of items	Canalising Agency
3.	Mica waste (including factory cuttings) and scrap which is obtained by processing mica and which because of size and colour is considered below the specification of processed mica.	MMTC Limited, New Delhi and Mica Trading Corporation of India Limited, Bihar.
4.	Minerals ores and concentrates, namely: —	
	(i)* Deleted	
	(ii) Rare Earths (inluding Yttrium) ores, concentrates and compounds thereof	Indian Rare Earths Limited, Bombay.
	(iii) Other minerals containing the following substances as accessory ingredients including: —	Indian Rare Earths Limited, Bombay and Kerala Minerals & Metals Limited, Kollam.
	(a)* Deleted	
	(b)* Deleted	
	(c) Samerskite	
	(d) Uraniferrous allanite:	
	(1) Radium ores and concentrates	
	(2)* Deleted	
	(3)* Deleted	
	(4)* Deleted	
	(5)* Deleted	
	(6)* Deleted	
	(iv) Granular sillimanite produced by Indian Rare Earths Limited and Kerala Minerals and Metals Limited	–do–
	(v) Iron ore. However, export of the following types of Iron ore are not canalised: —	MMTC Limted.
	(a) Iron ore of Goa origin when exported to China, Europe, Japan, South Korea and Taiwan, irrespective of the Fe content.	
	(b) Iron ore of Redi origin to all markets, irrespective of the Fe content.	
	(c) All Iron ore of Fe content upto 64%.	
	(vi) (a) Chrome ore lumps with Cr_2O_3 not exceeding 38 percent.	–do–
	(b) low silica friable/fine ore with Cr_2O_3 not exceeding 52 percent and Silica exceeding 4 percent	–do–
	(vii) All grades of bauxite, except calcined bauxite and low grade bauxite with alumina content Al_2O_3 less than 54 percent of West coast origin.	–do–
	(viii) Manganese Ores excluding the following: — Lumpy blended Manganese ore with more then 46 percent Manganese	(i) MMTC Limited. (ii) Manganese Ore India Limited (MOIL) for manganese are produced in MOIL mines.
5.	Niger Seeds	(i) National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Ltd. (NAFED), New Delhi.

Sl. No.	Description of items	Canalising Agency
		(ii) The Tribal Cooperative Marketing Federation of India Limited (TRIFED).
		(iii) National Dairy Development Board (NDDB).
6.	Onions	National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Limited (NAFED).
7.	Deleted	
8.	Deleted.	
9.	Deleted.	

Note:— * Indicates items included in Atomic Energy Act, 1962 vide Notification No. AEA/27/1/95-ER dated 15th March, 1995 issued under S.O. 212(E) by Department of Atomic Energy and effective from 1st April, 1995.

162. ITEMS WHICH MAY BE EXPORTED WITHOUT A LICENCE BUT SUBJECT TO TERMS AND CONDITIONS SPECIFIED IN THIS BEHALF

Deleted.

APPENDIX I

REPLENISHMENT FOR GEM & JEWELLERY

General Note

(1) Necklaces strung or threaded, with cut and polished precious/semiprecious stones/polished and Processed Pearls will also fall under respective entries below and replenishment allowed accordingly, provided the value of metal fittings, namely, clips, Clasps, Pins, Hooks etc. is negligible and such value is excluded.

Sl. No.	Export Product	Import Replenishment Percentage of FOB	Materials Permitted	Remarks
1	2	3	4	5
1.	Polished, Processed Pearls (Real or Cultured)	65.00	01 Real or Cultured Pearls Unset/Undrilled.	
2.1	Cut & Polished Diamonds (with per carat realisation upto US $ 260 FOB)	65.00	01 Diamond Uncut and Unset. Special Industrial Adhesives/ Gums/Solutions used in Gem & Jewellery Industry and Synthetic Diamond Powder (1.00%).	
2.2	Cut & Polished Diamonds (with per carat realisation of more than US $ 260 and upto US $ 350 FOB)	70.00	01 Diamonds Uncut and Unset. 02 Special Industrial Adhesive/ Gums/Solutions used in Gem & Jewellery Industry and Synthetic Diamond Powder (1.00%).	
2.3	Cut & Polished Diamonds (with per carat realisation of more than US $ 350 and upto US $ 400 FOB).	75.00	01 Diamonds Uncut and Unset. 02 Special Industrial Adhesives/ Gums/Solutions used in Gem & Jewellrey Industry and Synthetic Diamond- Powder (1.00%).	

1	2	3	4	5
2.4	Cut & Polished Diamonds (with per carat realisation of more than US $ 400 FOB)	82.50	01 Diamonds Uncut and Unset 02 Special Industrial Adhesives/ Gums/Solutions used in Gem & Jewellery Industry and Synthetic Diamond Powder (1.00%)	
2.5	Cut & Polished Diamonds (with per carat realisation of more than US $ 575 FOB)	90.00	01 Diamonds Uncut and Unset 02 Special Industrial Adhesives/ Gums/Solutions used in Gem & Jewellery Industry and Synthetic Diamond Powder (1.00%)	
2.6	Rough Diamonds with or without kerfing, cleaving, sawing but not bruted	95%	01 Rough Diamonds Uncut & Unset 02 Special industrial Adhesives/ Gums/Solutions used in Gem and Jewellery industry and Synthetic Diamond Powder (1.00%)	
3.1	Cut & Polished Emeralds/ Rubies/Sapphires (with per carat realisation of US $ 350 and upto US $ 600 FOB).	80.00	01 Emeralds Uncut and Unset 02 Rubies Uncut and Unset 03 Sapphires Uncut and Unset 04 Precious stones unset including in tumbled/broken/ sliced/damaged form.	
3.2(i)	Cut & Polished precious stones and semi-precious stones inculding cut and polished semi-precious stones from tubbledl/broken/ sliced/damaged rough semi-precious stones, not covered by S.No. 3.1 of less than US $ 350 per carat FOB.	60.00	01 Precious or semi-precious stones unset & uncut 02 Rough semi-precious stones in tumbled/broken/sliced/ damaged form.	
(ii)	Cut & Polished Coral	65.00	01 Coral unprepared, or coral sticks not cut to any sahpe or size	
(iii)	Cut & Polished precious stones (when per carat FOB is more than US $ 600).	90.00	01 Emeralds Uncut and Unset 02 Rubios Uncut and Unset 03 Sapphires Uncut and Unset 04 Precious stones unset including in tumbled/broken/ sliced/damaged form.	
3.3	Cut & Polished Onyx	50.00	01 Sliced Onyx.	
4	Jewellery containing palladium and studded/strung with diamonds, Precious or semi-precious stones, real or cultured pearls, synthetic/ imitation stones provided the value of synthetic/	65.00	01 Diamonds Uncut and Unset 02 Precious or Semi-precious stones uncut and unset 03 Real or Cultured Pearls unset/undrilled 04 Rough Semi-precious stones in tumbled/broken/sliced/	(1) Studded/Strung Jewellery containg Synthetic or Imitation stones exceeding 10% of the value of Jewellery excluding the value of metal, in addition to the Diamonds, precious or semi-precious stones and/or Pearls

1	2	3	4	5
	imitation stones does not exceed 10% of the FOB value of Jewellery excluding the value of metal		damaged form 05 Empty Jewellery Boxes (1.00%)	are excluded from the scope of this Export Product (2) Precious Metal Jewellery as described under Col. 2 will becovered under S.No. 4 provided the value of precious metal i.e. Palladium is not less than 70% of total value of metal used therein or studded jewellery containing in whole or in part, metal other than Palladium and studded/strung with diamonds, pearls, precious/semi-precious stones will also be grouped under S.No. 4 for the purpose of import replenishment, provided the value of the studdings/stringings amount to 90% or above of the total FOB value (3) For the purposes of determining the FOB value of the studdings in jewellery, namely, the value of cut and polished diamonds and/or precious and semi-precious stones and/or finished pearls as per the declaration of the exporter duly scrutinised and appraised by customs will be taken into account (4) Replenishment of diamonds uncut and unset precious/semi-precious stones, uncut & unset real or cultured pearls, unset/undrilled shall be allowed in proportion to the FOB value content of diamonds, uncut and unset, precius or semi-precious stones unset and uncut and real or cultured pearls unset/undrilled respectively used, as contained in the exported product, as declared by the exporter and duly attested by the customs in the invoice. No interchangeability of the aforesaid studding materials inter-se shall be allowed.
5.	Cut or Polished synthetic stones	50.00	01 Rough synthetic stones 02 cubic zirconia	(1) Production of customs attested invoices is not re-

1	2	3	4	5
				quired for claiming Replenishment.
6.1	Imitation Jewellery/costume jewellery studded or strung with synthetic imitation stones/plastic beads, wooden beads, glass beads, false pearls, glass chatons etc.	30.00	01 Glass beads, false pearls & glass chatons/glass chatons in stock lots. 02 Rough synthetic stones 03 Metals fittings, findings, components & accessories required for imitation jewellery. 04 Cubic zirconia. 05 Empty Jewellery Boxes (1.00%)	(1) Only jewellery made of metals other than precious metals referred to in S.No. 4 will be covered by this entry In Other words, only jewellerymade of base metal like aluminim, copper brass etc. and studded/strung with synthetic/imitation stones/ plastic beads, wooden beads, etc. would fall under this S.No. Base metal imitation jewellery studded/strung with semi-precious stones will also fall under this S.No. (2) Production of customs attested invovices is not required while claiming replenishment. (3) Cuff links (including brass cuff links) studded with synthetic/imitation stones, decorated cuff links and gold plated-cuff links will also flal under this S.No.
6.2	Imitation jewellery/costume jewellery plain (other than those specified under S,No. 6.1)	10.00	01 Metal fittings, findings components & accessories required for imitation jewellery rquired for imitatn jewellery. 02 Empty jewellery Boxes (1.00%)	(1) Jhumka, Rings, Finger rings, bets, necklaces, Ghungroos etc. made of base metal such as Aluminium and 'Gillet" will also fall under this S.Nos Brass cuff links other than those covered by S.No. 6.1 wil also fall under the S.No. (2) Production of ctusoms attested invoices is not re quired while claiming re plenishment.
6.3	Silver Filigree and Silver Filigree Jewellery	10.00	01 Metal Fittings 02 Empty Jewellery Boxes (1.00%)	
6.4	Jewellery made of paoladium and studded with synthetic imitation glass, stones, chatons, beads, false pearls, etc. with or without diamonds, precious stones, semi-precious stones, real/cultured pearls.	30.00	01 Glass Beads, Flase pearls & glass chatons/glass chatons in stock lots 02 Rough synthetic stones 03 Cubic Zirconia 04 Empty jewellery Boxes (1.00%)	(1) The price of palladium will be excluded from the FOB value while calculating replenishment (2) This S,No, will also cover article studded with synthetic imitation glass stones, chaton beads, false pearls with or without diamonds, precious stones semi-precious stones, real/ cultured pearls.

APPENDIX-II

MINIMUM VALUE ADDITION REQUIREMENT FOR CERTAIN ITMES

Under EOU/EPZ scheme (Paragraph 97 of the Policy)

I. ELECTRONICS	
Computer software	60%
II. TEXTILES	
(a) Readymade garments	40%
(b) Made-ups	30%
(c) Cotton yarn and cotton polyester yarn (ring spindles spun)	30%
(d) Cotton yarn and cotton polyester yarn (open-end spinning)	30%
(e) Piece goods	30%
(f) Denim fabrics	30%
(g) Terry towels	30%
(h) Silk fabrics	30%
(i) Silk and high fashion garments	30%
III. LEATHER PRODUCTS	
(a) Leather footwear	30%
(b) Leather shoe uppers	30%
(c) Leather garments/goods	30%
(d) Sports shoes/sports footwear	30%
IV. GEM & JEWELLERY	
(a) Plain gold jewellery	10%
(b) Studded gold jewellery	15%
(c) Silver jewellery	25%
V. OTHERS	
(a) Latex gloves	40%
(b) Granite	50%
(c) Test and measuring instruments; Industrial/control valves, photocopiers and medical and scientific instruments	20%
(d) Clocks/Time pieces/wrist watches	30%
(e) Cigarettes	35%
(f) Cigarette lighters	40%
(g) Bristles, including brushes	30%
(h) Tissue culture plants	60%

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. 1996